राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र का ५३वां दिवस [संख्या २६

५८८५] [५८८६

गुरुवार, ३ अप्रैल, १९५८

विधान सभा की बैठक म० प० ११.७ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या १०४६

श्री अध्यक्ष : श्री जयचन्द्र मोहिल।

(अनुपस्थित)

डॉक्टर चन्द्रकला।

अशोकपुरा बस्ती (जयपुर)

१०४७. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) अशोकपुरा बस्ती कब बसाई गई ? क्या यह बस्ती किसी योजना के अनुसार बसाई गई है ?

(२) अशोकपुरा की भूमि पर स्वामित्व किसका है ? वहां के लोगों को पक्के मकान बनाने की सुविधा क्यों नहीं दी जाती है ?

(३) क्या अशोकपुरा तथा उसके आस पास के क्षेत्र के विकास के लिये सरकार कुछ विचार कर रही है ?

(४) ऐसी बस्तियों को पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत न रख नगरपालिका क्षेत्र के भीतर रखने में सरकार का क्या प्रयोजन है ?

स्वायत शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) अशोकपुरा सन् ४२ में बसा है। यह बस्ती किसी योजना के अनुसार नहीं बसाई गई।

(२) भूमि पर स्वामित्व सरकार का है। सरकार के सामने ऐसी कोई मांग ही नहीं आई।

(३) अभी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। अलबत्ता अभी विकास योजना द्वारा एक स्कूल खोला गया है।

(४) जयपुर नगरपालिका की सीमा के विस्तार होने से म्युनिसिपल कमेटी एरिया में शामिल है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सच है कि यहां के लोग मकान बनवाना चाहते हैं, मगर म्युनिसिपैलिटी उनको मकान बनाने के लिये इजाजत नहीं देती है ?

Page No.2

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मकान तो पहले से बने हुए हैं।

डॉ० चन्द्रकला : उन लोगों के मकान कच्चे, अस्थाई बने हुए हैं। ये लोग पक्के मकान बनाना चाहते हैं। वे लोग भूमि का स्वामित्व चाहते हैं उनको भूमि का स्वामित्व मिल जाय तो इसमें म्युनिसिपैलिटी उनको पक्के मकान क्यों नहीं बनाने देती ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उनको पट्टे मिलने के बाद हो सकता है।

डॉ० चन्द्रकला : यहां के लोगों को भूमि का पट्टा क्यों नहीं दे दिया जाता ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वे लोग जयपुर में आकर बसे हैं। पहले जो जयपुर के रहने वाले हैं उनका अधिकार है।.

डॉ० चन्द्रकला : पहले जहां पर ये लोग बसे थे वहां पर उनका स्वामित्व भूमि पर था, जब उनको दूसरी जगह बसाया गया तो उसके लिये उनको भूमि का स्वामित्व होना चाहिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर यह बात सच्च है कि उनका पहले जहां पर बसे थे, वहां पर भूमि पर स्वामित्व था तो कोई एतराज नहीं। लेकिन जैसा मैंने इन्क्वायर किया है उससे मालूम होता है कि उनका स्वामित्व भूमि पर नहीं था। यदि कहीं ऐसा रेकार्ड मिलता है तो आगे कार्यवाही करेंगे।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार उनके लिये यह अपना उत्तरदायित्व नहीं समझती है कि उनको भी पानी और बिजली आदि की दूसरी सहूलियतें दे ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री प्रभुलाल पुरोहित।

यातायात विभाग में अव्यवस्था

१०४८. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या वे प्रार्थनापत्र जो मीटर ट्रान्सपोर्ट विभाग के अधिकारियों को दिये जाते हैं वे मीटिंग में समय पर पेश नहीं किये जाते ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) वे दरख्वास्तें जो सन् १९५५–५६ व ५६–५७ में आर० टी० ओ० के पास पेश की गई उनमें से कई मीटिंग में क्यों नहीं पेश की गई तथा उन पर अब तक भी कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

(ग) क्या सरकार इसकी जांच करेगी ? यदि हां, तो कब तक तथा नहीं, तो क्यों नहीं ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(क) जब तक किसी प्रार्थनापत्र विशेष का उल्लेख न किया जावे तब तक कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता।

(ख) जितने प्रार्थनापत्र प्राप्त होते हैं उन पर शीघ्र कार्यवाही की जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न संख्या १०४९

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

चिकित्सालय

१०५०. श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.3

(श्री भीमसेन)

(१) डिवीज़नल हैड क्वार्टर पर स्थित किन किन अस्पतालों पर बिल्डिंग एवं उनके इक्विपमेंट (equipment) पर राजस्थान बनने के बाद से सन् १६५६–५७ तक कितनी कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है !

(२) क्या बीकानेर के अस्पताल में कोढ़, मानसिक रोग तथा क्रॉनिक डिजीजेज़ के रोगियों के लिये शैयाओं के प्रबन्ध हेतु मांग चल रही है ? अगर हां, तो सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

(३) राजस्थान बनने के बाद उपयोक्त अस्पताल में किन किन सुविधाओं में कमी की गई ? कितने विशेषज्ञ कम किये गये अथवा निम्न स्तर के भर्ती किये गये तथा कितने स्थान रिक्त पड़े हैं ?

(४) बीकानेर जिले की कौन कौन सी डिस्पेन्सरीज़ में कब से डाक्टरों का अभाव है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) राजस्थान के डिविज़नल हैड क्वार्टर्स पर स्थित अस्पतालों पर बिल्डिंग एवं इक्विपमेंट पर राजस्थान बनने के पश्चात् सन् १६५६–५७ तक निम्नलिखित धनराशि खर्च की जा चुकी है :

(२) जी नहीं।

(३) बीकानेर अस्पताल में राजस्थान बनने के पश्चात् न सुविधाओं में कमी की गई है न विशेषज्ञ कम किये गये हैं न निम्न स्तर के भर्ती किये गये हैं। विशेषज्ञों का कोई स्थान रिक्त नहीं है।

(४) बीकानेर जिले की डिस्पेन्सरीज़ में डाक्टरों की कमी नहीं है। सिर्फ गजनेर में कुछ अर्से से डॉक्टर का स्थान रिक्त है जो डॉक्टर उपलब्ध होने पर भर दिया जावेगा।

श्री भीमसेन : क्या यह सही नहीं है कि क्रॉनिन डिज़ीजेज़ के रोगियों को जनरल वार्ड में हटाया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हां; जनरल वार्ड में हटा दिया है।

श्री भीमसेन : क्या इनके लिये आइ-सोलेटेड वार्ड था उसको हटा दिया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्रोनिक डिज़ीजेज़ कोई भी हो सकती हैं। मैंने कहा कि उसको जनरल वार्ड में शामिल कर दिया है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस प्रकार क्रोनिक डिज़ीजेज़ के लिये अलग व्यवस्था होती थी ? क्या राजस्थान बनने से पहले बीकानेर में अलग बेड्स की व्यवस्था थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा मालूम होता है कि पहले इस प्रकार की व्यवस्था थी।

	बिल्डिंग	इक्विपमेंट
जोधपुर	३००००	१,६३,६७६ रु०
उदयपुर	६६६,३१८ रु० ७ आना	२६०,२५० रु० ८ आना
बीकानेर	इसकी सूचना पी. डब्ल्यू. डी. से प्राप्त नहीं हो सकी	६१,४५० रु०
कोटा	६,६७,३४५ रु०	३०,६६६ रु०
अजमेर	२२,२२७ रु०	सूचना नहीं मिली।

श्री भीमसेन : आपने अपने जवाब में बताया कि पहले इस प्रकार की अलग व्यवस्था थी और अब जनरल वार्ड में शामिल कर दिया गया, यह क्यों ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्रोनिक डिज़ीजेज होती हैं, इसलिये उनको जनरल वार्ड में जिस प्रकार दूसरी क्रोनिक डिज़ीज़ेज होती हैं, जैसे टी. बी. आदि क्रोनिक डिज़ीज़ेज़ हैं, उनको जनरल वार्ड में रखा जाता है, उसी प्रकार इनको भी शामिल कर दिया है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने विकास के सम्बन्ध में ६ लाख रुपये उदयपुर में डेवलपमेंट के लिये बताये और बीकानेर में ११ हजार रुपये बताये, तो क्या वहां के डेवलपमेंट के लिये कोई स्कीम आपके पास आई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं साफ बात बता देना चाहता हूं, जिससे कोई गलत फहमी न रहे। जितने होस्पिटल्स हैं उनमें राजस्थान बनने से पहले जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में तो पहले से ही हॉस्पिटल थे। उसके बाद कोटा में, जहां पर बिल्डिंग थी और उसके अलावा भी खर्च करना जरूरी होता था किया गया। जोधपुर में ६ लाख। इसी प्रकार जहां पर जरूरत होती है खर्च किया जाता है।

श्री भीमसेन : क्या राजस्थान........

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

कृषि अधिकारी जालोर द्वारा किसानों को टिन शीट्स (पत्तरों) का वितरण

१०५१. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गत वर्ष में जालोर जिले में पत्तरों (tin sheets) का कितना कोटा दिया गया था ?

(ख) क्या यह सही है कि जिला कृषि अधिकारी किसानों को पत्तर न देकर उनका भाग नगर व्यक्तियों को दे देते हैं ? यदि नहीं, तो उनके किसानों की सूची पेश की जावे जिनको गत वर्ष पत्तर दिये गये।

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) गत वर्ष जालोर जिले में १ अप्रेल, सन् १६५६ से ३१ मार्च, १६५७ तक कुल ३६ टन, ४ ह०, १ क्वा०, ६ पौं० जी० सी० शीट का कोटा किसानों को बांटने के लिये निर्धारित किया गया।

(ख) नहीं। गत वर्ष जालोर जिले में जिन व्यक्तियों को जी० सी० सीट (पत्तरे) वितरित की गई उनकी तालिका संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैंने माननीय अध्यक्ष, नोटिस ऑफिस में पता लगाया, मगर वहां पर तालिका नहीं मिली।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप अभी ले लीजिये। इसका जवाब देरी से आया था, इसलिये नहीं भेजी गई।

श्री श्रीमानसिंह : इस साल कितने किसानों ने पत्तरों के लिये मांग की और कितने किसानों को मिली ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मुश्किल है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जिन लोगों को दिये गये, वे किसान हैं और उन्होंने अपने ही काम में ली ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जालोर नगर ऐसा है जहां किसानों के घर हैं, उन्होंने अपने यहां पर भैंसे और गायों के लिये बाड़ों को ढकने के लिये लगाये और घरों में भी इसी काम के लिये लगा सकते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि किसानों के प्रार्थनापत्र आने पर भी उनको चद्दर नहीं दिये गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह भी कोई जरूरी नहीं है कि सब की मांगें पूरी हो जावें। जितनी अर्जियें आती हैं वे टोप प्रायोरिटी में पड़ी रहती हैं। बारी बारी उनको मिलती रहती हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : ऐसे कितने काश्तकार हैं जिनकी एप्लीकेशन्स रिजेक्ट हो गईं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रिजेक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। एप्लीकेशन्स रजिस्टर्ड हो जाती हैं और पहले जिसकी अर्जी होती है उसको पहले दी जाती है और बाद में जब स्टोक नहीं रहता तो वे एप्लीकेशन्स पेन्डिंग पड़ी रहती हैं और नम्बर आने पर मिलता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : सन् ५७ के कितने काश्तकार हैं, जिनको नहीं मिली ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं पहले ही कह चुका हूं कि किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार जिन्होंने प्रार्थनापत्र दिये मिली हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि जालौर में चद्दरें काश्तकारों को खेती के काम के लिये दी गई थीं और वे मकानों में काम में ली गईं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने जालौर को देखा नहीं। वहां पर किसानों के घर हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जालौर परगने के लिये अलग कोटा मुकर्रर किया गया था और दूसरा सप्लाई का कोटा अलग था।

श्री श्रीमानसिंह : एप्लीकेशन पहले आती है, उसको प्राथमिकता देते हैं या जिस काम के लिये पत्तरों की जरूरत होती है, उस काम को प्राथमिकता दी जाती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वे लोग जिस तरह के काम के लिये उनको जरूरत होती है उसी प्रकार का काम लिखते हैं। जो लोग खेत में काम के लिये लेते हैं या किसी दूसरे के लिये लेते हैं, काम तो एग्रीकल्चर का ही होता है और उसी काम में लेते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार के पास ऐसी सूची है कि जिससे सरकार को मालूम हो सके कि यह किसान है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किसानों की सूची सरकार के पास है। पटवारी के पास नम्बर लगे रहते हैं और हर एक काश्तकार की सूची सरकार के पास मौजूद है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मुरलीधर व्यास।

नांगल प्रोजेक्ट से नहरों का निकाला जाना

१०५२. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने नांगल प्रोजेक्ट से नहरें निकालना आरम्भ कर दिया है ? यदि हां, तो अब तक की प्रगति क्या है ?

(श्री मुरलीधर व्यास)

(ख) क्या नांगल प्रोजेक्ट से बीकानेर व जैसलमेर नगर में भी पानी पहुंचाने की योजना है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) नांगल प्रोजेक्ट से नहरें निकालने का कार्य सन् १९५२ में प्रारम्भ किया गया था जो सम्पूर्ण हो चुका है ।

(२) भाखरा नहरों का पानी बीकानेर डिवीज़न के सिर्फ गंगानगर जिले में पहुंचेगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : नांगल प्रोजेक्ट का निर्माण कब हो चुका था ?

श्री रामकिशोर व्यास : भाखरा अभी भी पूरा नहीं बना है, बन रहा है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह ।

पंचायतों के अधिकार

१०५३. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जायदाद के बंटवारे के मुकदमों का फैसला करने का कानूनन अधिकार ग्राम पंचायतों को है ?

(२) यदि हां, तो कौन से कानून के अन्तर्गत ?

(३) यदि नहीं, तो राजगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत नौरंगापुरा व तहसील पचायत राजगढ़ से बैरासर, छोटा गांव के बीरबल हरचन्द के घर के बंटवारे का फैसला किस कानून से किया ?

(४) क्या इस तरह अधिकारों का दुरुपयोग करने वाली पंचायतों के खिलाफ सरकार ने आज तक कोई कार्यवाही की है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(३) विभाग की जानकारी में ऐसा नहीं था ।

(४) सरकार के ध्यान में आने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

श्री मोहरसिंह : क्या यह सही नहीं कि उपरोक्त जायदाद के बंटवारे सम्बन्धी तहसील पंचायत व ग्राम पंचायत द्वारा किया गया था ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारी ऐसी जानकारी नहीं है । इस प्रकार के दावों को सुनने का जुरिस्डिक्शन उनका नहीं है और उनको नहीं करना चाहिए । उसकी अपील करनी चाहिए थी कि ऐसा हो सकता है या नहीं ।

श्री मोहरसिंह : उस पत्र के मुतल्लिक आपके पास शिकायत की गई थी तो क्या उसकी जांच कराई गई और उसका क्या नतीजा निकला ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जानकारी अभी उसकी आई नहीं है ।

श्री मोहरसिंह : नौ-दस महीने का समय हो गया, पर क्या सरकार को अब तक जानकारी नहीं मिली ? मुझे पता लगा है कि जानकारी मिल चुकी है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक मुकदमा सुनने की बात है, यदि अख्तियार नहीं है तो रिविज़न होना चाहिए।

श्री मोहरसिंह : आपने लॉ डिपार्टमेंट से पुछवाया था लेकिन हमें उसकी कोई जानकारी नहीं दी गई कि उसका क्या हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लॉ डिपार्टमेंट की पोजिशन है, वह मैं अर्ज कर दूं। जुडीशियल मेटर गवर्नमेंट प्रेजुडिस नहीं करती।

श्री अध्यक्ष : श्री पृथ्वीराज।

बौंली से नवाई तक पक्की सड़क का निर्माण

१०५४. **श्री पृथ्वीराज** (गंगापुर) : क्या निर्माण मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे :

(क) क्या बौंली से निवाई तक स्वीकृत पक्की सड़क के टेन्डर अभी तक नहीं हुए हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

(ग) बौंली से जिस्टाणा सड़क के टेन्डर हुए कितना समय हुआ ? सड़क पूर्ण हो जाने का समय कितना दिया गया था ?

(घ) समय पर पूर्ण न होने पर ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा अब कितने समय में पूर्ण हो जायगी ?

(ङ) क्या यह सत्य है कि लालसोट से गंगापुर जाने वाली सड़क को बामनवास से मिलाने वाली ३ माइल की सड़क पर वर्षा ऋतु में सड़क के नीचे होने के कारण पानी भर जाता है ? यदि हां, तो क्या इसको २ फीट ऊंची किया जावेगा जिससे पानी नहीं भरे ?

निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) हुए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में।

(घ) लगभग ३ वर्ष, ३१-३-५७ तक।

(ङ) नोटिस दिए गए हैं।

(च) सम्भवतः वर्ष १९५८-५९ के अन्त तक।

(छ) प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ज) आपके सुझाव को ध्यान में रखा जावेगा।

(नोट) : मूल प्रश्न में भाग 'ङ' तक ही है जब कि भाग च, छ, ज का भी उत्तर दिया गया है)

श्री पृथ्वीराज : सरकार को टेन्डर बनाते हुए दो तीन वर्ष हो गये। अब कब तक पूरे हो जावेंगे ? मैंने यही पूछा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : कौन सी सड़क का पूछा है। जो पूछा है, उसकी मैंने तारीख बताई है, इस साल पूरी हो जावेगी।

श्री श्रीभानसिंह : क्या थर्ड फाइव इयर प्लॉन के लिए सजेशन्स इन्वाइट किये हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इन्वाइट नहीं किये हैं। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में सड़कें ली हैं जो अधूरी बन सकेंगी उसको तृतीय पंचवर्षीय योजना में पूरा करने के लिए मानकर चलते हैं और उन्हें पूरा करेंगे।

श्री श्रीभानसिंह : क्या यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ली गई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

उटड़ा ग्राम (अजमेर) के पास बांध निर्माण की योजना

१०५५. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अजमेर डिस्ट्रिक्ट में उटड़ा ग्राम में जो बंध बन रहा है क्या उसके बारे में सरकार ने इस बात का सर्वे करा लिया था कि उस बांध के बंधने से रूपनगढ़ तहसील के गांवों में पानी की कमी तो नहीं आ जावेगी या सूख तो नहीं जावेंगे जैसा कि कापड़ गांव में बांध बंधने से रूपनगढ़ तहसील के ग्राम सलेमाबाद व उसके आस पास के ग्रामों के पांच सौ कुए सदा के लिए सूख गये और वह इलाका रेगिस्तान हो गया ?

(ख) अगर इस बात का सर्वे नहीं कराया गया है तो क्या सरकार इस बंधे का काम तब तक के लिये स्थगित रखेगी जब तक कि यह जांच न हो जाय ?

(ग) क्या इस बांध से किशनगढ़ सब डिविज़न के ग्रामों को भी सिंचाई के लिए पानी दिये जाने की योजना है ?

(घ) अगर हां, तो कौन २ से गांवों को पानी दिया जावेगा ?

(ङ) अगर नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकार की योजना बनायेगी ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): (क) ऐसा कोई सर्वे नहीं कराया गया परन्तु यह विदित है कि नदी पर बांध के बनने से उसके आस पास के इलाके के कुओं में पानी बढ़ता ही है, इसलिए कुओं के सूखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नहीं। क्योंकि यह गांव बंध के कमाण्ड में नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) सर्वे करने पर कोई योजना ठीक और उपयुक्त मालूम हुई तो जरूर कार्यान्वित की जायगी।

श्री पुरुषोत्तमलाल : क्या नदी का पानी आने से भूमि सूखती नहीं है तो फिर कुए पहले कैसे सूख गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : अगर ज्यादा डिस्टेन्स हो तो सूख जाते हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल : रूपनगढ़ इलाके में पांच सौ कुए सूख गये तो उसका सर्वे कराया जाय, इसमें सरकार को क्या एतराज है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह अजमेर स्टेट की योजना है। अजमेर की जितनी योजनायें थीं उनको पूरा किया जा रहा है।

श्री पुरुषोत्तमलाल : चूंकि अजमेर राजस्थान में मिल चुका है इसलिए राजस्थान की जनता की दृष्टि से उसको सोचने में तकलीफ नहीं होगी।

श्री रामकिशोर व्यास : योजना में कमी नहीं करेंगे।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : योजना है लेकिन यदि उससे राजस्थान के गांवों में नुकसान होता है, आपको इसके लिए सोचना नहीं चाहिए ?

Page No.9

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी दुबारा जांच करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर!

नगरपालिका, बरेना

१०५६. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि दिनांक २८-७-५८ को बरेना म्युनिसिपल बोर्ड ने एक जमीन नीलामी बोली द्वारा श्री साधूराम टेलर को बेची ?

(ख) क्या यह सही है कि नीलाम की यह शर्त थी कि यदि १५ दिन की अवधि में खरीदार पूरी रकम जमा न करा देगा तो नीलाम रद्द समझा जावेगा ?

(ग) क्या यह सही है कि साधूराम ने निश्चित अवधि में रकम जमा नहीं कराई ?

(घ) क्या यह सही है कि अवधि बीत जाने पर भी चेयरमैन ने बोर्ड के आदेशों की अवहेलना करके उसी व्यक्ति को पुन: जमीन दे दी ?

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को शिकायतें की गई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां। श्री साधुराम ने अवधि बढ़ाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जिस पर बोर्ड ने दिनांक ३०-८-५७ तक की अवधि बढ़ा दी और रकम दिनांक ३०-८-५७ को ही जमा हो गई।

(घ) इसका उत्तर भाग 'ग' में आ चुका है।

(ङ) जी हां। निर्देशक, स्थानीय निकाय के कार्यालय में शिकायत प्राप्त हुई थी किन्तु शिकायत निराधार होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह जो अवधि बढ़ाई गई, क्या वह चेयरमैन ने बढ़ाई या बोर्ड ने ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बोर्ड ने बढ़ाई, यही उत्तर प्राप्त हुआ।

श्री दयाकृष्ण विजय : कौन सी तारीख को बढ़ाई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें तारीख तो नहीं है। मियाद खत्म हुई और १५ दिन के अन्दर दरख्वास्त देनी चाहिए थी, उसने दरख्वास्त दी और अवधि बढ़ाई।

श्री मुरली धर व्यास : क्या बोर्ड की प्रोसिडिंग्स आपके पास आई है कि बोर्ड ने ऐसा निर्णय लिया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बोर्ड से जानकारी की, उससे पता चला कि मियाद बढ़ाई है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जब चेयरमैन के पास कागज गया होगा तो उसने लिखा दिया होगा कि अवधि बोर्ड ने बढ़ाई है। मेरा स्पष्ट आक्षेप है कि चेयरमैन ने स्वयं ने ही यह मियाद बढ़ाई है और क्या इसके लिए जांच की गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसने अगर बढ़ा

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

भी दी है तो बोर्ड ने अधिकार दिया होगा तो बढ़ा दी होगी ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या इन आदेशों को रद्द समझा जावेगा और उनकी अवहेलना की गई है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो अवधि बढ़ा दी है, उसकी आप सूचना दे रहे हैं, जानकारी करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह ।

सड़कों पर गैंगमैनों की नियुक्ति

१०५७. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजनोता से डाबला और रामपुरा से डाबला रोड पर गैंगमैन लगा रखे हैं ?

(ख) यदि हां, तो कितने व कितनी दूरी के लिए ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(घ) क्या उक्त सड़कों की मरम्मत के लिये सरकार ने कोई अन्य व्यवस्था कर रखी है ?

(ङ) 'हां, तो क्या और नहीं तो क्यों नहीं ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां । सिर्फ पावटा से डाबला तक ।

(ख) चार ।

(ग) १८ मील की दूरी के लिए ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) इसका सम्बन्ध इस विभाग से नहीं है ।

(च) फेयर वेदर रोड पर लगभग वार्षिक १०० फी मील ।

(छ) जी हां । पावटा से डाबला तक ।

(ज) गैंगमैनों का मासिक वेतन छोटी मोटी मरम्मत व औजार आदि की खरीद में ।

(झ) जी नहीं ।

(ट) प्रश्न नहीं उठता । अर्थाभाव के कारण ।

(**नोट :** मूल प्रश्न में भाग 'च, छ, ज, झ व ट'' नहीं है जब कि सदन में उत्तर दिया गया है)

श्री रामकरणसिंह : 'क' में मेरा प्रश्न राजनोता से डाबला और रामपुरा डाबला तक की रोड पर गैंगमैनों के लिए था । पावटा से डाबला तक के लिए आपने सही फरमाया लेकिन राजनोता से डाबला और रामपुरा से डाबला तक के लिए क्या व्यवस्था है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उस पर अभी नहीं है ।

श्री रामकरणसिंह : राजनोता से डाबला तक की सड़क के रास्ते में कहीं भी गैंगमैन नही है, इसका क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जहां तक है मैंने बता दिया, बाकी में नहीं हैं ।

श्री रामकरणसिंह : क्या राजनोता से डाबला रोड डाइरेक्ट जाती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो है वह मैंने आपको बता दिया। चार गैंगमैन पावटा से दावला तक हैं।

श्री रामकरणसिंह : क्या सरकार यहां भी गैंगमैन रखने की व्यवस्था करेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पैसे की कमी है, इसलिए मुश्किल है।

श्री रामकरणसिंह : दो बसेज़ चल रही हैं, उनसे जो टैक्स का पैसा आता है, उसमें से भी खर्च किया जा सकता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा होता नहीं है कि जिस मोटर से सड़क का टैक्स आवे वह उसी पर लगा दें।

श्री रामकरणसिंह : दूसरी सड़कों के लिए ऐसी चीज़ नहीं है। हमारे इलाके में पहले सड़कें थीं वे भी खराब होती जा रही हैं। कोटपुतली के लिए ही ऐसी बात क्यों है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कई जगह की दिक्कतें हैं। कच्ची रोड पर कुछ मोटरें चला लेते हैं और उनको वे ही ठीक करा लिया करते हैं, खुद गैंगमैन रखते हैं। हमारे पास पैसे की कमी है और उनको मैन्टेन करने के लिए, हम रख नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

बापूनगर (जयपुर) में बिजली की व्यवस्था

१०५८. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालकोट) : क्या मंत्री बिजली विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर नगर तथा गांधीनगर के बीच में बसे हुए बापूनगर में कुल कितने नये मकानों में बिजली लग चुकी है ?

(ख) जिन लोगों के मकानों में बिजली लग चुकी है, उनमें कौन कौन उच्च सरकारी पदाधिकारी हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) ६४ नये मकानों को बिजली दी जा चुकी है।

(ख) जो पैसे जमा कराते हैं उनको दे दी जाती है, सरकारी और गैर सरकारी व्यक्तियों के आंकड़े अलग अलग नहीं रखे गये हैं।

प्रश्न संख्या १०५६.

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०६०.

श्री गिरधारी लाल।

(अनुपस्थित)

श्रीमती आनन्दी देवी।

पॉवर हाउस, बारां

१०६१. **श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया** (बारां) : क्या विद्युत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या स्वायत्त शासन विभाग में बारां शहर में पॉवर हाउस के निर्माण की कोई योजना विद्युत विभाग के सामने गत २ वर्षों से प्रस्तुत कर रखी है ?

(२) यदि हां, तो विद्युत विभाग द्वारा किये गये प्रयास से उक्त योजना से उक्त योजना के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई ?

Page No.12

(श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया)

(३) क्या सरकार द्वारा इस पॉवर हाउस का तख्मीना स्वीकार किया जा चुका है ? यदि हां, तो किस किस मद में कितनी कितनी रकम खर्च के लिये रखी गई ?

(४) पॉवर हाउस की बिल्डिंग व विद्युत लाइनों के लगाने का कार्य कब से शुरू हो सकेगा ?

(५) पॉवर हाउस कितनी अवधि में अपना काम शुरू कर देगा ?

विद्युत मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) हां।

(ख) १. आवश्यक एस्टीमेट बन चुके हैं।

२. केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग द्वारा १×१०० और १×१२५ किलोवाट सेट के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

३. विद्युत गृह के लिये स्थान नियुक्त कर लिया गया है तथा म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा की आवश्यक भवन ड्राइंग्स सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) द्वारा कार्य निर्माण कराने के लिये भेज दिये गये हैं।

४. दूसरे लाइन पदार्थों का प्रबन्ध किया जा रहा है।

(ग) इसका तख्मीना ३,३६,६४० रुपये का है जिसमें से १,४६,००० रु० की धन राशि बतौर कर्ज के नगरपालिका को दी गई है। ७०,००० रु० नगरपालिका ने अपने फंड से दिये हैं।

(घ) प्लान नगरपालिका को भेज दिये हैं और साइट पसन्द कर ली गई है। लाइन भी समय पर डाल दी जावेगी। इसके एस्टीमेट नगरपालिका को भेजे जा चुके हैं।

(ङ) भवन कार्य की समाप्ति पर; लगभग ६ माह की अवधि में पॉवर हाउस द्वारा अपना कार्य शुरू करने की आशा की जाती है।

श्री गोवर्धनसिंह : यह भवन निर्माण कब तक समाप्त हो जायगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : डेफीनेट टाइम तो नहीं कह सकता छः महिने में हो जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रश्न के भाग पांच में यह स्पष्ट है कि यह पॉवर हाउस कितनी अवधि में अपना काम शुरू कर देगा, इसका स्पष्ट उत्तर नहीं मिला है ?

श्री रामकिशोर व्यास : छः महिने में बताया।

चिकित्सालय कोटपुतली

१०६२. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) क्या यह सही है कि तहसील कोटपुतली में केवल दो ही अस्पताल व डिस्पेन्सरी हैं ?

(२) क्या सरकार तहसील की जनता के लिये अस्पताल व डिस्पेन्सरी की कमी अनुभव करती है ?

(३) यदि हां, तो तहसील के किस किस कस्बे व ग्राम में अस्पताल डिस्पेन्सरी और औषधालय खोलने का विचार है ?

(श्री रामकरणसिंह)

(४) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खुलने वाले अस्पताल व डिस्पेन्सरीज़ की सूची में तहसील कोटपुतली के किस किस गांव का नाम है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां, इसके अलावा डिस्ट्रीक्ट बोर्ड के आठ औषधालय हैं।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(४) पंचवर्षीय योजना के गत दो वर्षों में कोई नया अस्पताल व डिस्पेन्सरी तहसील कोटपुतली में नहीं खुली। अगले तीन वर्षों में खुलने वालों के नाम अभी तक तय नहीं हुये हैं।

श्री रामकरणसिंह : आपने पहले भाग में जवाब दिया, "जी हां" और उसके साथ साथ आपने यह भी फरमाया कि ८ औषधालय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो औषधालय हैं उनमें बराबर दवाइयां नहीं मिलतीं, दवा जो भी दी जाती है वह केवल नाम मात्र की होती है, वह केवल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के मेम्बरों को राजी करने के लिये खोला जाता है। इसके अलावा आपने यह भी फरमाया कि आप कमी अनुभव नहीं करते तो क्या दो जगहों पर औषधालय होना जहां कोटपुतली की जनसंख्या एक लाख के करीब है वहां राजकीय औषधालय केवल दो हैं क्या आप इसको काफी समझते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के औषधालय में राजकीय औषधालय से ज्यादा दवाइयां मिलती हैं। जहां राजकीय औषधालय में ६०० रुपया दवाइयों के लिये खर्च करते हैं, वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के औषधालयों में ७००, ८०० रुपये खर्च किये जाते हैं। जहां तक दवाइयों की कमी का सवाल है, उसको जहां तक हो सकेगा पूरा करने का प्रयत्न किया जायगा और आयन्दा तीन सालों में कहां डिस्पेन्सरी खोली जायगी इसके बारे में डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट से रिकमन्डेशन आने पर विचार किया जायगा।

श्री पी. के. चौधरी : दूसरे पार्ट का जवाब दिया, "जी नहीं, वहां की जनता कमी अनुभव नहीं करती;" यह आपने जानकारी किस प्रकार हासिल की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहां की जनता की जानकारी हासिल है।

श्री पी. के. चौधरी : कैसे हासिल की है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं वहां पड़ोसी रहा हूं।

श्री पी. के. चौधरी : वहां अस्पतालों की कमी वहां की जनता अनुभव नहीं करती है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कमी तो है ही, किन्तु सारे राजस्थान की पिक्चर को देखते हुए कमी नहीं है। वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा और सरकार द्वारा अस्पताल चालू हैं। दूसरी तहसीलों के मुकाबले में हम देखें तो वहां अपेक्षाकृत ज्यादा हैं फिर भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट कमेटी की रिकमन्डेशन मांगी है अगर उन्होंने रिकमन्ड कर दिया तो और अस्पताल खोले जा सकते हैं।

Page No.14

श्री बहादुरसिंह : जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के औषधालय हैं क्या उनका संचालन आप संचालक आयुर्वेद विभाग को देने के लिये तैयार हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा चलाये जाते हैं ?

वाटर वर्क्स, किशनगढ़

१०६३. **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) किशनगढ़ में वाटर वर्क्स का काम कब से चालू किया गया ?

(२) अब तक वहां क्या कार्य हो चुका है और किस-किस काम में कितना-कितना रुपया खर्च हुआ ।

(३) ये कार्य कब तक पूर्ण रूप से, तैयार होकर जनता को पानी देने लग जायेगा ।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) १६५५-५६ में ।

(२) पम्प हाउस २. क्लियर वाटर रिजर्वायर बन चुके हैं । २,६०,५३४ रु० ।

(३) सम्भवतः १६५६-६० तक ।

बुरासना बांध

१०६४. **श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री** (आमेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि गत वर्षों में बन्ध बुरासना की पाल को ठीक कराने का ठेका एक दलित जाति के व्यक्ति को दिया गया था ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि कार्य पूरा हो जाने पर भी उसका पेमेन्ट आज तक उसे नहीं मिला ?

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास : (क) जी हां ।

(ख) जी हां

(ग) काम स्पेसिफिकेशन के मुताबिक न होने के कारण चीफ इन्जीनियर सिंचाई विभाग ने यह निर्णय दिया कि पेमेन्ट न किया जावे ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : यह कार्य इन्जीनियर की देख रेख में हुआ था या उनकी अदम मौजूदगी में ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने निवेदन किया कि स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं किया ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : जिस समय काम हो रहा था उस समय सुपरवाइज़ करने के लिये गवर्मेन्ट का इंजीनियर नहीं रहता था क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : हर वक्त तो नहीं रहता था ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : जो काम किया गया वह मेज़रमेन्ट बुक में दर्ज किया गया, वह खराब किया गया या अच्छा ?

श्री रामकिशोर व्यास : खराब किया गया था, उसकी रिपोर्ट कर दी गई ।

श्री पी. के. चौधरी : स्पेसिफिकेशन के माफिक नहीं हुआ यह आपने कब डिटेक्ट किया ? काम के कम्पलीट हो जाने के बाद या इन्टरमिजियरी स्टेज पर ?

श्री रामकिशोर व्यास : मिट्टी जो डाली जानी चाहिये थी वह दूसरी जगह से लेकर डाली जानी चाहिये थी। मिट्टी जो डाली गई, वह वहीं से लेकर डाली गई।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह सही है कि इसका फाइनल बिल तैयार हो गया और इन्जीनियर ने पास भी कर दिया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : हो सकता है, किसी इन्जीनियर ने बना दिया हो। पास तो चीफ इंजीनियर के करने पर होता है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : पेमेंट नहीं होने के क्या कारण हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : चीफ इन्जीनियर ने एप्रूव नहीं किया।

लोअर स्टाफ-बी क्लास होस्पिटल्स

१०६५. श्री होतीलाल (भरतपुर) : Will the Minister for Medical & Public Health be pleased to state :

(i) What is the number of lower staff, e. g. compounders, Nurses, Sweepers etc. saparately sanctioned by the Government for 'B' Class Hospitals ?

(ii) What is the number of such staff provided at present in Victoria Hospital, Bharatpur and Hospitals at Kotah and Alwar ?

(iii) What is the number of beds at present in hospitals of Bharatpur, Kotah and Alwar ?

(iv) Does the Government contemplate to raise any one or all of the above mentioned hospitals to 'A' class hospitals ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : १. सरकार की ऐसी कोई पृथक स्वीकृति नहीं है जिससे कि कर्मचारियों की संख्या द्वितीय श्रेणी के अस्पतालों (बी क्लास अस्पताल) के लिये निर्धारित हुई हो। वर्गीकरण के आधार (रेशनेलाइज्ड बेसिस) पर द्वितीय श्रेणी के अस्पतालों में निम्न प्रकार से स्टाफ दिया जाता है :

नर्सेज व कम्पाउन्डर्स

प्रत्येक ८ रोग शय्याओं पर	१
प्रत्येक थियेटर पर	३
प्रत्येक अन्य विभाग में	२
प्रत्येक ५० घाव रोगियों पर	१
प्रत्येक ५० रोग शैय्याओं पर	१ ड्रेसर
१० प्रतिशत लीव रिर्जव	

विभाजन

६५ प्रतिशत	स्टाफ नर्स
२५ प्रतिशत	प्रथम श्रेणी के कम्पाउन्डर्स
१५ प्रतिशत	द्वितीय श्रेणी के कम्पाउन्डर्स

स. चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, मेहतरों के अतिरिक्त :

प्रत्येक ८ शैय्याओं के लिये	१
प्रत्येक आउटडोर के लिये	२

(२) भरतपुर, कोटा, अलवर में अस्पतालों में इस समय इनकी संख्या इस प्रकार है।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

	स्टाफ नर्स	कम्पाउन्डर्स	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
विक्टोरिया अस्पताल, भरतपुर	६	३६	५१
जनरल अस्पताल, कोटा	५	२७	३५
एलेक्जेंड्रा अस्पताल, अलवर	६	३३	६६

उपरोक्त अस्पतालों में शैय्याओं की संख्या क्रमशः १६१, १५० तथा १५० है।

४. जी हां। एलेक्जेन्ड्रा अस्पताल, अलवर को द्वितीय पंच वर्षीय योजना-काल में प्रथम श्रेणी का अस्पताल बनाया जा रहा है। कोटा में नया अस्पताल बन गया है।

श्री होतीलाल : भरतपुर के अस्पताल को ए क्लास का अस्पताल बनाने का सरकार का विचार नहीं है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जैसा कि आपसे पहले मैंने अर्ज किया जोधपुर, जयपुर, बीकानेर इनको ए क्लास का अस्पताल किया गया उसके बाद अजमेर और उदयपुर को किया गया, अलवर, भरतपुर से ज्यादा बड़ा है इसलिए पहले उसको किया जा रहा है, उसके बाद में आपके भरतपुर का नम्बर आयेगा।

श्री होतीलाल : मत्स्य का जब राजस्थान में विलीनीकरण हुआ उसमें तीन स्टेट्स थीं। भरतपुर, कोटा और अलवर, इन तीनों जगहों में से भरतपुर का अस्पताल सब से बड़ा था, तो वैसी हालत में जहां छोटे अस्पताल थे, उनको तो पहले ए क्लास का बना दिया गया भरतपुर को बाद में क्यों ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बड़ा अस्पताल आबादी के लिहाज से होता है और अलवर की आबादी भरतपुर से ज्यादा है, इसलिए पहले अलवर को कन्सीडर किया जा रहा है, भरतपुर को बाद में।

श्री जनार्दनराय नागर : ए० बी० सी० ये क्लासेज़ बनाने का आधार क्या है ! इसमें वैज्ञानिक आधार क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : शैय्याओं को आधार माना जाता है जहां पर ३०० से ज्यादा बैड्स हों, वह 'ए' क्लास का अस्पताल हैं और जहां १५० से २०० तक शैयाओं का प्रबन्ध हो, वह 'बी' क्लास का अस्पताल है और इसके नीचे 'सी' क्लास का अस्पताल है।

श्री जनार्दनराय नागर : यह वैज्ञानिक आधार नहीं, यह तो सुविधा का आधार आपने बताया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सुविधा का आधार ही वैज्ञानिक आधार है।

श्री श्रीमानसिंह : सरकार को यह कैसे पता लगा कि अलवर की आबादी भरतपुर से ज्यादा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें कोई शक की बात नहीं।

श्री मदनसिंह : आबादी के लिहाज से अस्पतालों की व्यवस्था रखते हैं या बीमारों के लिहाज से ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दोनों बातों का ध्यान रखा जाता है।

अलवर की आबादी भरतपुर से ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : तो फिर आप बता दीजिए न कि कितनी है ?

श्री बद्रीप्रसाद : आप बता दीजिए कह रहे हैं तो । नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही ।

श्री सतीशचन्द्र : यह आबादी बीमारों की ज्यादा है या वैसे जनसंख्या ज्यादा है ।

श्री बद्रीप्रसाद : आबादी की बता रहा हूं, बीमारों की नहीं बता रहा हूँ । इस हिसाब से तो जयपुर में अधिक बीमार हैं ।

(हंसी)

श्री पी० के० चौधरी : अलवर की फर्टीलिटी रेट क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद : बहुत ज्यादा नहीं है ।

श्री पी० के० चौधरी : कितनी है, पूछ रहा हूँ आप से ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

सड़क निर्माण, जिला उदयपुर

१०६६. श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जिला उदयपुर के गोगुन्दा, कोटड़ा, फलासिया, खरवाड़ा तथा सराड़ा तहसील में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी सड़कें बनाई जावेंगी ?

(२) क्या यह सही है कि स्वरूपगंज से वाया कोटड़ा खरवाड़ा जाने वाली रोड पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में योजना के अनुसार कार्य नहीं हुआ है और दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी अभी तक कुछ कार्य नहीं हो रहा है ?

(३) सम्पूर्ण कार्य कब तक पूरा होगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) (क) खेरवाड़ा कोटड़ा ग्रेवल रोड ।

(ख) गोगुन्दा से पीडवाड़ा ग्रेवल रोड ।

(ग) उदयपुर से सोम वाया झाड़ोल कोलीपारी व असासिया ग्रेवल रोड ।

(घ) सराडा से फलोदड़ा ग्रेवल रोड ।

(ङ) गोगुन्दा कोटड़ा ग्रेवल रोड ।

(२) कार्य अच्छी प्रगति पर है ।

(३) सन् १६५८-५६ में पूर्ण होने की आशा है ।

वकीलों द्वारा फौजदारी केसेज में ली जाने वाली फीस

१०६७. श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या सिविल केसेज की तरह फौजदारी केसेज में वकीलों की अधिक से अधिक फीसें मुकर्रर करने की कोई स्कीम सरकार के पास विचाराधीन है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : लीगल प्रेक्टीशनर्स एक्ट १८७६ की धारा २७ के अधीन हाईकोर्ट द्वारा दीवानी अदालतों में वकीलों की फीस को खर्च मुकद्दमे में जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम बनाये गये हैं । रेवेन्यु अदालतों के मुकद्दमों में वकीलों की फीस के बारे में ऐसे नियम रेवेन्यू बोर्ड, राजस्थान द्वारा बनाये जाते हैं । हाई कोर्ट तथा रेवेन्यू बोर्ड द्वारा बनाये गये नियम केवल मुकद्दमों के खर्च में जोड़ी जाने योग्य वकीलों की फीस

Page No.18

(श्री रामकिशोर व्यास)

निर्धारित करते हैं, परन्तु वकीलों द्वारा इन निर्धारित दरों अधिक फीस ली जाने पर कोई रोक नहीं है। इस एक्ट में वकीलों द्वारा अपने मवक्किलों से किये समझौते (Agreement के अनुसार फीस वसूल करने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

फौजदारी मुकदमों में वकीलों की फीस निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है। इस प्रकार के नियम बनाने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि फौजदारी मुकदमों में अदालतों द्वारा वकीलों की फीस खर्चे मुकद्दमों में नहीं जोड़ी जातीं। वकीलों को फौजदारी मुकद्दमों में अपने मवक्किलों से कितनी भी फीस वसूल करने का अधिकार है।

श्री बहादुरसिंह : क्या सरकार केवल अधिक फीस चाहती है, इसके बारे में कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : कानूनन कुछ नहीं कर सकते।

राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, मदनगंज

१०६८. **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या मदनगंज (किशनगढ़) स्थित राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय को वहां से उठाया जा रहा है ?

(२) अगर हां, तो क्यों तथा उसे कहां स्थानांतरित किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : १) जी नहीं।

(२) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सड़क निर्माण, जिला कोटा

१०६६. **श्रीमती आनन्दी देवी जेलिया** (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिले में मांगरोल इटावा रोड व घाणाहेड कैथून रोड अभी तक कच्चे रोड हैं और इन सड़कों पर यातायात में इस इलाके के काश्तकारों को असुविधा रहती है ?

(२) क्या सरकार इन कच्ची सड़कों को पक्का बनाने की आवश्यकता महसूस करती है ?

(३) यदि हां, तो अब इन सड़कों को पक्की बनाने का कार्य कब शुरू हो सकेगा ?

सार्वजनिक निर्माण-मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां, कच्ची हैं।

(२) वर्षा ऋतु में।

(३) जी हां।

(४) बाडोदा से इटावा तक द्वितीय योजना काल में पूर्ण हो जावेगा बाकी कार्य १६६०-६१ में प्रारम्भ होने की योजना है।

गरीबों के मुकद्दमों की मुफ्त पैरवी सम्बन्धी व्यवस्था

१०७०. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने गरीबों के मुकद्दमों की मुफ्त पैरवी करने के लिए कोई योजना बनाई है ?

(श्री सोहनलाल भटनागर)

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियांवित किया जावेगा ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या सरकार को यह विदित है कि कोई मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेन्स में, यह तय हुआ था ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, इस पर विचार किया गया था। इसके लिए नॉन ऑफीशियल एजेन्सी का सहयोग लेने की बात पर विचार हुआ था।

श्री श्रीभानसिंह : ऐसी कौन सी नॉन ऑफीशियल एजेन्सी है ? जो गरीबों की हैल्प करती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : बार एसोसियेशन वगैरह।

श्री सोहनलाल भटनागर : सरकार द्वारा भी कार्यवाही की जावे, ऐसा भी कोई निर्णय लिया गया था क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : अखबारों की खबरों से तो ऐसा ही कुछ था।

श्री सोहनलाल भटनागर : उस निर्णय के अनुसार क्या कार्यवाही की जा रही है।

(उत्तर देने से पूर्व ही अन्य प्रश्न कर्त्ता खड़े हो गये)

श्री पी० के० चौधरी : कौन कौन सी बार किस किस ने गरीबों की मुफ्त- मुकद्दमों में पैरवी की ?

श्री रामकिशोर व्यास : बहुत सी जगह की गई हैं।

श्री पी० के० चौधरी : मिसाल तो बता दीजिये।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : गजट रक्खा है !

श्री पी० के० चौधरी : मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कोई एकाध मिसाल तो बता दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : दस बीस मुकद्दमों की पैरवी तो मैंने की होगी।

(हंसी)

हरिजन बस्तियों के सुधारने की योजना

१०७१. श्री धर्मपाल (नोहर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार की अस्वच्छ हरिजन बस्तियों को सुधारने की कोई योजना है ?

(२) जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, व कोटा आदि में ऐसी कितनी बस्तियां हैं ?

(३) नगरपालिकायें इस दिशा में क्या कदम उठा रही हैं ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां।

(२) जयपुर में ६, जोधपुर में १०, कोटा में ८, उदयपुर में ७ और अलवर में ८ बस्तियां और बीकानेर में ३ बस्तियां हैं।

(३) जयपुर, अलवर, कोटा व उदयपुर

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

नगरपालिकाओं की स्लम क्लियरेन्स स्कीम बन पाई है जिसमें केवल अलवर व जयपुर की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है। दो जगह कोटा व उदयपुर की आनी बाकी है। और दूसरी जगह की स्कीम अभी नहीं बन पाई है।

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : जयपुर की कौन कौन सी बस्तियां ली गई हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जगहों के तो नाम मेरे पास नहीं हैं इस समय। पर वह अर्बन इम्प्रूवमेंट एरिया में है, यह जरूर है।

श्री धर्मपाल पंवार : बीकानेर में कौनसी जगह है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने सब म्युनिसिपैलिटी को चिट्ठी लिखी थी कि भारत सरकार ने ४५ लाख रुपया इसके लिये सेंक्शन किया है। इसमें म्युनिसिपल बोर्ड को १।४ कन्ट्रीब्यूट करना होगा। पर इसके लिए कोई बोर्ड तैयार नहीं। अब कन्ट्रीब्यूशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं कि हरिजन बस्तियां बसाई जा सकें।

श्री धर्मपाल पंवार : बीकानेर में कुछ रुपया दिया भी गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वे न स्कीम भेज रहे हैं न कन्ट्रीब्युशन देने को ही तैयार हैं।

श्री धर्मपाल : चार लाख रुपया बीकानेर में.......

(इसी बीच श्री रामचन्द्र वर्मा के बोलने को खड़ा होने पर)

श्री रामचन्द्र : कोटा में ... ...

श्री धर्मपाल : ठहरिये आप।

(हंसी)

दिया गया है, भारत सरकार की ओर से। वह कौनसा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो लो हाऊसिंग स्कीम का है।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या सरकार गांवों में भी कुछ बनाने का विचार कर रही हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले बड़े बड़ों का नम्बर आना चाहिये।

श्री रामचन्द्र : क्या कोटा की बस्ती के बारे में सरकार रुपया देगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

गंगापुर करौली रोड

१०७२, **श्री रिद्धिचन्द पाल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को मालूम है कि गंगापुर करौली रोड का पांच मील का टुकड़ा इतना अधिक खराब है कि यात्रियों को काफी कठिनाई झेलनी पड़ती है ?

(२) इस सड़क के टेन्डर कितनी बार हुए और क्यों कैन्सिल किये गये हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां, हालत ठीक नहीं है।

Page No.21

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(२) जी नहीं । कोई कैन्सिल नहीं किये गये । तीन बार टेन्डर्स मांगे गये । प्रथम दो बार किसी ने टेन्डर नहीं दिया । तीसरी बार स्वीकृत किये गये ।

पुलिस स्टेशन मदनगंज

१०७३. श्री रामनरायण वर्मा (पीपलदा) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि पुलिस स्टेशन मदनगंज पहरेदार के हाथ से कोई व्यक्ति बन्दूक छीन कर ले गया ?

(२) यदि हां, तो उक्त घटना कब हुई ?

(३) क्या इस सम्बन्ध में किसी की गिरफ्तारी हुई ? यदि हां, तो किसकी तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही चल रही है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी नहीं ।

(२) सन्तरी के हाथ में से बन्दूक नहीं छीनी गई । पर सन्तरी बन्दूक को दीवार के सहारे रखकर सो गया और चोर ले गया । दिनांक ५ व ६-६-५७ के बीच रात्रि में चुराई गई थी ।

(३) श्री नारायणसिंह और नाथू बावरिया ग्राम रारावाला थाना किशनगढ़, बंदी बनाये गये । नारायणसिंह को धारा १६६ भारतीय दंड संग्रह के अन्तर्गत और नाथू बावरिया को धारा ४६७ के अनुसार चालान किया गया और कार्यवाही की गई । पर कोई सबूत नहीं होने से उन्हें छोड़ दिया गया ।

श्री रामनारायण : बन्दूक का अभी पता नहीं लगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं ।

श्री रामनारायण वर्मा : सिपाही के विरुद्ध क्या एक्शन लिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसे सस्पेन्ड कर रखा है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने यह जांच की है कि जिससे मालूम हुआ कि दीवार के सहारे रक्खी थी या हाथ से छीन कर कोई ले गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जांच से मालूम हुआ, दीवार के सहारे रक्खी थी ।

श्री भैरोंसिंह : यह किस अधिकारी ने जांच की ?

श्री रामकिशोर व्यास : एस. एच. ओ. ने की ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एक पुलिस के थाने से हथियार गायब हो जावे तो पुलिस के सब इन्सपेक्टर की भी इन्डाइरेक्टली रेस्पोन्सिबिल्टी है कि वह सिपाही के काम की निगरानी रखे ।

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो फर्ज उसका है ही । पर डाइरेक्ट रेस्पोन्सिबिलिटी तो सिपाही की आती है ।

श्री भैरोंसिंह : यह तो ठीक है पर डाइरेक्टली जो रेस्पान्सिबिल है और जिसकी कुछ इन्डाइरेक्टली रेस्पोन्सिबिल्टी वहां के

Page No.22

(श्री भैरोंसिंह)

सब इन्सपेक्टर की भी आती हो तो उससे जांच क्यों करवाई गई ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री पी. के. चौधरी : उस थाने पर कितने कांस्टेबिल मुकर्रर हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जवाब तो देने दीजिये पहले का ?

श्री रामकिशोर व्यास : १०.

श्री भैंरवलाल कालाबादल : क्या यह सही है कि सिपाही को पीटकर बन्दूक छीनी गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सही नहीं है।

श्री भैरवलाल कालाबादल : क्या यह सही है कि सब इन्सपेक्टर और उस सन्तरी में अनबन थी, इसलिये सब इन्सपेक्टर ने ही ले ली वह बन्दूक ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह भी सही नहीं है।

श्री भैरवलाल : इसकी इत्तला सिपाही ने या चैकिंग अफसर ने दी ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसने खुद ने ही दी है।

श्री भैरोंसिंह : जिस वक्त बन्दूक गई, उसके कितने दिन बाद रिपोर्ट लिखाई गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : डिटेल रिपोर्ट तो मेरे पास नहीं है।

श्री पुरूषोत्तमलाल : क्या यह सही नहीं है कि सिपाही ने तो यह रिपोर्ट दी कि मुझसे खोसकर कोई ले गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

श्री मदनसिंह : इसका मतलब यह कि सही ढंग से जांच नहीं कराई गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : जांच हो रही है।

श्री भैरवलाल कालाबादल : सब-इन्सपेक्टर और सन्तरी में मनमुटाव था, इस-लिये सबइन्सपेक्टर ने वह बन्दूक उठवा दी ? क्या यह भी सही नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह भी सही नहीं है।

टोल टैक्स

१०७४. **श्री पृथ्वीराज पटेल (गंगापुर)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गाड़ियों से पंचायत क्षेत्र या म्युनिसिपल बोर्ड क्षेत्रों से गुजरने पर भिन्न भिन्न स्थानों पर टोल टैक्स वसूल किया जाता है ?

(ख) क्या सरकार कोई ऐसा उपाय करेगी, जिससे कि एक जगह उपरोक्त टैक्स वसूल होने पर, दूसरी जगह वसूल न किया जाय ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) एक पंचायत क्षेत्र से दूसरे पंचायत क्षेत्र में जाने पर गाड़ियों से दुहरा कर वसूल नहीं किया जाता है। परन्तु म्युनिसिपल क्षेत्रों में अभी तक ऐसा कर नियमानुसार वसूल किया जा रहा है।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(ख) पंचायतों की भांति म्युनिसिपल क्षेत्रों में भी दुहरा कर वसूल नहीं किया जाय, इस संबंध में कार्यवाही चल रही है।

श्री पृथ्वीराज पटेल : गाड़ियां एक गांव से दूसरे गांव में जाती है, तो जगह जगह पंचायतें जो सरकार द्वारा कायम की गई हैं वहां भी टैक्स ले लेते हैं, वहां भी ले लेते हैं। और यहां भी ले लेते हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पंचायतों को मना कर दिया है कि गाड़ियां एक पंचायत से दूसरे पंचायत के क्षेत्र में जायें, तो एक जगह से ज्यादा जगह टोल टैक्स नहीं ले सकतीं।

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल।

मत्स्य उद्योग

१०७५. **श्री सोहनलाल** (सलुम्बर) : क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मत्स्य उद्योग के विकास के लिए कितनी रकम रखी गई है?

(२) स्वीकृत रकम में से किस किस काम के लिए कुल कितनी रकम खर्च की गई है?

उप कृषि मंत्री (श्री दौलतराम) : (१) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मत्स्य उद्योग के विकास के लिए निम्न प्रकार रकम रखी गई है :

(क) शासन तथा कमचारी गण	३,४८,०३८—००
(ख) विकास कार्य	५,५१,५००—००
कुल योग	८,९९,५३८—००

(२) (क) शासक तथा कर्मचारीगण २०,८१६—८४

(ख) विकास कार्य के लिए ४,७९५—०४

श्री सोहनलाल : विकास कार्य के लिए कितनी रकम खर्च हुई?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अभी तक इसमें पूरा स्टाफ भरती नहीं किया गया है और जो कुछ स्टाफ भरती किया गया है, वह सर्वे के काम में लगा हुआ है। जब तक सर्वे का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक आगे काम चालू नहीं किया जा सकता।

डॉ० चन्द्रकला : इसमें लाभ की सम्भावना कितने पर्सेन्टेज की है?

श्री नाथूराम मिर्धा : पर्सेन्टेज तो केल्कुलेट नहीं किया है। जब टैंक में मछलियां तैयार हो जायेंगी तो निश्चय ही जो रकम अभी आती है उससे ज्यादा आयेगी।

श्री सोहनलाल : यह स्कीम कब से कार्यान्वित की गई है?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी चालू ही की है।

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुरसिंह।

धौलपुर नगर में घटित चोरियां

१०७६. **श्री बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) धौलपुर नगर में दिसम्बर ५७ व जनवरी ५८ में कितनी चोरियां किस किस की और कितने कितने मूल्य की हुई?

(श्री बहादुरसिंह)

(ख) उपरोक्त चोरियों में डा० खन्ना की चोरी किस स्थान से हुई, वह कोतवाली से कितनी दूर है ?

(ग) क्या यह सच है कि डॉक्टर के क्वाटर्स से चोरी पुनः हुई ? यदि हां, तो पूर्व की चोरी में कुन्दा नामक व्यक्ति पुलिस ने पकड़ा था और चोरी करना स्वीकार भी किया ? क्या यह भी सच है कि उक्त व्यक्ति पुलिस के हाथ से निकल गया ? यदि हां, तो इसके बारे में क्या कार्यवाही हो रही है ?

(घ) धौलपुर नगर की चोरियों में से कितनी चोरियों का पता लग चुका है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) दिसम्बर १६५७ में १ तथा जनवरी १६५८ में ११ चोरियां हुई जिनका विवरण इस प्रकार है :

१. श्री रामप्रसाद कोहली के घर से १२५ रु० १२ आने की।

२. श्री वी. पी. शर्मा के घर से ४७५ रु० की।

३. श्री ओमप्रकाश के घर से ४०० रु० की।

४. श्री राजेन्द्रमोहन के घर से २६ रु० १२ आने की।

५. श्री नन्ने के घर से ५० रु० की।

६. श्री करोरीमल के घर से १४४ रु० की।

७. खान्डेकर के घर से ६६ रु० की।

८. उत्तमसिंह के घर से ३०६५ रु० १० आने की।

६. रसूल बेग के घर से १२० रु० की।

१०. एन. एम. बद्धराज के घर से २०१ रु० ४ आने की।

११. डॉ. खन्ना के घर से दो बार ४०८० रु० तथा ६० रु० की चोरी हुई।

(ख) उनके निवास स्थान से जो कोतवाली से आधा फर्लांग दूर है।

(ग) जी हां, डॉ. खन्ना के घर से हुई पहली चोरी के संबंध में कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा गया। आगे प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ४ का पता लगा है। बाकी जेर तहकीकात है।

श्री बहादुरसिंह : यह जो कुन्दा नाम का व्यक्ति है उसको पुलिस ने पकड़ लिया था और वह फिर छूट गया।

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं।

श्री बहादुरसिंह : आपने जो ओम प्रकाश की चोरी के बारे में मूल्यांकन किया है, ४०० रु० का वह गलत है, क्योंकि उस एक मोटर साइकिल की कीमत ८०० रु० थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह कितनी पुरानी थी।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल।

पंचायतों में चुनाव संबंधी व्यवस्था

१०७७. **श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल)

(१) क्या सरकार को मालूम है कि पंचायतों में हाथ उठाकर वोट देने की प्रणाली से प्रत्येक गांव में दो दल हो रहे हैं, जिससे गांवों में सुशासन के स्थान पर कुशासन हो रहा है ? यदि हां, तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया जा रहा है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : बात ऐसी है कि इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

श्री भैरोंसिंह : इस पर विचार कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें जो कठिनाइयां हैं जैसे जनरल इलेक्शन की बात है, इसी तरह से विचार किया जायेगा ।

डॉ० चन्द्रकला : विचार किस तरफ किया जा रहा है ? उसको बदलने की दिशा की तरफ या इसको खत्म करने की दिशा की तरफ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इलेक्शन्स खत्म करने की बात नहीं है । इलेक्शन्स सीक्रेट बैलट से होना चाहिए, ऐसी बात है ।

श्री भैरोंसिंह : इसके लिए कोई कमेटी अपॉइन्ट की गई है या कैबीनट में इस पर विचार हो रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो रूल्स में अमेंडमेंट की बात है और दूसरे एक्सपेन्डीचर की बात है । दोनों बातों पर ही विचार हो रहा है ।

श्री भैरोंसिंह : इसको एग्ज़ामिन कौन कर रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह रिपोर्ट चीफ पंचायत ऑफीसर से मांगी गई है और डिप्टी सेक्रेटरी इलेक्शन्स भी इसको देखेगा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार की ओर से चीफ पंचायत ऑफीसर या डिप्टी सेक्रेटरी को ऐसे आदेश दिये गये हैं कि सरकार के सामने इस बारे में वह अपने विचार प्रकट करें ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : ऐसा कहा गया है कि उसके आधार पर रिपोर्ट भी हासिल हो गई है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार के पास ऐसे सुझाव आये हैं कि हाथ उठाने के बदले गुप्त मतदान प्रणाली को अपनाया जाये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यहां पर भी कई बार कहा गया है कि गुप्त मतदान होने के ऊपर विचार हो रहा है ।

डॉ० चन्द्रकला : यह विचार करके निश्चय पर पहुंचने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके जो फाइनल इम्प्लीकेशन्स हैं, वह जब तक प्राप्त नहीं होंगे, तब तक यह कठिनाइयां हैं । इसलिए विचार में विलम्ब हो रहा है ।

श्री गोरधनसिंह केन : क्या सरकार को यह पता है कि इस हाथ की प्रणाली से हरिजनों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मदनसिंह : बात यह है कि आप तो विचार कर रहे हैं और उधर लोगों के आपस में सिर फूट रहे हैं, आपस में बड़ी

(श्री मदनसिंह)

लड़ाइयां होती हैं। रात दिन पुलिस और गांव के लोगों के बीच में झगड़े होते हैं और आपके विचार हो रहे हैं। तो आपका विचार चालू रहे तब तक ऐसा किया जाय कि इलेक्शन्स को स्थगित कर दिया जाय या फिर इस प्रणाली को फौरन बदल दिया जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर ऐसी झगड़े की शिकायत कहीं से आती है तो उसको रोकते हैं, जब तक कि बहुत भारी झगड़ा न हो जाय तब तक ऐसी बात है कि जैसा मैंने कहा कि जनरल इलेक्शन्स की तरह खर्चा होगा, सारा काम उसी तरह का होगा। चुनाव कराना भी तो आवश्यक है।

श्री मदनसिंह : मैं आपको बताऊं कि बहुत झगड़े होते हैं। तहसीलदार की टाट भी पकड़ कर उल्टी कर दी गई।.....................

श्री अध्यक्ष : श्री लालूराम।

गिलोद घाट सड़क (टौंक)

१०७८. श्री लालूराम (टौंक) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि जिला टौंक में गिलोद घाट सड़क के बजाय खुर्रा बना देने की आज्ञा सरकार द्वारा दे दी गई थी ? यदि हां तो, कब ?

(२) उपरोक्त कार्य कब तक पूरा हो जायगा और उस पर कितना रुपया खर्च होगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

कत्ल के मुकदमे, (टौंक)

१०७९. श्री लालूराम (टौंक) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) कि जिला टौंक में सन् ५६-५७ में कितने कत्ल के केसेज़ पुलिस में दायर हुए ? यह घटनायें कहां कहां हुई ?

(२) पुलिस ने अब तक उन पर क्या क्या कार्यवाहियां की ?

(३) क्या यह सत्य है कि जिला टौंक में, अधिकतर हरिजनों के साथ ही कत्ल की घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या यह भी सत्य है कि टौंक सिटी में एक हरिजन महिला दिन दहाड़े कत्ल कर दी गई ? यदि हां, तो क्यों पुलिस ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाया ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) (१) जिला टौंक में सन् १९५६-५७ में १-४-५६ से ३१-३-५७ तक ? पुरानी टौंक से एक काली पलटन, टौंक से १ बरथाल ग्राम से एक राजमहल से इस तरह कुल ५ हत्याओं के प्रकरण की सूचनायें हुई थीं।

(२) इन पांचों प्रकरणों का पुलिस ने अनुसंधान कर लिया।

(३) जी नहीं, यह सत्य नहीं है। केवल एक प्रकरण में एक कोलन जाति की हरिजन स्त्री की हत्या हुई थी और हत्या का कारण पता नहीं लग सका।

(४) जी नहीं। उसकी हत्या दिन में नहीं हुई। किन्तु सम्भवतः या तो शाम को या

(श्री रामकिशोर व्यास)

रात में। और प्रयास के पश्चात् भी प्रकरण का पता नहीं लग सका।

श्री लालूराम : जांच किस अधिकारी ने की ?

श्री रामकिशोर व्यास : एस० एच० ओ० ने।

श्री पी० के चौधरी : मर्डर केसेज़ में इन्टेलीजेन्स डिपार्टमेंट से सहायता लेने में कोई अरेन्जमेंट होता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जिसमें जरूरत होती है, उनको कन्सल्ट कर लेते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : मर्डर केसेज़, जिनमें कलप्रिट को नहीं पकड़ पाते उनमें इन्टेलीजेंस डिपार्टमेंट को लेते हैं या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : आई० जी० पी० जिस केस में ठीक समझता है, उस केस में कर लेते है।

श्री पी० के० चौधरी : अब तक कितने केसेज़ में इन्टेलीजेन्स डिपार्टमेंट की सहायता ली ?

श्री रामकिशोर व्यास : कुछ पता नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : इसमें किया या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं नहीं कह सकता।

श्री श्रीभानसिंह : In view of the non detection of the murder cases, is the Government contemplating to open up a Homicide Squad here?

श्री रामकिशोर व्यास : अभी कोई विचार नहीं है।

श्री रामचन्द्र : आपने जो यह पांच केसेज़ कत्ल के बताये इनमें हरिजन कितने कत्ल हुए ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक।

आयुर्वेदिक औषधालय, मदनगंज (किशनगढ़)

१०८०. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या मदनगंज तहसील किशनगढ़ में कोई आयुर्वेदिक औषधालय चल रहा है ? यदि हां, तो किस ग्रेड का ?

(२) आयुर्वेदिक औषधालयों का ग्रेड किस आधार पर निश्चित किया जाता है ?

(३) क्या इस औषधालय को अन्यत्र ले जाने का सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां। मदनगंज, तहसील किशनगढ़, में आयुर्वेदिक चिकित्सालय चल रहा है, वह 'सी' ग्रेड का है।

(२) आवश्यकता के अनुसार।

(३) जी नहीं। इसको अन्यत्र ले जाने का सरकार का विचार नहीं है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : आवश्यकता का किस आधार पर निर्णय किया जाता है, बीमारों के अस्पताल में, एक अस्पताल वहां पहले से चल रहा है ।

Page No.28

सड़क निर्माण जिला बाड़मेर

१०८१. श्री रावतराम (बालोतरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला बाड़मेर में ग्राम चम्पा से वायतु व कालु से गिड़ाथाना, परेऊ कवलीये तथा पटोंवी तक जाने वाली सड़कों के कार्य अब तक चालू नही किये जाने का क्या कारण है ?

(ख) क्या सरकार उपरोक्त सड़कों के निर्माण कार्य शीघ्र ही चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) योजनानुसार चालू होगी ।

(ख) आशा है वर्ष १९५९-६० में ।

कोटा में गैर कानूनी बारूद का बरामद किया जाना

१०८२. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृहमंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि कोटा में एक मुसलमान औरत के घर से गैर कानूनी रूप से तैयार किया गया बारूद का सामान कोटा पुलिस द्वारा पकड़ा गया ? यदि हां, तो कब ?

(ख) उपरोक्त सामान किस स्थान पर पकड़ा गया और उस कारखाने का मालिक कौन है ?

(ग) क्या इस प्रकार से पहले भी कभी कोई सामान पकड़ा गया था ? यदि हां, तो कब और उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां । वह दिनांक ११-२-५८ को बरामद किया गया ।

(२) वह श्रीमती रामजीबाई पत्नि हबीब खां मुसलमान निवासी पटिया बाज़ार सराय कायस्थ कोटा के घर से बरामद किया गया और उस सामान का मालिक बदरूद्दीन पुत्र इब्राहीम बोहरा निवासी नायब कोतवाली टोपाटा की दुकान कोटा का था ।

(३) जी नहीं । इस प्रकार का सामान इससे प्रथम बरामद नहीं किया गया था ।

वैद्यों का वेतन स्तर

१०८३. श्री बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) आयुर्वेदिक विभाग में अ, ब, स, श्रेणी के वैद्यों व उपवैद्यों का वेतन स्तर क्या है ?

(ख) क्या राज्य सरकार स, श्रेणी के वैद्यों से अ श्रेणी के उपवैद्यों को योग्य समझती है ? यदि नहीं, तो स. श्रेणी का वेतन स्तर, अ. श्रेणी के उपवैद्यों से कम क्यों है ?

(ग) क्या एलोपैथिक विभाग में भी इस प्रकार का आचरण है ? यदि नहीं, तो आयुर्वेदिक विभाग के लिये ही ऐसा नियम क्यों है ?

(घ) आयुर्वेदिक विभाग के संचालक तथा डाइरेक्टर मैडिकल एण्ड हैल्थ के वेतन व अधिकारों में क्या-क्या अन्तर है ? क्या सरकार दोनों डाइरेक्टरों का स्तर समान करना चाहती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) आयुर्वेदिक विभाग में अ. ब. और स. श्रेणी के वैद्यों का वेतन स्तर निम्नलिखित है :

वैद्य 'अ' श्रेणी १५०-१०-२२० ई. बी. १०-२५०-१२.५०-३००.

वैद्य 'बी' श्रेणी ११०-५-१३५ से २२५.
वैद्य 'सी' श्रेणी ६०-४-८० ई. बी. ५-१२५-७.५० से १४०.

नोट : जो वैद्य भिषगाचार्य अथवा उसकी बराबर की योग्यता रखने वाले होते हैं उनको ६०) रुपये के बजाय ६०) रुपये मिलेगा। जो वैद्य सर्विस में हैं उनको भी यह योग्यता प्राप्त कर लेने पर एडवान्स इन्क्रीमेंट देकर उनका वेतन ६०) रू० कर दिया गया है। तथा उपवैद्य अ. ब. स. श्रेणी के नहीं है अपितु निम्नलिखित तीन श्रेणियों के हैं जिनके वेतन स्तर इस प्रकार हैं :

उपवैद्य सिलेक्शन श्रेणी ८०-५-१०० ई० बी० ५-१५० ।

उपवैद्य प्रथम श्रेणी ५०-३-८० ई० बी० ५-६० ।

उपवैद्य द्वितीय श्रेणी ४०-२-६० ।

(ख) जी नहीं। सिलेक्शन श्रेणी के उपवैद्य जिनको ८०-५-१२० ई. बी. ५-१५० का स्केल दिया जाता है उनके लिये यह आवश्यक है कि आयुर्वेदिक अथवा उसके समक्ष परीक्षोत्तीर्ण होने के साथ-साथ कम से कम १0 वर्ष की सेवा का अनुभव, प्राप्त होने का अतः यह स्पष्ट है कि 'स' श्रेणी के वैद्य का स्तर सिलेक्शन श्रेणी के उपवैद्य से न्यून का, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एलोपैथिक विभाग की स्थिति आयुर्वेदिक विभाग से भिन्न है। दोनों के नियमों में भी अन्तर है। वहां सिविल एसिस्टेन्ट सर्जन द्वितीय श्रेणी का वेतन स्तर २00-१0-४00 का है तथा प्रथम श्रेणी के कम्पाउन्डर का वेतन स्तर १00 से २५0 तक का है।

(घ) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संचालक का वेतन स्तर १६५0 से २000 तक का है व आयुर्वेदिक विभाग के संचालक का वेतन स्तर ५00 से ८५0 है। दोनों की कार्य की क्षमता व जिम्मेवारी के लिहाज से वेतन श्रृंखला निर्धारित की गई है। इनमें परिवर्तन करने का इस समय कोई, प्रश्न नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या डी. एम. एच. एस. आई. ए. एस. ऑफीसर हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके उत्तर की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि वह आई. ए. एस. ऑफिसर नहीं हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : दोनों ही विशेषज्ञ हैं तो दोनों के वेतन स्तर में इतना अन्तर क्यों है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह आवश्यकता के अनुसार होता है। मैंने अर्ज किया था और पहले भी शायद जिक्र किया था कि डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल हैल्थ की केडर के अच्छे डॉक्टर नहीं मिलते हैं। सीनियर स्पेशलिस्ट की ग्रेड के नहीं रखें तो छोड़कर चले जाते हैं और अच्छे डॉक्टर नहीं मिलते हैं, इस लिए रखे गये हैं।

श्री भानसिंह : डाइरेक्टर ऑफ हैल्थ की पोस्ट का एडवर्टाइज़मेंट किया गया था. क्या कि राजस्थान में एक डाइरेक्टर ऑफ हैल्थ चाहिए?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं। जो हमारे यहां सीनियर ऑफिसर होते हैं, उनको एपॉइन्ट करते हैं और वे इसी तनख्वाह में उपलब्ध होते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि वर्तमान डाइरेक्टर ऑफ हैल्थ की, वह क्वालिफिकेशन नहीं है, जो कि गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब की है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं, वे क्वालिफिकेशन्स हैं उनमें।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित जो क्वालीफिकेशन्स हैं, उनमें से उनमें कुछ क्वालीफिकेशन की कमी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं, ऐसी बात नहीं है। वे सीनियर स्पेशलिस्ट समझे गये हैं और पी. एस. सी. से सिलेक्टेड ऑफिसर हैं, उनको गवर्नमेंट एपॉइन्ट कर सकती है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि डाइरेक्टर ऑफ मेडीकल हैल्थ के लिए, जो क्वालिफिकेशन, प्रेस्क्राइब की गई हैं वे पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन्स वर्तमान डाइरेक्टर ऑफ हैल्थ में नहीं हैं।

श्री बद्रीसाद गुप्ता : अलग से कोई क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब नहीं की गई है। सीनियर स्पेशलिस्ट को गवर्नमेंट एपॉइन्ट करती है। डाइरेक्टर के लिए अलग कोई क्वालिफिकेशन नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी : आपने जब एडवर्टाइजमेंट किया तो कोई क्वालिफिकेशन स्पेसीफाई की होगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सीनियर स्पेशलिस्ट जो आलरेडी सिलेक्टेड पी. एस. सी. के हैं, उनकी सीनियोरिटी और योग्यता को देखते हुए गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है।

श्री भानसिंह : उनकी सीनियोरिटी और क्वालिफिकेशन के अगेन्स्ट में दूसरे मेडीकल डिपार्टमेंट के आदमी का रिप्रेजेन्टेशन था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं ऐसी बात नहीं है। उनकी सीनियोरिटी का मामला चल रहा है। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि डॉक्टरों की इन्टर से सीनियोरिटी का मामला पी. एस. सी. में गया हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या डाइरेक्टर ऑफ मेडीकल अपनी पोस्ट पर कन्फर्म्ड हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह प्रश्न अलग से है, किन्तु वे कन्फर्म्ड नहीं हैं। उनका केस पी. एस. सी. के अन्दर गया हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : उन्हें कन्फर्म्ड इसलिए नहीं किया गया है क्यों कि उनके पास प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उनका कन्फर्मेशन रिफ्यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए यह कहना गलत है।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : क्या वे इसलिए कनफर्म्ड नहीं हुए हैं। क्योंकि उनके पास प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन्स नहीं हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अभी अर्ज किया कि यह बात नहीं है।

Page No.31

श्री जनार्दनराय नागर : वेतन श्रृंखला के बारे में यह कहा गया कि आयुर्वेदिक और एलोपैथिक के दोनों के स्तर भिन्न-भिन्न हैं और ग्रेड अलग अलग हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह वेतन स्तर भिन्न-भिन्न क्यों हैं, यह ग्रेड अलग-अलग क्यों हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आवश्यकता के अनुसार लेते हैं। सीनियर स्पेशलिस्ट इस ग्रेड में भी एवेलेबल नहीं होते हैं। अभी हमने तीन पोस्ट्स के लिए एडवरटाइज किया था, उसमें भी एक आदमी मिला है। उस क्वालिफिकेशन के डॉक्टर्स एवेलेबल नही हैं क्योंकि उनकी फॉरेन की क्वालिफिकेशन्स होती हैं। क्योंकि एलोपैथिक की बड़ी-बड़ी डिस्पेन्सरीज में और अस्पतालों में अच्छे डॉक्टर नहीं मिलेंगे अगर हम तनख्वाह कम देगें और छोड़ कर चले जायेंगे। इसलिए मजबूरी है। हम तो चाहते हैं कि उनके बराबर हो।

श्री बहादुरसिंह : डाइरेक्टर ऑफ आयुर्वेदिक विभाग का ग्रेड क्यों नहीं बढ़ा देते ?

श्री जनार्दनराय नगर : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो जवाब रखा है वह सही नहीं है। वे वैद्यों को डॉक्टरों से नीचे मानते हैं और इसका कोई वैज्ञानिक आधार सरकार ने नहीं दिया दो तरह का स्तर बनाने का।

श्री अध्यक्ष : एक धोती पहनते हैं और एक पतलून पहनते हैं।

(हंसी)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय मंत्री महोदय स्वयं भी धोती पहनते हैं और वह भी टखने से ऊपर और उनको ८०० रु० मिलते हैं।

श्री माधोपुर व खण्डेला सहकारी समिति

१०८४. श्री **भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या सहकारी मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील श्री माधोपुर जिला सीकर में श्री माधोपुर व खण्डेला सहकारी समिति कितने वर्ष से कार्य नहीं कर रही है ?

(२) क्या यह सही है कि शेयर होल्डर्स के शेयर की रकम इन समितियों के ऑफिस बियरर्स में बाकी पड़ी है ?

यदि हां, तो किन किन में और कितनी कितनी ?

(३) इस रकम की वसूली के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उपमन्त्री (श्री दौलतराम) : (१) लगभग ५-७ वर्ष से काम नहीं कर रही है।

(२) जी हां, सहकारी समिति श्री माधोपुर में वसूल शुदा शेयरों की धनराशि २६४०) रु० है और वह रकम श्री चिरन्जीलाल राजोरिया के नाम निकल रही है। खण्डेला सहकारी समिति की वसूलशुदा हिस्सों की धनराशि में से १७३६) रु० ५ आना ६ पाई श्री शरफुद्दीन के नाम निकल रही है।

(३) श्री माधोपुर सहकारी भण्डार की रकम की वसूली के बाबत कोऑपरेटिव सोसायटी एक्ट १९५३ की धारा ५७ के अन्तर्गत कार्यवाही चालू है और खण्डेला सहकारी भंडार की रकम की वसूली के सम्बन्ध में श्री शरफुद्दीन को नोटिस दिया गया था, लेकिन उसको लेने से उन्होंने इन्कार कर दिया।

इसके लिए सहकारी अधिकारी सीकर को राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ५३

Page No.32

(श्री दौलतराम सारण)

की धारा ६७ के अन्तर्गत वसूली के लिए लिखा जा चुका है।

श्री भैरोंसिंह : कौन सी तारीख को लिखा था ?

श्री दौलतराम सारण : २८-३-५८ को।

श्री भैरोंसिंह : क्या ३ दिन पहले ?

श्री दौलतराम सारण : जी हां।

मैडीकल कॉलेज की स्थापना

१०८५. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या चिकित्सा व स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान में दूसरी मैडीकल कॉलेज की स्थापना के लिए कौन से स्थान पर निर्णय दिया है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : दूसरा मैडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय भारत सरकार ने नहीं बल्कि राजस्थान सरकार ने किया है और बीकानेर में खोलने का निश्चय किया है।

श्री मुरलीधर व्यास : कहां कहां पर खोलने का निश्चय किया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बीकानेर में खोलने का पहले कहा जा चुका है।

श्री मुरलीधर व्यास : कौन सी डेट को निर्णय हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें कोई शक की बात नहीं है, डेट अभी मेरे पास नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : कब से प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जल्दी खोलने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या आगामी नये सेशन से प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहां के लोगों ने भी धन राशि का सहयोग देने का वादा किया था, कमेटी के सामने। उसमें कहा गया है धन राशि देने के लिए और सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भी सहायता देने के लिए कहा गया है। इसका इन्तजाम होने के बाद स्टाफ और सामान आदि की व्यवस्था होने पर प्रारम्भ कर दिया जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह आश्वासन मिल गया है कि वहां पर बिल्डिंग और सारी चीजें मिल जायेंगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आश्वासन कमेटी को दिया गया था कि वे ३ लाख रुपये देने को तैयार हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : जब इस प्रकार का आश्वासन दिया जा चुका है कि बिल्डिंग और दूसरी सुविधायें उपलब्ध हो जायेंगी तो फिर खोलने में क्या दिक्कत है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सारी योजना के अनुसार जल्दी से जल्दी खोलने की कोशिश करेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : सवाल यह है कि अभी डॉक्टर्स और नर्सेज़ की कमी रहती है, सदन में भी इस तरह की बात बताई गई है तो हम जानना चाहते हैं कि सरकार इसके लिए कहां तक जागरूक है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सामान उपलब्ध करना पड़ेगा, स्टाफ के रिक्रूटमेंट के लिए पी० एस० सी० को पूछना पड़ेगा, नहीं तो अभी जैसा कहा था डाइरेक्टर ऑफ मैडिकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज़ के बारे में उसी तरह कहेंगे। इन सब बातों में समय तो लगेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि जल्दी से जल्दी खोल दिया जाय। कितने समय में खोल दिया जायगा, यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता।

श्री मुरलीधर व्यास : टाइम के बारे में निश्चित जवाब मिलना चाहिये कि कब होगा क्योंकि आपकी नीति तो है कि खोल दिया जायगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार और जनता दोनों के सहयोग पर निर्भर है। हमको भी इसके बिना नुकसान हो रहा है। सेन्ट्रेल गवर्नमेंट को भी लिखा गया है। हम जुलाई में खोलना चाहते हैं लेकिन कई कठिनाइयां हो रही हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या कठिनाइयां आपके सामने उपस्थित हो रही हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके बारे में मैं बतला चुका हूं।

मान नगर टाउन इम्प्रूवमेंट स्कीम झुन्झुनू

१०८६. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या झुन्झुनू नगर की माननगर टाउन इम्प्रूवमेन्ट स्कीम के सिलसिले में १९४४-४५ में झुन्झुनू नगर के कुछ लोगों की सम्पत्ति को लैंड एक्वीज़ीशन एक्ट के तहत में लिया गया था? यदि हां, तो किन किन लोगों की कितनी जमीन ली गई?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : झुन्झुनू नगर की माननगर टाउन इम्प्रूवमेंट स्कीम के सिलसिले में भूतपूर्व जयपुर राज्य के समय ४४—४५ में झुन्झुनू नगर के कुछ लोगों की लैंड, लैंड एक्वीज़ीशन एक्ट के अन्तर्गत ली गई थी, जिनकी लिस्ट संलग्न की जाती है।

उक्त लैंड का मुआवजा नहीं दिया गया सिर्फ एक व्यक्ति श्री चिरंजीलाल टीबड़ेवाला को दिया गया। कुछ प्लाट्स जनता को बेचे थे। लेकिन बाद में लीज सिस्टम कायम होने पर लोगों ने जमीन लेना शुरू नहीं किया। जिन लोगों ने रुपये जमा कराये वे संलग्न सूची में दर्ज है और जो कार्यवाही की गई वह भी दर्ज है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे सूची नहीं मिली। नोटिस ऑफिस में दर्याफ्त करने पर भी सूची नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष : बाद में ले लेना।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सप्लीमेन्ट्री कैसे पूछूंगा?

श्री अध्यक्ष : फिर पूछ लेना।

श्री श्रीमानसिंह : उस एक व्यक्ति को मुआवजा कब और किस तारीख को दिया गया?

श्री नाथूराम मिर्धा : तारीख अभी मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मेरे ख्याल से दे देना चाहिये !

एक माननीय सदस्य : पूरा मुआवजा दे दिया गया या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पूरा ही दिया होगा। जब देते हैं तो पूरा ही देते हैं, अधूरा नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : और व्यक्तियों को मुआवजा नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कई दिनों तक तो कागज ही गायब थे, जब कागज मिले नोर्मल एस्टिमेट आदि में देर लगी, अब उसका असेसमेन्ट वेल्युएशन वगैरह करना पड़ेगा।

श्री श्रीभानसिंह : Is the Hon' Minister in a position to assure the House that these gentlemen will get their compensation ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, मिल जायगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(प्रश्नोत्तर १०८७ के लिए कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

अल्पकालीन सूचना प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : एक अल्पकालीन सूचना प्रश्न है। श्री जनार्दनराय नागर।

उच्च माध्यमिक एवं बहुउद्देशीय पाठशालाओं से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा का प्रबन्ध

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि हायर सेकन्ड्री और मल्टीपपज स्कूलों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियोंको तीनसाला डिग्रीकोर्स के लिये प्रवेश प्राप्त न हो सकेगा और उन्हें इन्टरमीडियेट की परीक्षा देकर दो साल के डिग्री कोर्स के लिए जाना पड़ेगा ?

(ख) यदि हां, तो क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस निराशाजनक परिस्थिति के क्या कारण हैं और ये कारण उत्पन्न न हों और हायर सेकन्ड्री शिक्षण आयोजन प्रारम्भ करने के बाद उचित और आवश्यक रूप और भांति से विकसित हो सकें उसके लिये क्या स्थितियां उत्पन्न की गई हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि हायर सेकन्ड्री शिक्षण का अभ्यास-क्रम और पाठ्य-क्रम भलीभांति आज दिन तक नहीं बनाया जा सका है और जान-बूझ कर पुराने ढर्रे के शिक्षण स्थिर स्वार्थ इस प्रयत्न में है कि यह हायर सेकन्ड्री शिक्षण पद्धति विकसित न हो सके और असफल हो जाय ?

(घ) क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीनसाला डिग्री कोर्स लागू होने की कोई आशा नहीं की जा सकती और अब सरकार क्रमशः "स्टेटस को" बनाये रखने की गति में पड़ गई है ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) यह समस्या कि जो विद्यार्थी हायर सेकन्ड्री तथा बहुउद्देशीय स्कूलों से सन् १६५८ में पास होंगे उन्हें तीन वर्ष के डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष में प्रवेश मिले अथवा इन्टरमिजियेट के द्वितीय वर्ष में युनिवर्सिटी के विचाराधीन है।

(ख) कुछ काल पूर्व युनिवर्सिटी ने तीन वर्ष के डिग्री कोर्स चालू करने के लिये एक

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कमेटी बनाई थी। इसमें राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि भी बुलाया गया था। गत माह में युनिवर्सिटी ने यह राय भेजी है कि तीन वर्ष का डिग्री कोर्स तथा प्रियु-निवर्सिटी कोर्स दोनों ही जुलाई १६५६ में चालू किये जा सकें, तो यह उनकी राय में अच्छा होगा। इससे पूव चालू करने में यह कठिनाई है कि पाठ्य-क्रम तैयार नहीं है और पाठ्य पुस्तकें इतने थोड़े समय में उप-लब्ध नहीं हो सकेंगी। युनिवर्सिटी ने इसे आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखने के लिये सरकार से अनुरोध किया है और सरकार के तीन प्रतिनिधि; वित्त, विकास तथा शिक्षा विभाग में निर्णयात्मक रूप से बातचीत करने को बुलाये हैं। सरकार की यह धारणा है कि प्रियुनिवर्सिटी तथा तीन वर्ष के डिग्री कोर्स दोनों ही इसी वर्ष जुलाई १६५८ से चालू किये जा सकते हैं और किये जाने चाहिये क्योंकि इसमें देरी करने से हायर सेकन्डरी परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों पर इन्टर के द्वितीय वर्ष की परीक्षा दिलाने से पढ़ाई का अधिक भार पड़ेगा और वे अच्छे डिवीज़न लाने में सफल न हो सकेंगे। इसी उद्देश्य से राज-स्थान सरकार ने फौरन ही स्टेट एडवाइज़री बोर्ड की मीटिंग बुलाकर युनिवर्सिटी से फिर से बातचीत करने का निश्चय किया है। सरकार का यह भी ख्याल है कि प्रथम वर्ष में पड़ोसी राज्य जैसे दिल्ली के कोर्स की पुस्तकें इस वर्ष चालू की जा सकती हैं।

(ग) यह सही नहीं है कि हायर सेकन्डरी कक्षाओं का पाठ्यक्रम अभी तक नहीं बना है। इन कक्षाओं का पाठ्य क्रम सरकार ने सन् १६५५ में ही बना दिया था और उसी के आधार पर इस वर्ष विद्यार्थी ग्यारहवीं कक्षा की हायर सेकन्डरी बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं और यह पाठ्य क्रम सन् १६६० तक चालू रहेगा क्योंकि मौजूदा नवीं और दसवीं कक्षाएं भी इसी के आधार पर पढ़ाई कर रही हैं।

हायर सेकन्डरी बोर्ड नया पाठ्य-क्रम बनाने की पूर्ण रूप से व्यवस्था कर रहा है। इसके लिये उसने जनवरी १६५८ में ही एक कमेटी स्थापित की थी। स्कूलों के अध्यक्ष तथा शिक्षा विभाग के डिप्टी डाइरेक्टरों, इन्सपेक्टरों आदि के सुझाव भी पाठ्य-क्रम के विषय में बोर्ड ने मांगे हैं और फिर उनकी मीटिंग इसी ३० व ३१ मार्च १६५८ को हुई, अलग अलग विषय की कमेटियां बन चुकी हैं और ये अप्रेल में विचार-विनिमय करेंगी और मई में यह सब कार्य समाप्त होकर पाठ्य-क्रम तैयार हो जायगा जो जुलाई १६५८ से लागू होगा। इसके पढ़े हुए विद्यार्थी पहली बार सन् १६६१ की परीक्षा में बैठेंगे।

(घ) राज्य सरकार तीन वर्ष के डिग्री कोर्स को शीघ्रातिशीघ्र चालू करने के लिये पूर्णतया प्रयत्नशील है।

श्री जनार्दनराय नागर : जब ये हायर सेकन्ड्री स्कूलें राजस्थान में शुरू हुईं आज से दो ढाई साल पहले, तब सरकार ने इस बात के लिये क्या कोशिश की कि युनिवर्सिटी ३ साल का डिग्री कोर्स लागू कर दे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हम निरं-तर युनिवर्सिटी से कहते रहते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, युनिवर्सिटी आज इस वक्त तक इसी तरह की मनोवृत्ति में है और मामला अभी तक कमेटी स्टेज़ पर ही है तो मैं पूछना चाहता हूं कि यही व्यवस्था राजस्थान सरकार ने शुरू शुरू में ही युनिवर्सिटी से कह कर क्यों नहीं की और आज करीब करीब हजारों लड़के नये अमल से महरूम रह जायेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय सदस्य यह जानते हैं अच्छी तरह से कि इस व्यवस्था को करने की जिम्मेदारी युनिवर्सिटी पर है। राजस्थान सरकार उनसे कहती रही है, बार-बार जोर देती रही है, यही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की तरफ से भी कहा जाता रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

१२.२२ म० प०

राजधानी जांच समिति के प्रतिवेदन संबंधी

श्री पी० के० चौधरी (फुलैरा) : Will the Chief Minister be pleased to state :

(a) Has the Government accepted the recommendations of the Capital Enquiry Committee ?

(b) Are the recommendations binding on the Government ?

(c) When does the Government propose to implement the various recommendations of the Committee ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (a) Not yet.

(b) They are recommendatory.

(c) After the Government have considered recommendations and taken decision on them.

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that both the Chief Ministers of Ajmer and Rajasthan gave an undertaking to the Home Ministry before the committee was appointed, that the recommendations of the committee will be binding on both of them.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : This is not the decision of the Home Ministry.

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that both the Chief Ministers gave an undertaking to the Home Ministry about it ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जिस अंडरटेकिंग की बात कही जा रही है उस प्रकार की बात नहीं है। लेकिन यह मसला इस हद तक सौंपा गया था कि कमेटी के द्वारा इसकी पूरे तौर से जांच करवा लें और होम मिनिस्ट्री उस पर निर्णय दे, इस प्रकार की बात हुई थी।

श्री पी. के. चौधरी : Does the Government propose to have the report discussed in this House ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां इस सदन में चर्चा हो, उसके लिए एक दिन तय किया जायगा।

डॉ० चन्द्रकला : क्या ऐसी सम्भावना है कि सरकार कमेटी की सिफारिशों से भिन्न निर्णय ले ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी से अन्दाज लगाना उचित नहीं होगा।

डॉ० चन्द्रकला : मैं सम्भावना के लिए पूछ रही हूं, क्या ऐसी सम्भावना है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सम्भावना का मतलब अन्दाज लगाना निकलता है।

श्री पी. के. चौधरी : What course the Government will take if this Assembly decides against the recommendations of the Committee ?

श्री अध्यक्ष : No hypothetical questions please .

प्रश्न समाप्त हुए ।

(विराम)

श्री रामकिशोर व्यास ।

१२.२४ म० प०

विधायी कार्य

राजस्थान प्रेमिसेज (कण्ट्रोल ऑफ रेण्ट एण्ड एविक्शन) संशोधन विधेयक, १६५८
(पुरःस्थापन)

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान प्रेमिसेज़ (कन्ट्रोल ऑफ रेण्ट एण्ड एविक्शन) संशोधन विधेयक, १६५८ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

राजस्थान जन्म, मृत्यु तथा विवाह रजिस्ट्रीकरण विधेयक, १६५८
(खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री अध्यक्ष : अब कुछ विधेयक हैं जो विचारार्थ लिये जायेंगे । जो विधेयक नम्बर चार पर दिखाया गया है ।

"A Bill to further amend the Rajasthan Habitual Offenders Act, 1953."

इसे पहले लिया जायगा ।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो एजेन्डा है, उसके मुताबिक तीन दिन रखे गये हैं । उसमें जो ऑर्डर है, उसी ऑर्डर से हेबीचुअल ऑफेन्डर्स (संशोधन) विधेयक लिया जायगा, इसलिए जो हमें संशोधन देने हैं, उन्हें रोक रखा, क्योंकि हमने सोचा कि यह बाद में आने वाला है, तीन बिल के बाद में आने वाला है । मेरा ख्याल ऐसा है कि आपने यह समझ कर कि इस पर अमेंडमेंट नहीं है इसे पहले ले लिया है । मेरा निवेदन है कि इसमें हमें अमेंडमेंट देने हैं और काफी डिस्कस करना है । पिछली बार जब यह आया था, उस समय बहुत ही गरमागरम वातावरण बना था, इस बार भी कुछ गरमा-गरमी का अन्देशा है । ऐसी हालत में, ऐसी व्यवस्था दें कि जिस ऑर्डर में रखे हैं, उसी ऑर्डर में पहले तीन बिल्स ले लें ।

श्री रामकिशोर व्यास : उसी ऑर्डर में ले लिये जायें, जिसमें हैं ।

श्री अध्यक्ष : पहले लेने की व्यवस्था इसीलिये की गई थी कि अमेन्डमेन्ट नहीं आये थे ।

श्री तनसिंह : अमेंडमेंट हैं ।

श्री अध्यक्ष : सदन की इच्छा है तो बाद में ले लिया जायगा ।

(विराम)

(श्री अध्यक्ष)

श्री बद्रीप्रसाद ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान बर्थ, डैथस एण्ड मैरेजेज रजिस्ट्रेशन बिल, १९५८ विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह ।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर मैंने एक संशोधन रखा है : "That the Rajasthan Registration of Births, Deaths & Marriages Bill, 1958, be referred to a Select Committee (the names to be announced later) which shall submit its report in the first week of the next Session."

मेरा निवेदन इस विषय में यह है कि जहां तक कानून बनाने का सवाल है, वहां तक हमारे दिमाग में निश्चित रूप से यह बात होनी चाहिए कि जो कोई भी कानून बनाया जाय, वह संजीदगी के साथ, गम्भीरता से विचार-विमर्श करने के बाद बनाया जाय। किन्तु इस बिल का प्रभाव जो कुछ भविष्य में होने वाली बातों पर होगा, वास्तव में जिस मन्शा से यह बिल रख रहे हैं, वह मन्शा पूरी होगी या नहीं। मुझे खेद है कि हमारी सरकार जब कभी भी कोई विधेयक हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है तो उसकी इच्छा रहती है कि किसी प्रकार से यह विधेयक जल्दी से जल्दी पास किया जाय। उस विधेयक को ड्राफ्ट करने में सरकार वर्षों का समय लेती है, महीनों उसमें लग जाते हैं, लेकिन जब वह बिल हाउस में आता है तब उनकी इच्छा रहती है कि असेम्बली में आने के बाद वह बिल थोड़े समय में जल्दी ही पास किया जाय और पास किया जाना चाहिए। एक दलील यह भी राज्य पक्ष की ओर से दी जाती है कि यह विधेयक आम जनता के हित के लिए है, इसलिए इसे जल्दी पास करने की आवश्यकता है। यह विधेयक जो हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है, इसके लिए भी यह दलील राज्य पक्ष की ओर से दी जा सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस कानून के पक्ष में वह दलील नहीं दी जा सकती है। मेरा अभिप्राय है कि स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में यह बात स्पष्ट है, उसके पेराग्राफ दो में : "Registration of births and deaths under the Bill is optional and not compulsory." इसका अभिप्राय यह है कि हम एक ओर इस कानून को, इस विधेयक को पास करना चाहते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में एक बात है, यह है कि हमारे पास वाइड स्टेटिसिक्स हों। मैं समझता हूं कि हमारे प्रांत की बहबूदी के लिए, हमारे प्रान्तकी विकास योजनाओं के लिए यह आवश्यक है कि हम देखें कि बर्थ रेट और डैथ रेट में कितना अन्तर होता जा रहा है, पोपुलेशन कितनी बढ़ती जा रही है। इस ओर इस कानून के द्वारा कोई कदम उठाते हैं तो हमारे देश के नव-निर्माण के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। लेकिन जहां एक ओर कानून पेश करते हैं, उसी समय यह भी निश्चय करें कि यह कम्पलसरी नहीं है और अपनी इच्छा पर है, कोई डेथ या बर्थ रजिस्टर करवाये या नहीं करवाये। मेरा निवेदन यह है कि हमें विचार करना चाहिए कि किस प्रकार बढ़ती हुई आबादी को हम एबजोर्ब करें, किस प्रकार हम इस प्रकार की व्यवस्था करें कि जिससे सब को रोजी मिलती रहे? दूसरी ओर हमें यह भी देखना है, क्योंकि माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वे इस दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से

(श्री तनसिंह)

इसे देखें कि बीमारियों से मरने वालों के, इलाज के समय में मरने वालों के क्या आंकड़े हैं और इस प्रकार की बीमारियां कौन सी हैं, जो राजस्थान में नई फैल रही हैं। मैं समझता हूं कि जब तक इस प्रकार बर्थ और डैथ कम्पल्सरीली रजिस्टर नहीं होगी, तब तक यह अन्दाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि राजस्थान में जो मृत्यु होती हैं, उसके क्या विशेष कारण हैं और उन कारणों को दूर करने के लिए हमारे बजट में, हमारे कार्यक्रमों में क्या कोई विशेष चीज़ रखी है ? हम कह सकते हैं कि जो भी आंकड़े आज उपलब्ध होते हैं, वे मेडीकल विभाग से होते हैं और वे आंकड़े एक पक्षीय होते हैं इसलिए कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो राज्य के अस्पताल में इलाज नहीं करवाते, कई लोग ऐसे होते हैं जो अस्पताल में इलाज करवाने के बाद मर जाते हैं, लेकिन उस समय अस्पताल में नहीं रहते। इसलिए अस्पताल में कोई रिकार्ड नहीं रहता। कई म्युनीसिपैलिटीज़ में इस प्रकार की व्यवस्था है, जिससे मालूम कर सकते हैं कि मृत्यु के कारण क्या थे। हमारे लिये आवश्यक है कि हमारे स्वास्थ्य, राज्य की जनता के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को विचार में रख कर यह देखना चाहिए कि कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो राजस्थान में पहले नहीं थीं, और आज बहुत विस्तृत रूप में फैल रही हैं और उनकी रोक थाम के लिए कोई उपाय नहीं है। मैं समझता हूं कि यह बिल जो पेश हुआ है इससे इस दिशा में कोई लाभ नहीं हो सकता है। अगर आप डैथ्स और बर्थ्स के रजिस्ट्रेशन को कम्पल्सरी बना देते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इस प्रकार की सामग्री आ सकती है और उस सामग्री के ऊपर कोई निश्चित नीति बनाई जा सकती है, कुछ निर्णय आप ले सकते हैं। लेकिन खेद मुझे इस बात का है कि राज्य के पास इस तरह का अवसर होते हुए भी इसे कम्पल्सरी नहीं बनाया है। इस पर विचार सिलेक्ट कमेटी में किया जा सकता है और मैं समझता हूं कि गम्भीरता के साथ इस पर विचार करना चाहिए क्योंकि आंकड़े उपलब्ध करने के लिए इस व्यवस्था को बनाने से कम खर्चे में यह आंकड़े उपलब्ध किये जा सकते हैं। लेकिन डैथ और बर्थ के रजिस्ट्रेशन की बात कम्पल्सरी होनी चाहिए, यह बात इस कानून में नहीं है।

दूसरी बात यह है हम देखते हैं कि यह कानून जो आया है, इसमें यह है जो लोग डैथ और बर्थ रजिस्टर कराना चाहते हैं, वे करवा सकते हैं। मैं तो इससे यही अन्दाज़ लगा पाया हूं कि हम कुछ लिटिगेन्ट्स को, कुछ विजिलेंट लिटिगेन्ट्स को इस कानून के द्वारा लाभ पहुंचाना चाहते हैं, उनका हित साधन कर रहे हैं। दर असल बात यह है कि जो कानून बनाते हैं उनका लाभ आम लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी उनको लाभ मिलता नहीं है क्योंकि बहुत से लोग अपने अधिकारों को जानते नहीं हैं। बहुत से ऐसे कानून हैं, जिन्हें साधारण लोग समझ नहीं सकते, न उन्हें मालूम होता है क्योंकि आम तौर से लोगों में एक आराम करने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए अधिकारों के होते हुए भी वे उनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, इस प्रकार के कानून होते हुए भी फायदा नहीं उठाते हैं। आज जो डैथ और बर्थ रजिस्ट्रेशन का लाभ मिलने वाला है, वह लिटिगेन्ट्स को मिलने वाला है, जो इस कानून के द्वारा डेथ और बर्थ रजिस्टर करवाना चाहते हैं और इस कानून का लाभ उठाना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आम जनता इस प्रकार के

(श्री तनसिंह)

कानून से वाकिफ नहीं रहेगी, वे लोग ही वाकिफ रहेंगे जो येन केन प्रकारेण कानून के द्वारा, अपने अधिकारों के प्रति विजिलेंट रहने के कारण, जो उनके वास्तविक अधिकार हैं, उनका लाभ उठा सकेंगे और वे डैथ और बर्थ रजिस्टर करा लेंगे और बर्थ या डैथ सर्टिफिकेट दूसरी एवीडेन्स के मुकाबले में अधिक मान्य मानी जायगी। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक के द्वारा उन लोगों का हित साधन कर रहे हैं जो कानून के प्रति विजिलेंट रहते हैं और हमारे कानूनों के द्वारा अपना काम करना चाहते हैं।

वास्तविक रूप में हमें चाहिये यह कि यदि गांवों और शहरों में तो आम तौर से होते हैं पर गांवों में इस तरह की व्यवस्था करें जिसमें अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता नहीं। हमारा सारा एडमिनिस्ट्रेशन पंचायतों के आधार पर है, तो पंचायतों को यह अधिकार दिया जा सकता है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं कि जहां पंचायत नहीं हो, पंचायतों में यदि मृत्यु और जन्म के आंकड़े, तैयार करना चाहें तो इस तरीके से वास्तविक रूप में हर व्यक्ति को लाभ मिल सकता है।

इसके अतिरिक्त तीसरी बात यह है कि इस कानून को रखते समय कई ऐसी बातें हैं जिनका मेरे ख्याल से ध्यान नहीं रखा गया है, ध्यान पूर्वक कानून को नहीं रखा है। इसमें मैंने देखा है कि इसके कुल मिला कर २५ क्लॉजेज़ हैं, उनमें लगभग २० क्लॉजेज़ में शब्द प्रैस्काइब्ड और प्रेस्क्राइब आया हुआ है। कहीं कहीं तो यह बड़े रुचिकर ढंग से यह शब्द यूज़ किया हुआ है। क्लॉज ४ के सब क्लॉज (2) में लिखा है: "Notwithstanding the provisions of any other law for the time being in force, true copies certified in the prescribed manner of all entries of births, deaths and marriages registered under any other law for the time being in force shall be sent by the prescribed officer or authority at preseribed intervals to the said registry office as soon as after the entries are so made."

एक यह उदाहरण दिया है और कई ऐसे उदाहरण हैं जहां एक एक क्लॉज़ में प्रेस्क्राइब्ड टाइम, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी और प्रेस्काइब्ड वे आये हुए हैं।

एक दृष्टिकोण से देखा जाय तो प्रेस्क्राइब जहां जहां आया हुआ है वहां खाली जगह है, जिसको सरकार भरेगी। ये कानून के वाइटल स्पोट्स हैं जो एक अच्छे कानून के लक्षण नहीं कि "प्रेस्क्राइब" शब्द लिख कर खाली जगह सरकार के भरने के लिये रखदी जाय, खाली जगह रख दी जाय, और सरकार को उसकी मंशा माफिक भरने के लिये कहदें। यदि सरकार समझदारी से काम ले तो उन खाली जगहों पर उपयुक्त ही एन्ट्रीज़ होंगी और समुचित ढंग से खाना पूरी हो जायगी परन्तु अगर सरकार जान बूझ कर या और किन्हीं कारणों से और कोई विचार करेगी तो यह खानापूरी मनमाने ढंग से अनुचित रूप में भी हो सकती है। दो एक जगह मुझे इस बात का भय लग रहा है। एक जगह इल्लिजिटिमेट चाइल्ड के लिये लिखा है कि माता और पिता दोनों एन्ट्री को प्रेस्क्राइब्ड टाइम में साइन करेंगे। यहां गवर्नमेंट पर टाइम प्रेस्क्राइब करने का रखा है,

(श्री तनसिंह)

ऑर्डीनरीली यह भी नहीं होना चाहिये, बर्थ के बाद रीज़नेबल टाइम होना चाहिये। प्रेस्क्राइब करने में एक वीक, दो दिन, तीन दिन या चार दिन भी हो सकते हैं। माता-पिता दोनों के सिग्नेचर वहां मांगे जांय तो रीज़नेबिल टाइम होना चाहिये और यह देखना आवश्यक होगा कि वह रीजनेबिल टाइम क्या हो सकता है। एक स्त्री, प्रसव के बाद रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाकर दस्तखत करेगी तो इसके लिये कितना रीज़नेबिल टाइम रखा जाना आवश्यक है, यह सोचने की बात है। एक स्त्री प्रसव के तुरन्त बाद ही जाकर तो दस्तखत नहीं कर सकती। गवर्नमेंट बिना इस प्रकार की स्थितियों की जांच किये ही, ऐसे नियम बना सकती है, जिसमें स्थिति इस प्रकार विडम्बनापूर्ण हो सकती है।

ऐसे ही बर्थ्स और डेथ्स के लिये अलग रजिस्ट्रार्स होंगे, उनके ऊपर रजिस्ट्रार जनरल डेथ्स एण्ड बर्थ्स होगा, मेरीजेज़ के रजिस्ट्रेशन का काम रजिस्ट्रार्स के जिम्मे नहीं रखा गया है, तो पूरा का पूरा जिम्मा रजिस्ट्रार जनरल पर रखा गया है। वही रजिस्ट्रार जनरल डेथ्स एण्ड बर्थ्स को रजिस्टर करता है और जो रजिस्ट्रार्स हैं वे डेथ्स एण्ड बर्थ्स का रजिस्टर करेंगे, पर जहां विवाह को पंजीबद्ध करने का, रजिस्टर रखने का सवाल है वहां रजिस्ट्रार्स को अधिकार नहीं दिया है, रजिस्ट्रार जनरल को दिया है, उसके पास मेरीजेज़ का रजिस्ट्रेशन होगा, वह एक ही रखने का प्रावधान इसमें रखा है, ऐसी स्थिति में राजस्थान के दूर कोने में रहने वाला यदि अपने विवाह को रजिस्टर करवाना चाहे तो उसको विवाह का रजिस्ट्रेशन के लिये जयपुर आना पड़ेगा क्योंकि हम जान सकते हैं कि जयपुर में ही उसका हैडक्वार्टर होगा। ऐसी सूरत में कितनी दिक्कत हो सकती हैं इसका अन्दाज लगाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि जिन रजिस्ट्रार्स को डेथ्स एण्ड बर्थ्स को रजिस्टर करने का अधिकार दिया है उन्हीं को विवाह को भी रजिस्टर करने का अधिकार दिया जाना चाहिये। लेकिन मन्त्री महोदय कह सकते हैं कि डेथ्स और बर्थ्स के रजिस्ट्रेशन का जिम्मा साधारण आदमियों का रह सकता है और डैथ्स और बर्थ्स के रजिस्ट्रेशन के लिये पंचायतों के पंच लोग भी हो सकते हैं, इसलिए विवाह के रजिस्ट्रेशन का जिम्मा किसी जिम्मेदार ऑफीसर के पास रहना चाहिये तो कलेक्टर्स को यह अधिकार दिया जाना चाहिये पर इस कानून में मेरीजेज़ के रजिस्ट्रेशन के लिये इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है।

माननीय अध्यक्ष, यदि किसी गाड़ी में केवल फर्स्ट क्लास ही हों तो वहां थर्ड क्लास और सेकिन्ड क्लास का कोई सवाल ही नहीं रहता। फर्स्ट, सेकिन्ड और थर्ड एक दूसरे से सम्बन्धित हैं, इसलिये सेकिन्ड और थर्ड नहीं हों तो फर्स्ट लिखने की भी आवश्यकता नहीं। तो जहां पर कोई रजिस्ट्रार हो नहीं हो, वहां रजिस्ट्रार जनरल रख कर एक साधारण सी बात जो हर एक साधारण व्यक्ति के समझ में आ सकती है, उसको इसमें क्यों छोड़ दिया गया है ?

यदि यह समझ लें कि इस रजिस्ट्रार जनरल को ही रजिस्ट्रार मान लेना चाहिये पर क्लॉज़ ८ में इन दोनों का अधिकार दिया है : "The Registrar General shall exercise a general superintendence over the Registrars in the State and over officers and authorities charged with the duty of registration of births, deaths and marriages under any law relating to local authorities."

(श्री तनसिंह)

तो जहां तक सुपरिन्टेन्डेन्ट्स का सवाल है, वहां इसमें स्पेसिफाई नहीं किया है। रजिस्ट्रार जनरल कौनसा ? एक रजिस्ट्रार जनरल मेरेजेज़ का और एक रजिस्ट्रार जनरल डैथ्स एण्ड बर्थ्स का, ये दोनों रजिस्ट्रार जनरल ही कहलायेंगे । जहां तक डेफिनिशन का सवाल है वह इसमें बताया गया है : " 'Registrar General' means any officer appointed as such under Section 4." और सेक्शन ४ में एक ही रजिस्ट्रार जनरल नहीं, दो हैं। इसके अन्दर यह मुझे सरप्लस लगता है। इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल होना चाहिए। उसके नीचे मेरेजेज़ का विभाग होना चाहिए, लेकिन यहां पर दो विभाग कर दिये गये हैं। पर दोनों को बराबर के अधिकार नहीं दिये गये हैं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ मेरेजेज़ है उसको तो सुप्रिन्टेन्डेन्स का प्रश्न ही पैदा नहीं होता क्योंकि हमने रजिस्ट्रार को मेरेजेज़ का अधिकार नहीं दिया है। जब उस पर सुप्रिन्टेन्डेन्स का प्रश्न पैदा नहीं होता तो आखिर रजिस्ट्रार जनरल का पहले वाले से संबन्ध है तो यह बात साफ नहीं है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आखिर सरकार की यह मंशा है कि दो रजिस्ट्रार रखे जावें तो डुप्लीकेसी होती है और फालतू खर्च होता है। दो नहीं रहें और एक ही रहना चाहिये तो यह बात इसमें साफ नहीं है। इसलिए मैं यह समझता हूं कि सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये और सिलेक्ट कमेटी इस पर विचार करे कि कि हम इस स्थिति पर एक मत हैं या नहीं कि डेथ, बर्थ और मेरेजेज़ का रजिस्ट्रेशन कम्पलसरी हो और अगर कम्पलसरी होता है तो उसको ऐसा नहीं करने पर क्या सजा देनी चाहिये। जो यहां पर फाल्स इन्फोमेशन के लिये या कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करावेगा उसके लिये नहीं है। जब सजा नहीं रखेगी तो इस कानून के द्वारा राज्य सरकार को पब्लिक के लाभ से क्या प्रयोजन है ? जब यह केवल ओप्शनल रखा जाता है तो केवल उन्हीं लोगों के हित साधन होंगे जो समय पर इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन करा कर लाभ उठाने को तैयार होंगे। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसके बारे में साफ क्लिअर बात होनी चाहिये, सेलियेन्ट फिचर्स हों और इसके लिये इसको सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिये। मैं नहीं समझता कि माननीय मंत्री महोदय की तरफ से इसके लिये क्या एतराज हो सकता है। माननीय मंत्री महोदय ज्यादा से ज्यादा यह जवाब देंगे कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज कर लम्बा करने की कोई जररत नहीं है, मगर मैं यह कहूंगा कि कानून के मामलों में, कानून के विषयों पर जितना भी लम्बा हो सके, जितना समय लग जावे लग जाना चाहिये, वह समय का दुरुपयोग नहीं होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि हम अन्धाधुन्द कानून तो पास करते हैं और फिर देखते हैं कि उसी वर्ष में उसके संबन्ध में कई एमेन्डन्ट लाते हैं। आज राजस्थान कोड बने हुए कितना समय हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि वह १६५४ में बना है उसके बाद से सन् १६५७ तक जो भी एमेन्डमेंट हुए, उसकी जो भी सीरीज निकली उसको देखें तो आपको मालूम होगा कि करीब १।२ है और आगे ५८ में कितने एमेन्डमेन्ट करेंगे यह देखने की बात है। इसलिये हमारा यह निश्चित मत होना चाहिये कि एमेन्डमेंट करने के लिये, हम तैयार नहीं है और खास कर इस प्रकार के हेफहेज़ार्ड केसेज़ में। हमको एमेन्डमेन्ट तभी करने चाहिये जब

(श्री तनसिंह)

एमेन्डमेन्ट करना बहुत ही आवश्यक हो। जिस समय उसको पास किया जाए, उसी समय उसको अच्छी तरह से देख लेना चाहिये कि कहां कहां एमेन्डमेन्ट हो सकते हैं और उन पर उसी समय विचार कर लेना चाहिये। मगर राज्य सरकार की तरफ से क्या होता है कि पहले तो बिल पास करा लिया जाता है और जिस समय हाई कोर्ट में रिट हो जाती है या मुकदमा दायर हो जाता है और डिफिकल्टी आती है तो उस समय फिर एमेन्डमेंट लाये जाते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि उस कानून को पास होने के बाद साल भर में फिर हमें इतना का इतना समय उसके एमेन्डमेन्ट में लग जाता है। इसलिये अच्छा तो यह हो कि पहले ही एक्सटेन्सिव कानून बनावें। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जितने भी बिल्स सिलेक्ट कमेटी को रेफर हुए है, उनमें बहुत कम समय सदन में पास होने में लगा है। इसके अलावा उसके एमेन्डमेन्ट भी बहुत देरी से आते हैं और बहुत कम आते हैं और जो आते हैं वे बहुत आवश्यक होते हैं तब आते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाना चहिये।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने राजस्थान रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स, डेथ्स एण्ड मेरेजेज़ बिल, १६५८ सदन में रखा है, इस संबन्ध में मैं कुछ अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं। पहले तो माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो मेरेजेज़ का कानून बना है उसका पूरे राष्ट्र ने विरोध किया है इससे यह साफ है कि यह कानून जनता के लिये, कितना हितकर है और जनता के लिये कितना सुविधाजनक है तथा इसमें जनता की राय किस हद तक प्राप्त है। मगर खैर, यह विधेयक इसलिये लाया गया है कि इससे माननीय मन्त्री महोदय की यह मंशा है कि जनता को सुविधा मिले। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस कानून की विचारधारा पर आज से २००-३०० वर्षों से विरोध हुआ और हमारी माताओं ने अपना शरीर त्याग कर भी इस विचारधारा का विरोध किया। क्या उसी कानून की पूर्ति के लिए, ये ठीक ढंग से जनता में लाने के लिये, बिल में सुविधाएं रखी हैं ?

आज की सरकार धर्म, संस्कृति और मर्यादा को ताक में रख कर यह कानून बनाये और उसकी सुविधा के लिये एक बिल भी बनाया जा रहा है। ठीक है, अगर यही मशा है कि कानून बनाया ही जाय, अब यह कानून तो बन चुका और इससे पब्लिक को सुविधा होनी चाहिये। मगर देखने से ऐसा मालूम होता है कि इससे तो पब्लिक को सुविधा नहीं दुविधा हो जाएगी। इसकी सुविधा तभी होती जब रजिस्टर मेन्टेन किया है तो उस रजिस्टर की कॉपी हर एक नागरिक को मिल सके और यह काम किसके हाथ में होना चाहिये, यह लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के हाथ में होना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी इस क़ानून का उपयोग लोग कर सकें। लेकिन हम यह देखते हैं कि इस बिल के पास होने के बाद में एक नया ऑफिस खुलेगा और सरकार को उसमें कई अधिकारियों को रखना होगा। इससे सरकार का खर्चा बढ़ेगा। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम खर्चे से तंग आ रहे हैं और हमारे पास पैसा नहीं है और दूसरी तरफ इस तरह के विभाग खोलना चाहती है। इससे खर्चा तो बढ़ेगा ही। मगर मैं कहूँगा कि यह एक फालतू सी चीज होगी

(श्री मदनसिंह)

कि रजिस्टर मेन्टेन करने के लिये एक नया डिपार्टमेंट कायम करना कहां तक वाजिब हो सकता है ? जब कि पंचायतें और म्युनिसिपैलिटीज़ इसको आसानी से मेन्टेन कर सकती हैं और पब्लिक को जिस तरह जरूरत पड़े उस माफिक आराम से, सुविधा दे सकती हैं। इसलिये मैं तो यह कहता हूँ कि इसके अन्दर यह चीज होती है कि दूसरा ऑफिस न खोल कर सारे पॉवर्स एल..एस. जी. को दे दिये जावें तो यह काम आसानी से हो जाता है और आसानी से पब्लिक को इसकी कॉपीज़ मिल जावेंगी और गवर्नमेंट को ज्यादा खर्चा भी नही करना पड़ेगा।

इसके अलावा माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इससे और भी भ्रष्टाचार बढ़ेगा। क्योंकि किसी को एक कॉपी चाहिये तो अलग ऑफीसर होगा तो उस गरीब आदमी को जहां कहीं से यह कॉपी मिलती होगी, जा कर वह कोपी चाहेगा और उस समय उसका जो इन्चार्ज होगा, वह यह समझेगा कि इस आदमी को इसकी कोपी की बहुत ज्यादा जरूरत है। वह उसी वक्त उससे कहेगा कि यदि तुम ५) रु० देते हो तो यह नकल तुमको आज ही मिल सकती है वरना यह नकल तुमको एक सप्ताह बाद मिलेगी। इसकी नकलों की कई कई केसेज़ में जरूरत पड़ेगी। इसलिये भ्रष्टाचार फैलेगा और हर एक आदमी अपनी कोपी को एक्स्ट्रा पैसे दे कर लेगा और जनता भ्रष्टाचार बढ़ेगा। आज भी म्युनिसिपैलिटीज़ और पंचायतों के पास इससे भी अधिक बड़े अधिकार हैं और वे उनको ठीक ढंग से पालन कर रहे हैं। इसलिये यह मामूली सी चीज़ है इसके अधिकार म्युनिसिपैलिटीज़ और पंचायतों को दे दिये जावें ताकि पब्लिक को ठीक ढंग से कॉपी मिल सके।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें डाइवर्स का कहीं भी शब्द नहीं लिखा है। आपने मेरेजेज़ का शब्द ही लिखा है। जब डाइवर्स होगा उस समय क्या होगा ? एक एक स्त्री के तीन तीन पति मौजूद मिलेंगे और बड़ी मुश्किल सामने आवेगी। टीकू नाम की स्त्री की शादी रामू से हुई। उसने रामू को छोड़ कर अलादीन से शादी कर ली। लेकिन डाइवर्स का शब्द नहीं लिखा है। जब डाइवर्स के सम्बन्ध में, इसमें कुछ नहीं है तो वह किसकी स्त्री रहेगी, इस पर विचार करना होगा। इसलिये इसके संबन्ध में जब प्रश्न आयेगा तो इसकी मिट्टी पलीत होगी। इसलिये यह भी जरूरी है कि ड्राइवर्स के लिये रजिस्ट्रेशन में नाम होना चाहिये। जब तक ड्राइवर्स का नाम नहीं होगा इसमें बड़ी गड़बड़ी सी हो जावेगी।

इसलिये मैं यह समझता हूँ कि इसको सिलेक्ट कमेटी में न भेज कर दो चार बातों को यहीं पूछ कर या इसको वापिस लेकर दो एक चीजों की पूर्ती करके रखें। दो ही चीजों की गलती मिली है ! एक तो यह कि इसमें डाइवर्स का कुछ नहीं है और दूसरी बात यह कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज़ को अधिकार दे दिया जावे। अन्यथा एक एक जिले में भी आप एक एक अधिकारी रखेंगे तो भी २५–२६ ऑफिसर हो जावेंगे और फिर भी जैसे अध्यक्ष महोदय, जन्म-मरण और परण ये रात-दिन के काम हैं, नित्यप्रति सुबह होते ही रहते हैं, हर एक गांव में करीब–करीब होते ही रहते हैं, सारे गांवों के लिए यदि ऑफिस तहसील में या डिस्ट्रिक्ट में होगा तो लोग उसके पास जावेंगे, हजारों की भीड़ वहां लगेगी और हजारों रुपयों का

(श्री मदनसिंह)

नुकसान करेंगे और यदि ये रजिस्टर पंचायतों से या म्युनिसिपैलिटियों से मेन्टेन हुए तो आसानी से वहां पर उन लोगों से कापियां प्राप्त की जा सकेंगी इसमें दूसरी सुविधा यह रहेगी कि जहां जहां म्युनिसिपैलिटियां है वहां-वहां पर वार्ड बने हुए हैं और हर एक वार्ड में मेम्बर होते हैं उनको हर एक आदमी के यहां, जन्म, मरण और शादी इन तीनों का पता भी लग सकता है और वे आसानी से इस कार्य को कर सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि यह सिलेक्ट कमेटी में न जाकर इसको दो तीन दिन के लिए मंत्री महोदय वापिस ले लें और जो विचार यहां इस पर रखे जाते हैं उनको वे नोट कर लें और यहीं पर विचार होकर रखे जांय तो यह अच्छा रहेगा। यह भी विचार करना जरूरी है कि इन रजिस्ट्ररों को मेन्टेन करने के लिए आॅफिसेज़ खोलेंगे उनमें फालतू खर्चा होगा, जब कि हमारे खुद के पास रुपयों की कमी है और यदि खर्च करना ही है तो अन्य बहुत से विकास के कार्य हैं, जिन पर खर्च किया जा सकता है, जिससे गरीबों की भलाई हो सकती है। इसलिए इस प्रकार से अलग आॅफिसेज़ खोलने से रुपयों का दुरुपयोग होगा और कोई विशेष लाभ भी नहीं होगा। यह पता नहीं कि मंत्री महोदय के कुछ ऐसे आदमी रह गये हों, जिनको यह पोर्स्टें देकर चुगा डालना हो तो यह दूसरी बात है। अपनी पार्टी में से दूसरी चीजें रख रहे हैं जिससे चुगा पानी करेंगे तो मैं समझता हूँ कि राज्य में ऐसे आॅफिसेज़ की स्थापना नहीं होनी चाहिए।

इसमें दूसरी बात यह रखी है कि 'डेथ एण्ड बर्थ' तक रजिस्ट्रेशन को कम्पल्सरी नहीं रखा है। इसको आॅप्शनल रख गया है। इसमें जन्म और मरण के लिए कोई पाबन्दी नहीं रखी गई है, अध्यक्ष महोदय। इसलिए यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यह बिल केवल मेरेजेज़ के लिए ही है। इसलिए इसको म्युनिसिपैलिटी और पचायतें अच्छी तरह से मेन्टेन कर सकती हैं।

इसके अलावा एक बात समझ में नहीं आई अध्यक्ष महोदय, इस बिल में यह लिखा हुआ है कि "A Bill to provide for the voluntary Registration of certain births and deaths. 'सर्टन' शब्द क्यों लगाया है ? सबका उसके अन्दर जिक्र नहीं है। 'सर्टेन' लिखा हुआ है। What is this certain. इसको मंत्री ने पढ़ लिया होगा। सर्टन का मतलब है कि कोई तरह की मृत्यु होगी तो वह दर्ज होगी। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि दो-तीन दिन शान्ति से लाॅन पर विराज कर मत्री महोदय इसको सोच लें। उसके बाद यहां पर उसका विचार किया जाय, इन सब बातों का समावेश करके। यह जनता के लिए है। इसको लोकल बोडीज़ को दे देना चाहिए। इससे इसमें अधिक खर्चा भी नहीं होगा, ऐसे मेरे विचार हैं।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में देने का जो सुझाव है, मैं समझता हूँ, वह ठीक नहीं है। जहां तक इसमें लेकुना की बात है मेरे पूर्व वक्ता ने बतायी है। डाइवर्स को इसमें रखा नहीं गया इसलिए एनोमलस पोज़िशन हो सकती है।

दूसरी बात, जिस मकसद से यह बनाया जा रहा है, अगर मैं उसको ठीक समझा हूँ तो यह बात है कि डेथ और मेरिजेज़ इसका

(श्री पी० के० चौधरी)

वालन्टरी बेसिस पर रजिस्ट्रेशन का इन्तजाम कर रहे हैं, उसके लिए यह नहीं है कि हम बर्थ, डेथ और मेरिजेज् का रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। रिकार्ड इसलिए रखना चाहते हैं कि हर देश की एक डेमोक्रेटिक पिक्चर, स्टेटिस्टिक्स हमारे सामने आ जायं। दूसरे देशों के फर्टीलेट ट्रेन्ड हैं उनकी जांच कर सकें। इसके लिए यह बिल जरूरी है। जब तक ऐसा नहीं होता है यह चीज़ नहीं होती है; तो इस बिल का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं निकलता है। बर्थ, डेथ और मेरिजेज् इन तीनों का रजिस्ट्रेशन हमारी प्लान्ड इकोनोमी में होना जरूरी है, इसका रिकॉर्ड रहना चाहिए और वह ट्रू कम्पलीट रिकार्ड हो। वालेन्टरी रिकार्ड नहीं किन्तु ट्रू और कम्पल्सरी रिकार्ड होना चाहिए। फर्टीलेट ट्रेन्ड के स्टेटिस्टिक्स होने चाहिए और वालेन्टरी रूप में नहीं कर सकते हैं। कानून जब बनाते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि उसको वॉलेन्टरी बेसिस पर रखना चाहिए। वॉलेन्टरी रखने के बारे में सरकार की ओर से शायद यह दलील हो सकती है कि लोग बाग इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कराने के आदि नहीं हैं, बड़ा उनमें झगड़ा फैलेगा, लोग रेसिस्ट करेंगे और इसीलिए इसको वोलेन्टरी किया है और आगे साल दो साल बाद इसको पर्मानेन्ट कर देंगे। लेकिन जिस तरह से रजिस्ट्रेशन का सिस्टम रखा है, उसको देखते हुए गवर्नमेंट की ओर से बड़ा भारी ऑर्गेनाइजेशन सेट अप करना पड़ेगा। लोकल एरिया में लोकल रजिस्ट्रार नियुक्त करने का है। मैं यह कहता हूं कि "It will be a vary vast organisation." दरअसल हमारा इसके द्वारा मकसद यह है कि हमारे प्रांत में बर्थ, डेथ और मेरेजेज् की ट्रू पिक्चर होनी चाहिए। वास्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, It will be a very big and vast organisation. यह इफेक्टिव बनाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस प्रकारके ऑर्गेनाइजेशन को सेट अप करने के लिए तो फन्ड्स हैं। लेकिन दूसरे डेवलपमेंन्ट के कामों को करने में, इस प्रकार से, इस पैसे को भी उसमें लगाया जा सकता है, जिसके लिए नहीं है और इस ऑर्गेनाइजेशन पर पैसा खर्च करना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जनरल रजिस्ट्रेशन तो सेन्टर होना चाहिए लेकिन इस बिल में लोकल रजिस्ट्रार को अपाइन्ट करने का प्रोविजन रखा गया है, उनके जो फन्क्शन्स होंगे, मेरा यह सुझाव है कि उनको पंचायतों को और म्युनिसिपैलिटीज़ को दिया जा सकता है और उस हालत में म्युनिसिपैलिटीज़ और पंचायतों के लिए यह जरूरी होगा कि विजुअलाइज़ किया गया है, उसको रजिस्टर करेंगे और जनरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में उसकी इत्तला भेज देंगे। यह पंचायतों और म्युनिसिपैलिटीज़ को ही देना चाहिए और उनको देने से यह इफेक्टिव भी हो सकता है। इससे कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं होगा। पोस्टेज़ का खर्चा हो सकता है जिसके लिए म्युनिसिपैलिटीज़ और पंचायतों में इस खर्चे को मीट करने के लिए प्रोविज़न हो सकता है। पंचायतों और म्युनिसिपैलिटीज़ की ओर से जो रिकॉर्ड होगा that will be more nearer the true fact.

करेक्ट फीगर्स पंचायतों और म्युनिसिपैलिटियों के द्वारा ही मिल सकेंगे बनिस्बत इसके कि अलग लोकल रजिस्ट्रार अपॉइन्ट करें। उनको न तो इतने साधन दे सकेंगे और न कोई रजिस्ट्रेशन कराने जावेगा डेथ, बर्थ और मेरेजेज का। सिर्फ बाहर बताने के लिए कि हमारे प्रांत में भी एक ऐसा कानून बना दिया

(श्री पी० के० चौधरी)

है, साइन्टिफिक कदम उठाया है, बर्थ, डेथ और मेरेजेज डाइवर्स के स्टेटिस्टिक्स कलेक्ट करने के लिए यह कदम उठाया है, हम यह दे सकेंगे। ऐसा यह बताने के लिए यह तो ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यह केवल शो ही होगा। लेकिन बाकी की जो चीज़ हम चाहते हैं of all the births and deaths वह इसमें नहीं मिलेगी। इसलिए मैं तो यह समझता हूँ कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये। जो इन सब आस्पेक्ट्स की जांच करे, इसका फाइनेन्शियल कम्पोज़िशन क्या होगा ? इसको सेट अप करने के लिए कितना स्टाफ चाहिये। वह हम प्रोवाइड कर सकेंगे या नहीं। आज जब कि प्रायोरिटी हम डेवलपमेंट के कामों को दे रहे हैं वैसी हालत में इस आर्गेनाइजेशन को सेट अप करने के लिए प्रायोरिटी दे सकेंगे या नहीं, इतना पैसा खर्च कर सकेंगे या नहीं ? जहां तक फण्ड के डिस्ट्रिब्युशन का सवाल है, यह सब कमेटी के सामने होगा तो वह इन सब बातों पर विचार कर सकती है। जिस ढंग से आप विज़ुलाइज़ करने जा रहे हैं उसके अनुसार एक एक तहसील में या सब डिवीज़न में एक लोकल रजिस्टर रखेंगे तो इससे कभी भी यह पोसीबल नहीं होगा कि बर्थस डेथस आदि का बराबर रेकॉर्ड रख सके। इसमें जो प्रोवीज़न है उसके अनुसार लोग बाग जाकर वहां दर्ज करायेंगे, तो मैं आप से यह पूछना चाहता हूं। क्या आपने इस प्रकार की साइकोलोज़ी क्रिएट कर ली कि लोग खुद व खुद जाकर डेथ्स वर्थ मेरेजेज़ वगैरह रजिस्टर करवायेंगे ? जब तक कम्पलशन नहीं होगा और वह भी पंचायतों और म्युनिसिपैलिटियों को अधिकार नह देंगे, तब तक आपको ट्रू रेकॉर्ड नहीं मिल सकेगा और जिस मकसद से आप यह बिल ला रहे हैं, वह मकसद पूरा नहीं होगा। All births, deaths and marriages shall compulsorily be required to be registered.

१. १ म० प०

इस बिल के दो मकसद हो सकते हैं एक यह कि जिस वक्त कोई केस अदालत में चलता हो उस समय लॉ केसेज़ के लिए रेकार्ड का होना जरूरी है। पोपुलेशन ट्रेन्ड (Trend) को रीड करने के लिए भी यह आवश्यक है। आज हम जितने भी प्लान्स ड्राफ्ट करते हैं, सब पोपुलेशन बेसिस पर करते हैं। लेकिन जिस रफ्तार से पोपुलेशन बढ़ रही है, उसको देखते हुए हमारे सामने यह प्रोब्लम है कि हम तीसरी पंच वर्षीय योजना तक इस प्रोब्लम को सोल्व नहीं कर सकते। यह तो और ज्यादा बढ़ता जायगा। आज हमारे देश के सामने सब से बड़ा प्रोब्लम पोपुलेशन का है, it is the bieggest problem we are facing आप फर्टीलिटी को कन्ट्रोल नहीं कर सकते जब तक कि आप पोपुलेशन को कन्ट्रोल नहीं करते। आप जो फर्स्ट फाइव इयर प्लॉन में पर हैड कलरिक वेल्यू देते हैं उतनी ही सेकन्ड और थर्ड प्लॉन में भी उतनी ही देंगे। लेकिन इस देश में पोपुलेशन जिस तेजी से बढ़ रही है थर्ड प्लॉन तक जाकर ४०-४५ करोड़ तक पोपुलेशन पहुंच जायगी। आज जो हम अन्दाज लगाते हैं उसमें फर्टीलिटी के ट्रेन्ड्स की सही जानकारी नहीं मिलती। और इसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए बर्थस, डेथ्स और मेरेजेज़ वगैरह के रजिस्टर रखने के लिए यह बिल लाया जा रहा है, इससे क्या होगा कि हमें अपने देश की फर्टीलिटी ट्रेन्ड की डेमोक्रेटिक पिक्चर हमारे सामने रहेगी और उसी के जरिये पोपुलेशन को साइन्टिफिक

Page No.48

(श्री पी० के० चौधरी)

जरिये से स्टेन्ड कर सकेंगे। अगर हमें ऐसा करना है तो सर्टन बर्थस, डेथ्स एण्ड मेरेजेज़ डाइवोर्सेज़ रिक्वायर्ड टू बी रेकेर्डेड और वह भी वॉलन्टियरी न होकर कम्पल्सरी होनी चाहिए। लेकिन कम्पलसरी इसको करने के लिए इसके ऑर्गेनाइजेशन को सेट अप करने के लिये आपके पास फंड्स नहीं हैं। आज फंड्स की एजुकेशन में और विकास कार्यों में बहुत जरूरत हैं। इसलिए मैं समझता हूं जो बर्थस डेथ्स एण्ड मेरेजेज़ डाइवर्स का जो यह बिल लाया गया है, वह यूटोपिक बिल है यह वालन्टियरी बिल है, इसलिए इसका वही हाल होगा जो शारदा एक्ट का हुआ है। शारदा एक्ट के अनुसार छोटी बच्चियों की शादी नहीं हो सकती, किन्तु सैकड़ों की तादाद में मास मेरेजेज़ हुआ करती हैं। हालांकि शारदा एक्ट वालन्टियरी एक्ट नहीं है फिर भी उसमें इस प्रकार की धारा है कि अगर कोई आदमी शिकायत करता है तो गवर्नमेंट उसकी कॉगनीजेन्स लेगी। हालांकि शारदा एक्ट कम्पलसरी एप्लीकेबल टि आल है। फिर भी कॉगनीजेन्स सरकार नहीं लेती। नतीजा इसका यह हुआ कि कितने ही वर्ष शारदा एक्ट को लागू हुए हो गये, लेकिन इसका इम्पलीमेन्टेशन नहीं हो रहा है। मैं समझता हूँ, यही हाल इस कानून का होने वाला है इसका फेट भी शारदा एक्ट की फेट की तरह होने वाला है। इसलिये इसको कम्पलसरी बना देना चाहिए। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इन सब बातों पर विचार करने के लिए इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेज देना चाहिए और इसको कम्पलसरी करना चाहिए और ये फंक्शन्स म्युनिसिपैलिटी और पंचायतों को देने चाहिए।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जन्म, मृत्यु और विवाह के रजिस्ट्रेशन का जो बिल सदन में प्रस्तुत हुआ है, उसके बारे में मेरा कथन है कि किसी भी देश या प्रदेश में जन्म और मरण के आंकड़े इसलिये रखे जाते हैं कि उस देश या प्रान्त की आर्थिक स्थिति किस किस प्रकार सुदृढ़ की जा सकती है। उस देश में स्वास्थ्य की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं, वहां कितनी जन्म की तादाद है और कितनी मृत्यु की तादाद है। लेकिन यह जो बिल पेश हुआ है, इस बिल में इन चीजों को अनिवार्य नहीं बनाया गया है वैकल्पिक रखा है जिसकी मर्जी आये वह रजिस्टर कराये नहीं तो नहीं कराये। मैं नहीं समझता कि ऐसे बिल के लाने की क्या आवश्यकता थी। जब की राजस्थान बने दस साल हो गये, जिसकी मर्जी आयी उसने मृत्यु दर्ज करवा ली जिसकी मर्जी आई जन्म दर्ज करवा लिया। यह जो बिल ला रहे हैं, उस बिल से हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे यहां हर साल कितने बच्चों का जन्म होता है उनकी संख्या को देखते हुए हमें यह सोचना होगा कि हमारे प्रदेश का आर्थिक ढांचा किस प्रकार सुधर सकता है। लेकिन जहां इस बिल को अनिवार्य न रखकर वैकल्पिक रखा गया है यह ठीक नहीं है। इसमें यह भी बताया गया कि जो इल्लेजीटीमेट चाइल्ड होगा उसके बारे में यदि दोनों की मर्जी होगी तो उसका रजिस्टर किया जायगा। मेरा इसमें यह निवेदन है कि अगर दोनों की मर्जी हुई तो वसीयतनामा ही वह करके जायगा। वैसी हालत में यह बिल जो सदन में लाया गया है, उससे प्रदेश को फायदा होने वाला नहीं। जब तक कि हम इसको अनिवार्य नहीं कर देते।

जहां तक विवाह का तात्लुक है यह बिल इन्डियन क्रिश्चियन एक्ट और हिन्दू मेरेजेज़

Page No.49

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

एक्ट व स्पेशल मेरेज एक्ट इन तीनों के बारे में ही है, विवाह के बारे में इतना खराब नहीं है। जहां तक जन्म मृत्यु का सवाल है, अगर इसको कम्पलसरी रेकार्ड करने को रखा जाय तो हमारे देश का भला हो सकता है। जब हमारा देश गुलाम था, उस समय तो स्वास्थ्य की रक्षा के लिये जानना आवश्यक नहीं था लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब से हमारी सरकार बनी है, उसकी यह रेस्पोन्सिबिलिटी है कि वह जांच करे कि मृत्यु की संख्या ज्यादा बढ़ने का क्या कारण है। जन्म की संख्या क्या है, कितनी बालिकाओं का और कितने बालकों का जन्म हुआ, यह सब बातें जानने लायक हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को जहां वैकल्पिक रखा गया है वहां अनिवार्य रखा जाय इसलिये इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजना जरूरी है। इस बिल को पास करने का यह मतलब नहीं कि जिसकी मर्जी आये वह तो जाकर नाम रिकार्ड कराले और जिसकी मर्जी में न आये वह न कराये। इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। इसलिये इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : जो बिल हमारे सामने रक्खा गया है, मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। हम देखते हैं कि जन्म और मरण के लिये हमारी नगर पलिकाओं ने प्रबन्ध कर रक्खा है। अब केवल प्रश्न यह रहता है मेरेज का। इसमें मेरेज का का भी जिक्र है।

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, सदन का कोरम नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आज सब इलेक्शन में लगे हुए हैं साहब, इसलिये अच्छा हो हाउ को एडजोर्न कर दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : एडजोर्न सा ही है।

डॉ० चन्द्रकला : पर यह परम्परा ठीक नहीं होगी कि कोरम नहीं है और कार्यवाही चालू रहे।

(अल्प विराम के अनन्तर कुछ सदस्यगण का सभास्थल में प्रवेश करने पर)

श्री रामकिशोर व्यास : (गृह मन्त्री) जी, कोरम है।

श्री दयाकृष्ण विजय : पर इसके क्लॉज ४ (ए) को पढ़ते हैं तो मालूम होता है : "Indian christian Marriages Act, the parsi Marriages Act, the special Act. ये जो मेरेंजेज इनके अन्तर्गत होंगी, उनको रजिस्टर किया जावेगा। तो इनके अलावा और जो मेरेंजेज हैं, उनके लिये भी ऐसा ही प्रावधान हो सकता था। जहां तक स्पेशल मेरेज एक्ट का प्रश्न है वह तो स्वयं रजिस्ट्री से होते हैं। उनका तो इस तरह रजिस्ट्रेशन हो ही जाता है। इसलिये कहूंगा जो दूसरा रजिस्ट्रेशन का दफ्तर आप अगर खोलना चाहते हैं तो उससे यह खर्चा ही बढ़ेगा।

दूसरी इसके सम्बन्ध की धारा १५ है कि कौन सूचना देगा। अब इसके अन्दर आपने यह नहीं लिखा कि किसी एक आदमी को सूचना देनी ही चाहिये। Any of the following persons may give notice of... जब हमने कई आदमियों पर सूचना देने का प्रावधान रक्खा है तो हर आदमी सोचेगा कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वह सूचना दे देगा, दूसरा सोचेगा पहले वाले ने दे दी होगी या दे देगा। तो सब की जिम्मेदारी में किसी की

(श्री दयाकृष्ण विजय)

जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इसलिए या तो आप एक आदमी पर जिम्मेदारी डालें या प्रीफेरेन्शल आॅर्डर से जिम्मेदारी डालें कि वह पहले देगा, वह नहीं हो तो दूसरा देगा उसकी अनुपस्थिति में तीसरा देगा, इस तरह से क्रम बांध देना चाहिए। पर आपने रख दिया :

"Any of the following persons can" तो यह व्यवहारिक नहीं होगा। या तो आपके दफ्तर में रजिस्ट्रेशन कराने को दस जने आ जावेंगे या एक भी नहीं आ पावेगा। तो इस डिफेक्ट को दूर किया जाना चाहिए। प्रिफेरेन्शल आॅर्डर हो जाना चाहिये।

दूसरी बात है दफ्तर कब खुलेगा, कब नहीं खुलेगा, इसका उल्लेख नहीं है। आपने रीज़नेबल टाइम का लिखा है। पर यह रीज़नेबल टाइम बड़ा गोल माल है। तो इतना ढीला कानून नहीं बनाना चाहिये। क्योंकि काफी लूप होल रहने से मामला अगर कोर्ट में गया तो निर्णय करने में बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं और इस कानून की मंशा ही समाप्त हो जावेगी। इसलिये पहले से ही ठीक बना दें तो अच्छा है।

इसके बाद जैसा दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा वैसा विवाह का उल्लेख तो इसमें है, पर विवाह विच्छेद का उल्लेख नहीं है। एक आदमी अपना विवाह का सर्टीफिकेट लेता है पर बाद में विवाह विच्छेद कर लिया तो वह सर्टीफिकेट क्या मूल्य रखेगा। उल्टे कन्फ्यूजन और पैदा करेगा। इसलिये मेरा निवेदन करना यह है कि यह बिल अपूर्ण है, कई जगह अस्पष्ट भी है, इसलिये इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजना जरूरी है।

एक बात और बताना चाहता हूँ। इसमें क्लॉज़ १४ सब क्लॉज़ (बी) है :

"He shall not enter in the register the name of any person as father of an illegitimate child, except at the request of the mother and of person acknowledging himself to be the father of the child".

कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रखेल रखते हैं और पैसे के जोर से वे ऐसा करते हैं कि जब उनके कोई सन्तान होने को होती है तो दूसरों से कहते हैं कि तुम इनके पति बन जाओ और समाज के कुछ गिरे हुए आदमी ऐसा धन्धा करते हैं, वे कहेंगे कि मैं इसका पति हूँ। इसलिये इल्लेजिटीमेट चाइल्ड के बारे में भी हमें प्रोवीज़न रखना चाहिये कि उनका रजिस्ट्रेशन वाजिब होगा या नहीं। तो इस पर इस पहलू से भी गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। इस प्रकार के उदाहरण बहुत हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिलेक्ट कमेटी में मूव करने से पहले इन पर भी विचार कर लें और इसके बाद सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट जब आवे तो उस पर फिर विचार करके कानून पास करें तो अच्छा होगा।

श्री बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने के विरूद्ध हूं। जिन कारणों से इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने की बात कही जाती है उन पर यहां तो आसानी से विचार किया जा सकता है। यह युग प्लॉनिंग का है और यह रजिस्ट्रेशन होना चाहिये, इस बात का कोई विरोध नहीं कर रहा है। आज हमें आंकड़ों की आवश्यकता है, इसके बिना हमारा प्लान ठीक नहीं चलता।

आज प्रगति का युग है। लोग अनेकों प्रकार की अनेकों पद्धतियों से विवाह करते हैं।

(श्री बहादुरसिंह)

इसलिये उनको भी रजिस्टर किया जाना चाहिये । कोई बहुत बड़ा ऐसा मतभेद नहीं है कि जिस कारण इसे प्रवर समिति में भेजा जावे । जो कुछ मुद्दे हैं उन पर यहीं अच्छी तरह से विचार किया जा सकता है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : अध्यक्ष महोदय, यह जो सुझाव है, सिलेक्ट कमेटी का, इसके लिये मैं भी यह ठीक समझता हूं कि यह सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाना चाहिये ।

सवाल सबसे बड़ा यह है कि जन्म, मरण और विवाह का जहां तक सम्बन्ध है उसमें संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं कि जहां ये न होते हों । चाहे कोई इसे माने या न माने । अगर कोई सत्य वस्तु है तो यही है । और इन तीनों को लेकर एक विधेयक यहां प्रस्तुत हुआ है । मैं ऐसा समझता हूं कि जन्म और मरण का हिसाब लगाने की बात बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगी और पता चल जायेगा कि हमारे यहां किस प्रकार से आबादी बढ़ रही है; कितने पैदा हो रहे हैं और कितने मर रहे हैं । क्या यह जानकारी अत्यन्त आवश्यक है ? परन्तु मैं ऐसा समझता हूं कि किसी भी देश की औसतन जन्म मरण आदि का हिसाब बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है और हमारे देश में जैसा लोग कहते हैं कि ६० लाख नये बच्चे प्रति वर्ष पैदा हो जाते हैं । अर्थात् १२॥ हजार बच्चे प्रतिदिन पैदा हो जाते हैं । यह भी तो औसत के आधार पर ही संख्या निकाली गई है और तभी तो कहते हैं कि इतने बच्चे पैदा होते हैं । तो यह हिसाब जो स्पष्ट है और इसका हिसाब हम इस प्रकार से भी लगा सकते हैं कि किसी भी एक क्षेत्र से वहां की औसत निकाल सकते हैं कि वहां पर कितने बच्चे पैदा हुए हैं । इस तरह से यह हिसाब लगाया जा सकता है । इतनी सी बात के लिए और इस जन्म, मरण और शादी आदि का हिसाब लगाने के लिए कार्यालय खुले और उसमें भी कोई अनिवार्यता नहीं है और जैसा इसमें स्पष्ट रखा है कि अनिवार्य नहीं है तो इससे यह कहना कि ठीक आंकड़े मालूम हो जायेंगे । तो इससे स्पष्ट नहीं होता और ऐसी हालत में मैं तो दूसरी ओर इस बात पर सोचता हूं कि आज इस देश को किस चीज की ज्यादा आवश्यकता है ? क्या वाकई जन्म, मरण का हिसाब और इस प्रकार से शादियों की हिसाब रखने की ज्यादा आवश्यकता है और इसमें धन लगाने की आवश्यकता है या इससे भी अधिक आवश्यक और दूसरी इस प्रकार की चीजें हैं जिनमें धन लगाने की अधिक आवश्यकता है । मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आज हमारे पास ऐसे बहुत से दूसरे कार्य हैं कि जिनको बहुत जरूरी करना है और उनमें धन भी लगाना है और वह इससे ज्यादा महत्व के हैं और हम सब मानते भी हैं । परन्तु जैसा कि इसके आबजेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में रखा है कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से अनुरोध होने की वजह से ऐसा करना आवश्यक है । मैं नहीं समझता कि यह ठीक बात है । अगर आप इसको रखना ही चाहते हैं तो आपको इस बात पर सोचना पड़ेगा कि इसमें जो कुछ भी खर्च होगा वह कितना होगा ? इसका सारे दृष्टिकोणों से हिसाब लगाया कि इसके हर जिले में कार्यालय होने पर और उनमें अगर एक आदमी भी हो तो करीब यह खर्च ५ लाख रुपये प्रति वर्ष आयेगा । अब यह ५ लाख रुपया राजस्थान की सरकार इस बात के लिए लगाये और फिर उसका क्या लाभ होगा ! इस पर जब मैं जाता हूं तो ऐसा मालूम होता

(श्री मुरलीधर व्यास)

है कि इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो चीज़ आप चाहते हैं कि हमारे यहां इस बात के आंकड़े हों कि हमारे यहां कितने बच्चे पैदा हुए और कितने आदमी मरे और कितनों ने शादियां रजिस्टर कराईं तो इस तरह की जानकारी से सीधा लाभ क्या होगा ? मैं समझता हूं कि ऐसा कोई लाभ मेरी नज़र में नहीं आता। आप कहते है कि पैदा होने की गिनती और मरने की गिनती और शादी होने की गिनती करने के लिए ऐसा करना चाहते हैं। केन्द्रीय सरकार जैसे मृत्यु कर लगाती है और जो भी मरे उसका नाम झट से दर्ज हो जाता है। अगर ऐसी कोई बात हो तो ठीक भी है और जब कि इसमें अनिवार्य नहीं होने की बात लिखी है तो इससे किसी प्रकार का लाभ नहीं है। इसके अलावा विधान सभा में जो भी बिल आते हैं और जो बहुत आवश्यक हैं, जो आने चाहिएं, जो समाज में क्रांति के लिए और समाज के विकास के लिए आवश्यक हैं उनके लिए तो समय नहीं लगाया जाता और ऐसे बिलों पर समय लगाया जाता है जिनसे किसी व्यक्ति को कोई लाभ नहीं है। फिर यह बात तो ठीक हो कि ऐसी चीजें लाने में कोई खर्चा नहीं हो, तो कोई हर्ज नहीं है।

कुछ लोगों ने इसको पंचायतों को सौंपने की बात कही है। मैं ऐसा समझता हूं कि पंचायतें और म्युनिसिपल बोर्ड आदि जो संस्थायें हैं ये स्थानीय स्वराज्य संस्थायें हैं और सरकार ऐसी चीजों का सम्बन्ध अपने से जोड़ना चाहती है। दूसरी तरफ मैंने देखा कि यह जन्म, मरण आदि का हिसाब मध्यप्रदेश में और दूसरे प्रांतों में पुलिस चौकियां रखती हैं और लोग वहां जाकर दर्ज करा देते हैं। हमारे यहां भी यह पुलिस चौकियां हैं, तो ऐसी हालत में, मैं नहीं समझता कि ऐसा करना ठीक है। मैं समझता हूं कि जन्म, मरण की बात लिखाना अनिवार्य होना चाहिए और वह भी अनिवार्य होकर खर्च बढ़े, इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए, हमारे यहां भी ऐसी बात की सूचना पुलिस चौकियों और पुलिस स्टेशन्स पर होनी चाहिए और वहां पर दर्ज करा दें। तो यह चीज़ हमारे यहां भी आसानी से कर सकते हैं। हां, इसको अनिवार्य करने में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तो मैं समझता हूं कि एक निश्चित समय दे दिया जाय कि एक महीने में या इतने समय में आस पास की चौकी में ऐसी चीज़ दर्ज करा दें। अगर आप सुविधा देना चाहते हैं तो पंचायतों के जरिये दर्ज करा सकते हैं। तो ये सारी बातें इस प्रकार से हल हो सकती हैं। तो समझता हूं कि यह सवाल प्रवर समिति को तो इसलिए देना चाहिए और अगर हम इसके मुद्दों पर विचार करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हम इसकी पॉलिसी को मानते हैं और इसके अन्दर डिसकस करेंगे तो नतीज़ा यही होगा कि यह बिल उस तरीके से बन जायेगा जैसा हम चाहते हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि प्रवर समिति इसके लिए सोच ले कि इससे कितना लाभ होगा और नहीं होगा और प्रवर समिति भी इस प्रकार की रिपोर्ट दे कि इससे कोई लाभ नहीं होगा और यह काम दूसरे तरीके से हो सकता है तो इसको दूसरे तरीके से सोच सकते हैं। वैसे मेरे कहने का आशय तो यही था कि यह जो बिल यहां पर लाया गया है इससे सीधा लाभ होने वाला नहीं है और आज राजस्थान के अन्दर दूसरे काम करने के लिए पैसा नहीं है और इसमें पैसा लगा देंगे तो जो महत्वपूर्ण काम हमें और करने हैं, वह नहीं

(श्री मुरलीधर व्यास)

हो सकेंगे। अगर इसको करना ही है तो जैसा मैंने सुझाव दिया कि पुलिस स्टेशन्स पर दर्ज करा दें, तो ठीक रहेगा। तो इन्हीं सुझावों के साथ मैं इस बिल को इतना आवश्यक नहीं समझता यह दृष्टिकोण रखते हुए, यह प्रवर समिति को सौंप दिया जाय तो वास्तव में इससे कुछ न कुछ हल निकल सकेगा।

१.२७ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : Hon ble member of my left side.

श्री पृथ्वीराज (गंगापुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बिल का विरोध करता हूँ जो जन्म, मरण आदि का हिसाब था यह पंचायतों व नगरपालिका के ही आधीन था और १० वर्ष से ही वे इसका हिसाब पेश करती थीं। इसके अलावा एक बात का अन्टसन्ट यह भी मैं मानता हूं कि यहां जयपुर में भी मैं सुनता हूं कि जो कॉलेज में बच्ची पढ़ती हैं उनके गर्भ की बात सुनी है, उसका बाप कौन बनेगा और कैसे होगा ? यह बिलकुल सही है कि इसका हिसाब भी पंचायतों और म्युनिसिपल बोर्डों में ही रखना चाहिए।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जन्म, मरण और शादी के अधिकार हेतु रखा गया है, इसको पढ़ने से ऐसा लगा कि वास्तव में यह बिल लिया जाना चाहिये। लेकिन इसमें कुछ एक ऐसी कमियां हैं, जिनको यदि भली प्रकार से देखा जाय तो वास्तव में यह बिल पूर्ण नहीं कहा जा सकता। इसको पढ़ने से यह अच्छी तरह से ज्ञान होता है कि वास्तव में यह बिल लाने से दो मुद्दों को बहुत ही फायदा मिलेगा। वह हैं कि एक किसी प्रकार के जन्म, मरण या शादी में झंझट पैदा हों तो उनका सही रिकार्ड मिल सके और वह रेकार्ड किसी प्रकार के छोटे बड़े झंझट को आसानी से सुलझा सके। साथ ही मर्दुमशुमारी के आंकड़े भी सही मिल सकें। यह दो चीजें तो भली प्रकार से सहूलियत देने वाली इस बिल में मिलें। लेकिन इसके अलावा कुछ कमियां हैं और वह इस प्रकार हैं। जन्म, मरण और शादी इन तीनों चीजों को इसमें आंका गया लेकिन जहां डाइवर्स का सवाल आता है, इसके बारे में मेरे से पहले बोलने वालों ने बताया था कि किसी की शादी होती है और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद में उसका डाइवर्स होता है और दूसरी शादी होती है और उस समय उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसी प्रकार से यह देखने का अवसर मिला है कि एक एक स्त्री कई शादियां कर लेती है तो क्या जिस समय रेकार्ड देखेंगे तो उसके तमाम पतियों की लिस्ट मिलेगी। अब उसमें यह झंझट होगी कि कोर्ट, किसको प्रिफरेन्स देता है और इस प्रकार की कमियां जो बिल को देखने से महसूस हुई। इसके अलावा दूसरी कमियां हैं। इसके लिए अलग विभाग बनाया जाय तो खर्चे को देखते हुए हमें इसके लिए दूसरा विभाग बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसके साथ साथ जनता को भी परेशानी होगी। वह परेशानी क्या होगी कि आजकल जन्म और मरण का कुछ एक रेकार्ड पंचायतों व म्युनिसिपैलिटीज में रखा जाता है। उन्हीं को अच्छे ढंग से इस बिल में ऑथोराइज्ड कर दिया जाय तो उससे राजस्थान सरकार का कई लाखों का खर्च बच सकेगा, और उन लोगों को जिनके यहां जन्म, मरण व शादी होती है, वे टाइम पर इत्तिला देकर उनका रजिस्ट्रेशन करा

(श्री रामकरणसिंह)

सकें, उसमें उनको आसानी रहेगी । यह आसानी इस प्रकार रहेगी कि आज जो पंचायतें होती हैं, वे उन गांवों के नजदीक होती हैं । चाहे वह किसान हो या मजदूर हो या किसी भी वर्ग का हो वह आसानी से पंचायतों के पास जा सकेगा, और आ सकेगा और बिना किसी अड़चन के उनको इत्तला दे सकेगा । दूसरे आठवें दिन जब पंचायतें होती हैं तो उनमें हर गांव के नुमायन्दे जाते हैं तो उनके साथ समाचार देकर भी वह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं कि फलां आदमी के यहां संतान हुई है या फलां के यहां मृत्यु हुई है, और इस प्रकार से एक मुकम्मिल रेकार्ड वहां पर मेन्टेन कराया जा सकता है । जिस मकसद से इस बिल को रखा है, अगर उसके पूरे लक्ष्य का फायदा उठाना चाहते हैं और उसका मकसद पूरा करना चाहते हैं तो यह केवल पंचायतों और नगरपालिकाओं को ऑथाराइज करके ही पूरा फायदा और जिस मकसद से यह रखा गया है, वह मकसद पूरा हो सकता है ।

यदि दूसरा विभाग इसके लिये बनाया गया तो जिस मकसद से यह बिल रखा गया है न तो वह पूरा होगा और न मर्दुमशुमारी के आंकड़े सही प्रकार से मालूम हो सकेंगे । इस प्रकार का रेकार्ड आसानी से मिल सके, तो वह पंचायतों में ही मिल सकता है । तो यह खास चीज है कि इसका रेकार्ड पंचायतों में ही रखा जाना चाहिये, और उसके लिए कोई विशेष अधिकार इस बिल में कोई प्रोवीजन रखकर पंचायतों औ नगरपालिकाओं को दे दिये जायं ।

इसके अलावा नये प्रकार की जो सुविधा इस बिल में रखने और जनता को प्राप्त होने मे आसानी हो सके उसके बारे में विचार करने हेतु माननीय मंत्री जी यदि एक दफा इसको देख लें और देख कर फिर विचार करके ड्राफ्टिंग को ठीक करके दुबारा रखें तो वह बहुत सुन्दर होगा यह मेरा ख्याल है कि हर प्रकार से इस बारे में विचार करने की मर्जी हो सकेगी ऐसा प्रतीत होता है । यही मेरा कहना है ।

डॉ० चन्द्रकला : (किशनपोल बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक राजस्थान जन्म, मृत्यु और विवाह के रजिस्ट्रीकरण का सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है । अब तक विधेयक इस पर जो विचार प्रकट किये गये हैं उन पर से और मेरी अपनी खुद की राय यह है कि यह विधेयक असामयिक और अनावश्यक है । जैसा कि इस विधेयक के अन्त में इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों का बिवरण दिया गया है उससे ही इस बिल की कमी और अनावश्यकता सिद्ध हो जाती है । इसमें पहला कारण यह बताया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन की अलग-अलग विधियां प्रचलित हैं, उनमें समानता लाई जाय । यहां तक तो यह ठीक है, लेकिन आगे चल कर यह बताया गया है कि जन्म, मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है वह ऐच्छिक होगा, और केवल शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा । मैं नहीं समझती कि शादी का रजिस्ट्रेशन क्यों होना चाहिए ? यह तो केवल उन देशों की नकल है जहां कि शादियों का रजिस्ट्रेशन होता है । अपने यहां बहुत ही कम प्रतिशत में शादियां रजिस्टर्ड होती हैं और बाकी तो अपने यहां के संस्कारों के अनुसार होती हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है कि शादियों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई विधेयक लाया जाय । यह ठीक है कि हमारे प्रान्त की सही स्थिति जानने के लिए

Page No.55

(डॉ० चन्द्रकला)

जनसंख्या के हिसाब से या और दृष्टियों से कि हमारी आबादी में वृद्धि हुई है यह घटती किस तरह हुई है ? इसके लिए आवश्यक है कि हम उसका हिसाब रखें। लेकिन उसके लिए एक विधेयक लाकर एक कानून बनाकर उसके लिए एक प्रशासनिक ढांचा खड़ा करने की आवश्यकता हो, ऐसा मैं नहीं महसूस करती हूँ। आज प्रान्त की दूसरी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाय तो ज्यादा अच्छा रहे। वैसे ही हमारा प्रशासनिक व्यय बहुत अधिक है और धीरे धीरे कोई न कोई और दूसरे दूसरे विभाग स्थापित करते चले जांय तो खर्चा बढ़ता ही चला जायगा, तो वह ठीक नहीं होगा क्योंकि उससे जो लाभ मिलने वाला है वह बहुत ही नाम मात्र का होने वाला है। जहां तक उद्देश्यों और कारणों की ओर हम देखते हैं जो कि इस बिल में लिखे हुए हैं वे खुद ही अपने आप इस बात के द्योतक हैं कि बिल ठीक नहीं है अनावश्यक है। इसलिए मेरा सबसे पहला नम्र निवेदन यह है, माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय से कि इस पर सदन की राय जानकर पुनर्विचार लिए ले लें। मैं भाषा सम्बन्धी गलतियों की ओर ध्यान नहीं दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी को प्रयोग में लाने की यह आरम्भिक अवस्था है नहीं तो कई शब्द ऐसे हैं जो आगे चल कर कानूनी दृष्टि से आपत्तिजनक सिद्ध होंगे। आगे चल कर यदि यह कानून बनाया जाता है तो विवाद का रूप लेने में कई कठिनाइयां पैदा करेंगे। उनको मैं अभी छोड़ देती हूं। लेकिन यदि उन्हीं कारणों को लेकर चलते हैं तो वे भी ठीक नहीं हैं। इसलिए सबसे अच्छा तो यह हो कि वे स्वयं ही कह दें कि अच्छी बात है इस बिल को वापिस लेते हैं और फिर विचार करके उसके उद्देश्य और कारणों को ठीक समझ कर कानून की दृष्टि से ठीक रूप देकर विचारार्थ लेंगे। लेकिन मैं उसके आगे बढ़ कर कहना चाहती हू कि आज हमारे देश में, हमारे राजस्थान में इस बात की आवश्यकता नहीं है कि हम इस तरह का विधेयक बनायें, क्योंकि हमारे यहां शादियों के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। आज थोड़ी बहुत आवश्यकता पड़े रजिस्ट्रेशन की तो कोई कठिनाई नहीं आती है। यह हमारे देश के लिए उतना जरूरी नहीं है। बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन इस बिल में रखा है, वह वैकल्पिक है यानी जिसको जरूरत हो, वह करे या न करे। बहुत बहुत तर्क दिये जा चुके हैं, उनको दोहरा कर मैं सदन का समय खराब नहीं करना चाहती हूं। उसके लिए दूसरी व्यवस्था सोची जी सकती है। स्थानीय संस्थाओं की मदद से वह किया जा सकता है। इसलिए जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा है कि यह विधेयक असामयिक और अनावश्यक है। इस दृष्टि से इस भूमिका में मैं अपनी सरकार से कहना चाहती हूं कि इस बिल को वापिस लेकर विचार करना चाहिए नहीं तो इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें जो इसको ठीक तरह से देखकर जांच करके ठीक करे।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मृत्यु और जन्म का जो बिल सदन में पेश हुआ है, उसके विषय में मैं अपने सुझाव प्रकट करना चाहता हूं। मुझे यह मालूम नहीं है कि यह बिल हमारे किसी काम में आने वाला है। जहां तक काम में आना वाला है, मैं समझता हूं यह बिल एक तो हमारे सदन का समय फालतू खराब करने वाला है और दूसरी बात यह है कि हम इसे

(श्री हीराभाई)

अनिवार्य समझलें तब तो गांवों की जनता के लिये बहुत दिक्कत लायेगा। पहले भी एक सिलसिला इस तरह का चला था, मृत्यु के नाम लिखाने के सम्बन्ध में। जिन लोगों ने नाम नहीं लिखाये थे उनसे रिश्वत लेने का अंधेरपन हो रहा था। अनिवार्य रखने के कारण गांवों के लोग दूर दूर से लिखाने के लिये आ नहीं सकते, इसलिए गड़बड़ी हो जाती है। और यदि यह अनिवार्य नहीं है, तब तो सदन का समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। कारण कि पहले ही ग्राम पंचायतों को मृत्यु, जन्म और विवाह आदि के आंकड़े रखने का आदेश हो चुका है, उसी के आधार पर उनके द्वारा दर्ज कराये जा सकते हैं। जो पहले आदेश दिया गया है उसी के आधार पर आदेश फिर से हो सकता था और पुराने आदेश के अनुसार कार्यवाही करते रह सकते थे। बाकी नया बिल बनाकर पास करावें और हाउस का समय नष्ट करें, इसमें कुछ आने जाने वाला नहीं है। इस वक्त नाम नहीं लिखाते हैं या दर्ज नहीं कराते हैं तो मुझे मालूम नहीं, इससे पापुलेशन बढ़ गई या कम हो गई। वैसी हालत में जो होता रहता है। मृत्यु की बात है तो मरने के बाद में रोने की जरूरत नहीं है। यदि कोई आदमी मर जाता है तो उसके मरने के बाद ५ लाख रुपये खर्च करके नया विभाग खोल कर नाम लिखते रहे तो आवश्यकता पूरी होने वाली नहीं है। इससे अच्छा तो यह होता कि जयपुर शहर की हर गली में जो लंगड़े, लूले फिरते हैं, उनके नाम दर्ज करने से भला क्या बनता है, उनके खाने पीने को इन्तजाम करने का बिल पेश करते तो मैं सरकार को धन्यवाद देता। परन्तु फालतू समय खर्च करने और बिल बनाने में फायदा मालूम नहीं होता है।

दूसरी बात शादी की है, यदि एक बार शादी करते समय नाम दर्ज करा दिया और उस औरत ने एक बार आने वाले के साथ नाम लिखवा दिया और फिर थोड़े दिन बाद मगज बदल गया तो वह दूसरे के साथ फिर शादी कर लेगी और वह भी नाम लिखायेगा तो उस पर केस चलेगा, अदालत में कार्यवाही चलेगी, वकीलों को देना पड़ेगा भ्रष्टाचार होगा, पैसे खर्च होंगे और मजिस्ट्रेट के पास जाने पर भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। एक औरत के दो खाविन्द होंगे, वकीलों पर पैसा खर्च करना पड़ेगा, बहस करनी पड़ेगी, इससे मुझे कोई फायदा हो ऐसा नहीं मालूम पड़ता। इस बात के अलावा समाज सुधार की बात सदन के सामने पेश करते तब तो मैं धन्यवाद देने को तैयार हूं, वरना हम ५ लाख रुपये इस पर खर्च करेंगे उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसके बजाय तो देहात में स्कूलों पर और छोटी छोटी औषधालयों पर खर्च करें तब तो हमारा स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। इसमें कुछ फायदा मालूम नहीं पड़ता है। यदि इससे कुछ फायदा मिलने वाला है तो ग्राम पंचायतें हैं, उनको आदेश दिया हुआ है मैं भी सरपंच था, मुझे याद है कि जन्म, मृत्यु और और विवाह आदि का रजिस्टर रखा जाय ऐसा आदेश हो चुका है। तो इसके अलावा फिर नया डिपार्टमेंट खुलवाने की क्या जरूरत है। सिवाय इसके कि किसी खास पार्टी का राज्य होता रहे, अपने रिश्तेदारों को डिपार्टमेन्ट में नौकरी मिलती रहे......

श्री उपाध्यक्ष : आप कहां जा रहे हैं? विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री हीराभाई : (जारी) नहीं हो रहा हूँ।

(श्री हीराभाई)

इसके लिए एक डिपार्टमेंट अलग खोलना अच्छा नहीं । खर्चा बढ़ाना हो तो बात अलग रही, वरना इसकी जरूरत नहीं है । पंचायतें और म्युनिसिपैलिटीज़ नाम दर्ज करने की कार्यवाही अच्छी तरह से कर सकती हैं यह सबसे सस्ती चीज़ होगी ।

श्री किशनसिंह बद्दड़ (लक्ष्मनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मृत्यु, जन्म और शादियों के सिलसिले में यह जो बिल हाउस में आया है, उस पर विचार चल रहा है । माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे । मृत्यु और जन्म के सिलसिले में इसको लागू करना जरूरी मालूम होता है और अब तक यह सिलसिला मेरे ख्याल से जारी है । शादी के बारे में बातें आई उन बातों पर विचार करते हुए यह बताया गया कि यह बिल फिर से प्रवर समिति के पास भेज दिया जावे । मैं यह जरूरी मानता हूँ कि मृत्यु और जन्म ये दोनों बातें तो लगनी ही चाहिये, इस पर थोड़ा जोर होना चाहिए । शादियों के बारे में जब मन्त्री जी दलील देंगे तो अलग बात है, क्या बतायेंगे । लेकिन शादियों के बारे में इतना जरूरी नहीं है, जितना मृत्यु और जन्म के बारे में । जन्म और मृत्यु की संख्या रिपोर्ट से पता चलना चाहिये कि इतनी मृत्यु और इतने जन्म हुए, यह जरूरी होगा । अब वापिस समिति के पास जाने के बाद क्या विचार किया जायगा, कौन कौन से क्लॉजेज़ जोड़े जायेंगे, इस बारे में कोई दलील नहीं आई, इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको वापिस भेजने की जरूरत नही है । इसके बाद मृत्यु और जन्म के बारे में यह आवश्यक होना चाहिये कि पुलिस स्टेशन्स में नाम नहीं लिखवाने चाहिये बल्कि पंचायतों में जैसा अभी जारी है वैसा होना चाहिए । इस तरह करने में गांवों के लोगों को सुविधा होगी इस दृष्टि से पंचायतों में ही लिखा जाना चाहिये ।

मैं यह मानता हूं कि नये सिरे से इसके लिए महकमा नहीं खुलना चाहिए और खर्चा नहीं बढ़ाना चाहिये, ऐसी मेरी मान्यता है । तो इन दोनों बातों के बाद मैं यह मानता हूँ कि और कोई बात सामने आई ही नहीं है जो सदस्यों द्वारा बताई जाती । रजिस्टर होना चाहिए यह जरूरी माना जाय तो कोई बात नहीं है । लेकिन न्यारा महकमा खोला जावे और खर्चा बढ़े यह मैं ठीक नहीं मानता । तो मेरा यह सुझाव है कि इन दो बातों के बाद, इस बिल पर यहीं विचार करके पास करना चाहिये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के प्रस्ताव है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिए । इस सम्बन्ध में जो दलीलें दी गई हैं, उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूँगा, कि बहुत सी दलीलें तो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है बहुत सी ऐसी भी हैं जो अनावश्यक हैं । कुछ ऐसी भी दी गई हैं जिन्होंने शायद इस बिल को नहीं देखा है । उन्होंने यह मान लिया कि इसमें रजिस्ट्रेशन कंम्पलसरी मान लिया, वह लफ्ज कम्प्लीमेंटरी है, कंम्पलसरी नहीं है । माननीय सदस्य ने एतराज किया था........

डॉ० चन्द्रकला : बिल के अन्त में अनिवार्य शब्द लिखा है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह दूसरे बिल के बारे में है ।

श्री मदनसिंह दांता : उस चीज के लिए क्यों पैसे बर्बाद किये जाते हैं, जो कम्पलसरी नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : और कुछ सदस्यों ने यह माना है कि इस कानून को पास किया जावे, क्योंकि यह लाभ दायक है । इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूँगा कि अपने यहां अभी भी यह कानून है और बहुत सी कोवेनेन्टिंग स्टेटस, जैसे बीकानेर, मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि में यह कानून था, लेकिन अलग अलग तरह से था । परन्तु अब सारे राजस्थान के लिए एक सा बना दिया, इसलिए कि ऐसे फिगर्स के लिए एक दफ्तर बनना चाहिए, जिसमें सारे राजस्थान के फिगर्स आ जांय । आज यदि किसी के बारे में पता लगाना होता है तो सबको इकट्ठा करना होता है । इसलिये यह रखा गया है कि सारे राजस्थान के लिए एक ऑफिसर हो, यह नहीं है कि किसी अलग ऑफिसर को मुकर्रर किया जाय, बल्कि किसी भी ऑफिसर को यह काम सौंपा जासकता है । मैं समझता हूं इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि कितनी मृत्यु हमारे यहां होती हैं, कितने बच्चे पैदा होते हैं, यह जानकारी होनी चाहिये ।

एक ओर यह कहा गया कि यह लाभदायक नहीं है और उसके साथ ही दूसरी ओर यह कहा गया कि अनिवार्य होना चाहिये । जो दलील दी हैं उनमें मुख्य यह है कि इस पर ५ लाख रुपयों का खर्चा क्यों किया जा रहा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात गलत है कि इस पर कोई बहुत बड़ा एस्टब्लिशमेन्ट कायम होने वाला है । सेन्टर में एक दफ्तर होगा बाकी सब जगह म्युनिसिपैलिटीज़ या पंचायतें काम करेंगी उसके लिये प्रोविजन रखा है । वह दफा तीन है, जिसमें रखा गया है कि इस प्रकार के जो कानून हैं, म्युनिसिपल कमेटी या पंचायत अगर डेथ और बर्थ रजिस्टर करती हैं, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा । इसका मतलब यह हुआ कि म्युनिसिपल कमेटी और पंचायत अगर रजिस्टर करती रही हैं, तो वे करती रहेंगी । इसलिए म्युनिसिपैलिटी या पंचायत को अधिकार नहीं रहेगा, इसका सवाल नहीं उठता । मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कि जो म्युनिसिपल कमेटी और पंचायत डेथ और बर्थ रजिस्टर करती रही हैं वे करती रहेंगी । इसमें यह प्रोवीज़न रखा गया है....

एक माननीय सदस्य : फिर इसका फ़ायदा क्या रहेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (जारी) बाई वर्च्यु ऑफ दिस लॉ किसी अधिकारी को गवर्नमेंट अपॉइन्ट कर देगी । जहां म्युनिसिपल कमेटी या पंचायत नहीं है, वहां काम नहीं होता है, वहां पर किसी को अपॉइन्ट करने का अख्तियार गवर्नमेंट को दिया गया है । इसमें कोई कान्ट्रेडिक्ट्री बात नहीं है । जहां म्युनिसिपल कमेटी का या पंचायत का अधिकारी है, वह काम करता रहेगा और उसको इस कानून के अन्तर्गत इस काम के लिए अधिकारी बनाया जा सकता है, इसका प्रोवीजन इसमें है । इसमें यह रखा है कि एक रजिस्ट्रार होगा । पंचायत का जो सरपंच है, उसके लिए रखा है कि वह सेन्ट्रल ऑफिस को एक सर्टीफाइड इत्तला भेज देगा, ताकि सेन्ट्रल ऑफिस केलकुलेट कर सकें कि कितनी शादियां हुईं, कितने व्यक्ति मरे और कितने बच्चे पैदा हुए ।

यह कहा गया कि इसे कम्पलसरी बना देना चाहिए । यह दलील खिलाफ पड़ती है । अगर यह राजस्थान में कंम्पलसरी कर दें तो इसका मतलब हुआ कि अगर बच्चा पैदा हो, तो उसके बारे में जरूर लिखवाये, अगर कोई

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

व्यक्ति न लिखवाये तो उसे सजा देनी पड़ेगी । मैं अदब के साथ निवेदन करूंगा कि कि यह हमने शुरूआत की है । इसके साथ ही हिन्दुस्तान में ऐसा कहीं नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कम्पलसरी हो । सेन्ट्रल गवर्नमेंट के कानून में भी ऐसा नहीं है, किसी दूसरे प्रांत के कानून में भी ऐसा नहीं है । क्यों कि इससे आदमी को परेशानी होगी; अगर वह इतला नहीं देगा तो उसे सजा देनी पड़ेगी, इसके साथ ही इसमें बहुत बड़ा खर्चा हो जायगा । पांच लाख के खर्चे की बात कही गई, इसमें कुछ हजारों का खर्चा है, अगर कम्पलसरी कर दें तो पांच लाख की जगह ५० लाख खर्च करना पड़ेगा, स्टाफ अपांइन्ट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार का दफ्तर हर जगह रखना पड़ेगा । इससे परेशानी हो जायेगी । इसलिए मैं कहूँगा कि माननीय सदस्य यह इसरार नहीं करें । आप कहते हैं कि यह राजस्थान में कम्पलसरी बना दिया जाय कि जनता डेथ और बर्थ रजिस्टर कराये, ऐसा किसी दूसरे प्रांत में नहीं है । जो काम अभी तक हो रहा था, उसे रेगुलराइज़ कर रहे हैं । जो कानून के अन्तर्गत सब काम हो रहा है, उन सब जगहों से आंकड़े इकट्ठे करलें और कानून सब के लिए एक सा बन जाय । मैं समझता हूं, इस मन्शा को देखते हुए यह कानून रखा गया है और यह कानून बिल्कुल इन्नोसेन्ट है, इससे कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है । इसमें कोई लाभ नहीं होगा, अगर यह कहा जाय, तो मैं निवेदन करूंगा कि हमने एक स्टेटिसटिक्स डिपार्टमेंट खोल रखा है, जो सब जगह के स्टेटिसटिक्स इकट्ठे करता है । म्युनिसिपल कमेटीज़ और पंचायतों से स्टेटिसटिक्स इकट्ठे करता है । उसके लिए जो कानून हैं, वह रहेगा ।

यह भी कहा गया कि हमारे पास मृत्यु और जन्म के फिगर्स नहीं हैं, इसलिए मृत्यु के कारण नहीं जान सकते, इसलिए इस कानून को आवश्यक समझें, इसके लिए मैं यह कहूं तो अनुपयुक्त न होगा कि हमारा देश एक मार्ग पर चल रहा है, कोई कानून स्वास्थ्य विभाग की ओर से रखा जाय, इसके लिए आवश्यक है कि यह जाना जाय कि किस तरह से आदमी करता है, किस तरह की बीमारी से मरता है, डेथ के क्या कारण हैं, कितनी मृत्यु होती हैं और कितने बच्चे पैदा होते हैं । ये सब फिगर्स रखना जरूरी है । इस तरह का कानून भी जरूरी है । पर मैंने अर्ज किया कि इस तरह का कानून हर जगह मौजूद है । यह कानून अनावश्यक हो जायगा, ऐसी बात नहीं है ।

इसके अलावा एक बात माननीय सदस्य ने कही कि मेरेजेज़ की बात आती है, उसके लिए प्रोवीजन नहीं है । मेरेजेज़ को रजिस्ट्रार रजिस्टर करेगा या इस काम को म्युनिसिपल कमेटी या पंचायत करेगी । मैं निवेदन करूंगा कि मेरीजेज़ के लिए एक सेपरेट कानून बना हुआ है, उसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोवीजन है, जिसका हवाला दिया गया है । मेरेजेज़ उस कानून के तहत रजिस्टर होती हैं और रजिस्टर होने के बाद फिगर्स इकट्ठे करने की बात रखी गई है । यह भी कहा कि डेथ और बर्थ के अतिरिक्त मेरीजेज के रजिस्ट्रेशन की बात कम्पलसरी है, मैं निवेदन करूं कि ऐसा प्रोवीजन नहीं है, वह कॉम्पलीमेंट्री लफ्ज़ है, उसमें ऐसी बात नहीं है ।

एक बात यह भी कही गई कि जो कानून बना देते हैं, उसमें अमेंडमेंट बहुत करने पड़ते हैं । मैं अदब के साथ उनको याद दिलाऊं कि सिलेक्ट कमेटी को जो कानून

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

भेजे थे, और जो सिलेक्ट कमेटी से वापिस आने पर पास हुए; मैं समझता हूं उनमें ज्यादा परिवर्तन हुए हैं, उदाहरण के लिए आप पंचायत एक्ट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट आदि को ले लीजिये, वे सिलेक्ट कमेटी से आये पर उनमें बहुत अमेंडमेंट हुये हैं। यह कानून जो बना है, यह सेन्ट्रल एक्ट के आधार पर बना हुआ है, इसलिए इसमें ऐसी नई बात नहीं है कि बिना सोचे समझे इसे बना दिया हो। यह एक सीधा सादा सा कानून है। अगर यह माननीय सदस्य कहें कि इस प्रकार की दलील गवर्नमेंट देगी कि यह कानून सीधा साधा सा है, मुझे क्षमा करें, मैं निवेदन करूं कि यह कानून ऑल इण्डिया कानून के आधार पर है, वह कानून इन फोर्स है, और उसके अनुसार कार्यवाही हो रही है। उसको देखते हुए ही इस बिल में प्रोविजन रखे हैं।

एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि इसमें डाइवोर्स का रिकार्ड रखने का प्रोविजन नहीं रखा है। मैं निवेदन करूं कि इसके लिये एक नया कानून बना है जो उनके अनुसार नहीं होता है, वह आम तौर से डाइवोर्स नहीं माना जाता है। डाईवोर्स को रजिस्टर करने की बात है, उसके लिए मैं निवेदन करूं कि डाइवोर्स के बाद रीमेरेज होगी, वह रजिस्टर हो जायगी, उससे यह बात साफ हो जायगी। डाइवोर्स से कोर्ट की डिग्री लेनी पड़ेगी। ऐसा प्रोविजन इस प्रकार के कानून में कहीं भी नहीं है, जिससे, डाइवोर्स का प्रोवीजन होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का कानून है, जो सीधा सादा है। जो प्रोविजन इसमें रखे गये हैं, वे बिल्कुल इन्नोसेन्ट हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इसके दो उद्देश्य हैं, एक तो यह है कि अलग अलग कोवेनेन्टिंग स्टेट्स में कानून बने हुए थे, उनके लिए एक कानून बना रहे हैं। दूसरे, राजस्थान में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि डेथ और बर्थ रजिस्टर कर सकते हों, उसके लिए इस ऑफिस में रजिस्टर करने की बात है। इसलिए क्योंकि बहुत थोड़े आदमी अपॉइन्ट हों, और सहूलियत ज्यादा हो, यह ख्याल रखा गया है। इसलिये मैं अदब के साथ अर्ज करूंगा कि यह कानून हितकर है। इसलिए जो माननीय सदस्य ने प्रस्ताव मूव किया है, उसका कोई अर्थ नहीं रहता। अभी तक राजस्थान में कोई सेन्ट्रल ऑफिस नहीं है, इसलिये इसको रखा गया है। मैं समझता हू कि इस बिल को जल्दी से पास करने की बात है। माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने प्रस्ताव को वापिस ले लें।

श्री तनसिंह : कम्पलसरी रजिस्ट्रेशन के बारे में आपने कुछ कहा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (जारी) कम्पलसरी रजिस्ट्रेशन के बारे में मेरी यह दलील है कि जैसा आपने कहा कि इसमें पांच लाख रुपया खर्च होने वाला है, वह नहीं होने वाला है। सिर्फ कुछ ऑफिसर नोमिनेट करने की बात है। अगर कम्पलसरी कर दें, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके लिए हमें यह प्रोविजन रखना पड़ेगा कि अगर कोई इत्तला देने नहीं आता है, तो उसके लिए क्या सजा दी जाय। इसके लिए हमें अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी और इससे पब्लिक को परेशानी होगी।

श्री मदनसिंह : अगर कोई फाल्स लिखवा दे, तो उसे क्या सजा मिलेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने निवेदन

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

किया कि अनिवार्य नहीं है कि जिसके बच्चा पैदा हो, वह कम्पल्सरिली लिखा दे ....

श्री मदनसिंह : अगर कोई फॉल्स रिपोर्ट दे, तो उसके लिए क्या सजा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें फाल्स की बात नहीं है। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो फर्माया है, वह यह है कि यह कम्पलसरी बना दिया जाय, कि जितने आदमी मरें या जितने बच्चे पैदा हों, उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी हो और अगर वे वैसा नहीं करें तो उन्हें सजा दी जाय। इसके लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ऐसा रखें तो इससे जनता को परेशानी होगी। इससे वाकई खर्च बढ़ जायेगा। हर एक तहसील में एक इन्सपेक्टर अपॉइन्ट होगा, वह शिकायत दर्ज करे, कोर्टमें केस हो, उससे जनता को परेशानी होगी मैंने निवेदन किया था कि इस प्रकार का कानून हिन्दुस्तान में किसी स्थान पर नहीं है, कहीं भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। मैं खुद चाहता हूं कि यह अनिवार्य हो जाय, लेकिन इसमें पांच लाख की जगह पचास लाख खर्च हो जायेंगे। आज हम इस परिस्थिति में नहीं है कि रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर सकें। ऐसा कहीं भी नहीं है। इसलिए हम मौजूदा समय में यह कर रहे हैं। वैसे अभी आंकड़े इकट्ठे भी होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आंकड़े इकट्ठे नहीं होते हों। कहीं पुलिस में, कहीं पंचायत में आंकड़े इकट्ठे होते रहे हैं, जो वहां आंकड़े इकट्ठे होते हैं, वे आम तौर से मिल जाते हैं। आज भी हमारे पास आंकड़े अवेलेबल हैं कि कितने मरते हैं और कितने जिन्दा होते हैं। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि जो कम्पलसरी करने की बात है, उसका इसरार नहीं करेंगे। और मैं अदब के साथ अर्ज करूंगा कि इसे पास करें।

अगर कम्पलसरी नहीं हुआ तो यह सारा मेन्टेन करेंगे। वह रॉग होगा, सारे के सारे आंकड़े दर्ज नहीं किये जायेंगे और जो कुछ आंकड़े इस तरह से इकट्ठे किये जायेंगे वे सही नहीं होंगे। अगर हम यह चाहते हैं कि सारी स्टेट्स के आंकड़े एक जगह रहें तो ऐसी हालत में हमें इस कानून को कम्पलसरी करना होगा, क्योंकि जहा तक कोई भी कानून कम्पलसरी नहीं हो जाय और उसके अन्दर पेनल्टी नहीं रखी जाय, तब तक उस कानून का पूरा पालन नहीं होता। कम्पलसरी हुए बिना कोई दर्ज नहीं करायेंगे। इसलिये यह सब वेस्ट होगा। अगर दो चार ऑफिसरों का का रखना ही है तो दूसरी बात है इससे फायदा तो कुछ भी नहीं होगा, बिना मतलब के वेस्ट होगा।.......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(२. १ म० प०)

स्वायत्त शासन मंत्री श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : कम्पलसरी नहीं रहा, यह मैंने अर्ज किया है। अब तक जो कार्यवाही होती है जिसका मुझे अनुभव है। म्युनिसिपैलिटीज में म्युनिसिपल कर्मचारी हैं उनको हिदायत कर रखी है कि जो डेथ्स या बर्थ्स होती हैं तो उनको लिखायें। पंचायतों में और पुलिस में भी इस प्रकार लिखाने का प्रोविजन है, वह तो बदस्तूर रहेगा ही। तो इसमें किसी ऑफिसर को प्रोवाइड करने का सवाल नहीं है, जो चल रहा है वह तो उसी प्रकार चलेगा ही उसको बन्द नहीं कर रहे हैं। चेअरमैन बोर्ड को हम ऑथिराइज कर दें। कम्पलसरी नहीं होते हुए भी

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

आंकड़े हमारे पास आते रहे हैं। उसे हम बन्द नहीं कर रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : इस कानून को पास करने से जनता को क्या लाभ होगा, यह आपने नहीं बताया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री तनसिंह।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं समझता था उसी प्रकार का उत्तर मुझे मिला है। मैं सोच नहीं सका कि अच्छे सन्जीदा ढंग से प्रमाण और दलीलें दे कर हमारी बातों का जवाब दिया जायगा। ऐसा मैं अन्दर नहीं लगा सकता था कि इस प्रकार का जवाब देंगे। खेद ही मुझे इस बात का है। इसी लिये हमारी तरफ से क्रिटिसिज्म दिनों दिन निरुत्साहित होता जा रहा है।

हम कोई भी महत्वपूर्ण बात कह दें, उसके खिलाफ कोई अच्छी युक्ति संगत दलील हो तो हम उसे मानने को को तैयार हैं। विरोधी पक्ष में होते हुए भी अपने दिमाग से सोच सकते हैं। इधर बैठे हैं, विरोध चाहे किसी ढंग से करें पर हृदय से समझते हैं कि वास्तविक चीज क्या होनी चाहिये। कोई भी चीज अच्छी है या बुरी, सद् असद् के विचार करने का विवेक हम में है। चाहे उधर बैठे हों या इधर बैठे हुए माननीय सदस्य हों, इस प्रकार का विवेक रखते हैं कि वास्तविक चीज क्या होनी चाहिये, इसीलिये तथ्य आते हैं तो उनके आधार पर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। पर जो तथ्य रखे गये और उन का जवाब जिस तरह दिया गया, वह जवाब देना नहीं देने के बराबर समझना चाहिये।

मन्त्री महोदय ने फरमाया कि पंचायतों के अन्दर रजिस्ट्रेशन तो बाकायदा करते थे वैसे ही करते रहेंगे पर जिन कानूनों को हम इस कानून से रिपील कर रहे हैं, और कानूनों की तो मुझे मालूम नहीं पर मारवाड़ी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एण्ड डेथ्स के बारे में मुझे अच्छी तरह से मालूम है, वहां दाइयों पर कम्पलसरी है कि बर्थ्स को रजिस्टर करायें और जो लोग किसी श्मशान के इन्चार्ज होते हैं, उनका कर्तव्य है कि डेथ्स रजिस्टर करवायें, तो उन कानूनों में इतनी बात तो थी कि किन्हीं लोगों पर कर्तव्य रखा गया था पर आज इस कानून से उन कानूनों को रिपील करते हैं तो उनका वह कर्तव्य हट जाता है, यह कानून किसी पर कर्तव्य नही डालता कि वह रजिस्ट्रेशन करवाये डेथ्थ का और बर्थ्स का।

आप फरमाते हैं कि म्युनिसिपल कर्मचारियों को हिदायत की हुई है कि वह रजिस्ट्रेशन करवायें और आंकड़े हमारे यहां मौजूद हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि उन्हीं आंकड़ों पर आपकी स्कीम्स आपकी प्लॉन्स निर्धारित हैं तो मुझे खेद के साथ अर्ज करना पड़ेगा कि यह ठीक नहीं है क्योंकि वे आंकड़े सही नहीं है। म्युनिसिपल कर्मचारियों के कितनी आंखें होती हैं, यह देखने के लिये कि कितने जन्म हुए और कितने मरण हुए, बहुत से रोजाना जन्मते हैं और बहुत से रोजाना मरते हैं जिनको म्युनिसिपल कर्मचारी नहीं देखते। यह तो रही म्युनिसिपैलिटी की बात, जहां म्युनिसिपैलिटीज़ नहीं है, वहां क्या होगा, इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता।

कहा जा सकता है कि म्युनिसिपैलिटीज़ रजिस्टर कर सकती हैं, पर एक तो शौक के रूप में है और एक कानूनी बात है, इन

(श्री तनसिंह)

दोनों में बड़ा अन्तर है। कानून कम्पलसरी हो, उसके लिये पैनल हो तो आंकड़े सही होंगे, वरना आंकड़े सही नहीं हो सकते। यही वजह है कि हमारे यहां जो आंकड़े हैं जन्म मरण के वे सही नहीं मिलते। मेरी समझ में नहीं आता कि जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते है उनको फायदा मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा आपको इससे क्या लाभ होगा, जनता को इससे क्या लाभ होगा और इस सूरत में कन्सेलिडेटेट फण्ड में से जो पैसा आप निकाल रहे हैं उससे जनता को क्या लाभ होगा, अगर तथ्य उपलब्ध होते हों तो, समझ सकते हैं कि हमें इस खर्च के करने पर सही आंकड़े तो मिले। पर इस प्रकार के कानून से तो हमें आंकड़े भी सही नहीं मिलेंगे और जो इसके लिये पैसा खर्च होगा, वह व्यर्थ होगा। ऐसी सूरत में कानून लाते हैं तो वह कानून कम्पलसरी होना चाहिये। कम्पलसरी नहीं होता है तो वह कानून लाना बेकार ही है।

आप फरमाते हैं कि आपको एतराज नहीं है इसे प्रवर समिति में भेजने में तो फिर आप निश्चित रूप से कह दीजिये कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय पर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पास कर दें, जैसा यह कानून है इसे इसी रूप में दो साल बाद भी पास करें तो इससे कोई फर्क नहीं आता, जिन कानूनों इससे रिपील करते हैं वे तो मौजूद हैं ही, इस कानून को पास करने से तो हम बजाय आगे बढ़ने के उल्टे पिछड़ रहे है, प्रतिगामी हो रहे हैं। जहां हमें कम्पलसरी रजिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ना चाहिये वहां मारवाड़ डेथ्स एण्ड बर्थ्स रजिस्ट्रेशन का कानून है, उसको रिपील कर रहे हैं तो उससे आगे बढना चाहिये था, वहां उससे पीछे हट रहे हैं।

एक दलील यह दी कि एक स्पेशल मेरेजेज एक्ट बना हुआ है, उसके अनुसार रजिस्ट्रार्स मुकर्रर किये हुए हैं, वे रजिस्ट्री करते हैं शादियों की, पर आपने यहां रजिस्ट्रार, जनरल ऑफ मेरेजेज का क्लॉज ४ में जिक्र किया है, वह किस मर्ज की दवा होगा। उस कानून के अनुसार तो रजिस्ट्रार्स दिये हुए हैं मेरेजेज फिर वे रजिस्ट्रार्स किसके सुपरिन्टेन्डेन्स में रहेंगे, क्या उस कानून को बनाते वख्त एन्टीसिपेट कर लिया गया था कि मन्त्री महोदय, १९५८ में राजस्थान विधान सभा में इस प्रकार का कानून पेश करेंगे जिसमें रजिस्ट्रार जनरल मुकर्रर करेंगे। आज जो यह कानून बन रहा है उसका उन कानूनों के साथ कोई सन्दर्भ कोई चीज़ नहीं मिलाई है। यह भी नहीं रखा है कि स्पेशल मेरेजेज एक्ट के अनुसार जो रजिस्ट्रार्स होंगे वे रजिस्ट्रार जनरल जो इस कानून की क्लॉज़ ४ में दिया हुआ है उसके नीचे काम करेंगे, उनकी सुपरिन्टेन्डेंस में वे काम करेंगे तो इस प्रकार ये दो ऐसे सिरे हो जाते हैं जो आपस में मिलने के नहीं।

मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में कुछ सर्कुलर्स निकाल दें और उनके अनुसार स्पेशल मैरेजेज एक्ट में राजस्ट्रार्स हैं उनको कहेंगे कि रजिस्ट्रार जनरल के नीचे काम करें........

आप तैयार हो रहे हैं कोई कानून बनाने के लिये, तो बताइये मैं बैठ जाता हूं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : "ए" में दिया है कि स्पेशल मैरेजेज एक्ट के अनुसार जो रजिस्ट्रार्स होंगे उनका रजिस्ट्रार जनरल इन्चार्ज होगा, यह इसमें प्रोवाइड किया है, ४ ए. में प्रोवाइड किया है कि : "4 (a) shall establish a general registry office for keeping such certified copies of

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

registers of births and deaths registered under this Act, or marriages registered under the Indian Christian Marriage Act, 1872, the Parsi Marriage and Divorce Act, 1936, or the Special Marriage Act, 1954, as may be sent to such office under this Act or under any of the three last mentioned Acts." इसके अन्दर में है।

श्री तनसिंह : यही तो बात है। मैंने सारी रात और दिन मेहनत की है। मैं जानता था कि माननीय मन्त्री महोदय इसकी एग्जेम्पल देंगे। यह मैंने पहले ही कह दिया था। आप इसमें देख लीजिये, इसमें साफ लिखा हुआ है।

"shall establish a general registry office for keeping such certified copies of registers of births and deaths registered under this Act or marriages registered under the Indian Christian Marriage Act, 1872, the Parsi Marriage and Divorce Act, 1936...etc.

यह आपने जनरल रजिस्ट्री ऑफिसर कायम किया। अब आप दूसरे पार्ट (बी) को पढ़िये। "may appoint to the charge of that office an officer to be called the Registrar General of Births, Deaths and Marriages for the State.

इससे आप अनुमान लगा सकते कि वही होगा। यह मैं मानता हूँ। आप प्रोविजन देख लीजिये। प्रोविज़न दो में लिखा है : "appoint to the charge of such separate office an officer to be called the Registrar General of Marriages.

यह रजिस्ट्रार जनरल ऑफ बर्थस एण्ड मेरेजेज किसका सुपरिन्टेन्डेन्स करेगा और कहां रहेगा। इसका कहीं वर्णन नहीं है मैंने कहा कि आप जब रजिस्ट्रार मुकर्रर कर देते हैं तो यह प्रोविज़िन रजिस्ट्रार जनरल का है वह रिडन्डेन्ट है जो सारी मशीनरी में कहीं भी फिट नहीं होता। आपने इसमें लगाया है अगर इसका उत्तर आता तो कुछ कह सकता था। आगे आपने क्लॉज़ १ में रजिस्ट्रार जनरल बता दिया है। अब यह क्लॉज ४ के सब क्लॉज़ (१) के पार्ट (ए) से साबित हैं.......

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें ऐसा है चाहे तो गवर्नमेन्ट कर सकती है। यह है प्रोविजन में।

श्री तनसिंह : यह भी दलील है तो मान ली जा सकती है "separate office an officer to be called Registrar gneral of Marriages." एक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ मेरेजेज होगा, यह भी मान लें लेकिन आपने पहले "ऑफिसर" किया है, उसके साथ में ही रजिस्ट्रार का सुप्रिन्टेडेन्स कहां रहेगा। वहां पर भी आपने मेरेजेज के साथ में लिया है। ये दोनों एक दूसरे को कवर अप कर लेते हैं।

दूसरी बात यह है कि मैंने जैसा निवेदन किया कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाए, सिलेक्ट कमेटी में भेजने से कई लाभ होते हैं। सदन के सदस्य इस पर अच्छी तरह से विचार करते हैं और वहां पर थोटफुली कन्सीड्रेशन होता है। इसके लिये माननीय मन्त्री महोदय ने यह दलील दी कि ऐसे बिल

(श्री तनसिंह)

भी हैं जो सिलेक्ट कमेटी में जाते है, मगर भी एमेन्डमेंट उसमें आ जाते हैं। मै खुद इस बात को स्वीकार करता हूँ कि जो जरूरी एमेन्डमेंट होते हैं, उनको हमें करना चाहिये। लेकिन आपने जिस तरह से तुलना की है, उसके लिये मैं यह कह सकता हूं कि जो बिल सिलेक्ट कमेटी में जाते हैं, उसकी बजाय दूसरे बिल जो सीधे यहीं से पास करते हैं, बहुत कम एमेन्डमेंट होते हैं। जो यहां से सीधे पास होते हैं उनमें तो कई बार एमेन्डमेंट करने पड़ते हैं और जो सिलेक्ट कमेटी में जाते हैं, उनमें एक या दो बार करना होता है। इसके अलावा, माननीय मन्त्री महोदय निश्चित तथ्य पर कहते हैं तो मैं इसको मंजूर करने के लिये तैयार हूं मगर यदि आप तथ्य के अनुसार नहीं कहते तो मैं इसको मंजूर करने के लिये असमर्थ हूं।

इसके अलावा एक बात यह बताई गई है कि इसमें डाइवोर्स शब्द नहीं है, मगर वह डिक्री से होता है। ज्योंही अदालत से डिक्री होगी, चेन्ज हो जायेगा। मेरा ख्याल यह है कि आपने एक डिक्री हांसिल की। कोर्ट आपको डाइरेक्ट करे उस समय आप अपने रजिस्टर में चेन्ज करें। लेकिन मैं यह कहूंगा कि डिक्री हांसिल कराने के बाद में यह स्टेज तो जब आता है जब वह डिक्री को एग्ज़िक्यूट कराए। डिक्री हांसिल करने से उसका कोई असर नहीं होता जब तक कि उसको एग्जिक्यूट नहीं कराई जावे। इसलिये मैं यह कहूँगा कि जब तक हमारे कानून मे स्पष्ट कानून नहीं हो कि इस प्रकार की डिक्री हो उस समय रजिस्टर में चेन्ज कर देंगे। कानून द्वारा वह कब एग्ज़िक्यूट होगी। आपके कानून में प्रोविजन हो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं तो यह कहूंगा कि आपके मेरेज सर्टिफिक्ट का डाइवोर्स के बाद कोई असर नहीं। कोर्ट की डिक्री की ज़्यादा वेल्यू होती है। आप यह कहेंगे कि इसमें रद्दोबदल करने की जरूरत नहीं है। अभी माननीय सदस्य जो दांता रामगढ़ से आये हैं, उन्होंने कहा था कि उस समय तक भी आपका रजिस्टर यही कहेगा कि उसका पति वही है। कोर्ट की डिक्री कहेगी कि वह उसका पति नहीं है, उसका पति दूसरा आदमी है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसकी दूसरी शादी होने पर, वहां पर वह दर्ज हो जावेगी।

श्री तनसिंह : ठीक है। वह स्थिति तब होती है, जब वह शादी करती है। जब नहीं करेगी तो कैसे पता रहेगा। आपका कानून तो यही बताएगा कि वह उसकी पत्नी है। वह तो उस पर इन्कम्बेन्ट ......

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो इस बात की एविडेन्स है कि शादी हुई।

श्री तनसिंह : मैं इस दलील को समझ सकता हूं यह एक इस बात का प्रमाण है कि उसकी शादी इसके साथ हुई। मगर यह उस दिन का प्रमाण है जिस दिन उन्होंने शादी की। लेकिन आज क्या स्थिति है। आप रजिस्ट्री करना चाहते हैं, एविडेन्स के रूप में। जब डिक्री हो गई तो यह जरूरी है कि आपके रजिस्टर में भी उसका रद्दोबदल हो। जब तक आपके रजिस्टर में रद्दोबदल नहीं होगी तब तक वह पुरानी मेरेज की एन्टरी है, वह यों की यों रहेगी और उससे आप यह लाभ उठाना चाहें कि कितनी मेरेजेज़ हुई, यह आपको पता नहीं लग सकता और यह एक अधूरी बात होगी। कितनी मैरेजेज़ डाइवोर्स हुई यह आपके रजिस्टर से पता नहीं लगेगा।

(श्री तनसिंह)

इसलिये जितना लाभ इससे पब्लिक को पहुंचाने जा रहे हैं उसका कतई फायदा नहीं होगा। यह तभी पहुँचा सकता है, जब हम यह बता सकें कि रजिस्टर में इतने डाइवोर्स हुए। डाइवोर्स होने के बाद में, डिक्री हासिल करने के बाद में कोई मशीनरी नहीं है जो रद्दोबदल कर सके।

इसलिये में यह कहता हूं कि इन सब चीजों को गौर से देखने की आवश्वयकता है। इसलिये इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाना चाहिये। आपने यह बताया कि अगर कोई कानून के खिलाफ करता है तो सजा का प्रोविजन नहीं रखा है जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसकी पाबन्दी होनी चाहिये और उसके लिये सजा का प्रोविज़न होना चाहिये। इसके बारे में आपने कहा कि अलग अदालत बनानी पड़ेगी, इन्सपेक्टर बनाने पड़ेंगे प्रोसिक्यूशन स्टाफ रखना होगा। मगर मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां आर्मस एक्ट है, उसमें लाइसेन्स लेना जरूरी है। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें एक ऐसा सेक्शन है, वह सेक्शन तो मुझे ठीक याद नहीं है लेकिन शायद १६ होगा उसके अनुसर जिस समय किसी का चालान करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी की जरूरत होती है। यदि आप यह समझते हैं कि शस्त्र रखना जुर्म है फिर भी डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट की अनुमती इसलिये रखी है कि अनुनेसेसरी लिटिगेशन नहीं बढ़े। इसलिये में भी यही कहना चाहता हूँ कि जब आप कम्पलसरी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हो सकता है कि लिटिगेशन बहुत हो, प्रोसिक्यूशन बहुत हो, इसको रोकने के लिये आप इस प्रकार का क्लॉज़ रख सकते हैं कि इसके लिये किसी ऑथरटी की प्रायर सैंक्शन हो और उसके बिना नही हो सकता। इस प्रकार का एक क्लॉज़ रख कर बचा सकते हैं। इसके अलावा मैं यह भी कहूंगा कि सरकार के हाथ बहुत लम्बे हैं। वे जिसको चाहें बचाना, बचा भी सकते हैं और जिसको खत्म करना चाहे, खत्म भी कर सकते हैं। तो इसलिए यदि आप वास्तव में यह चाहते हैं कि लोगों पर इतने मुकदमे न लगें प्रोसिक्यूशन की इजाजत न देकर और इसमें इस प्रकार का एक प्रोविजन रख कर उनको बचा सकते हैं। आप कहते हैं कि प्रोविजन रखना पड़ेगा। प्रोविजन तो इसके लिए रखना पड़ेगा इसलिए, मैंने इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने प्रस्ताव किया है जो आपको स्वीकर कर लेना चाहिए ताकि इन बातों के साथ-साथ अन्य बातों पर भी वहां विचार हो जावेगा सजा का प्रोविजन भी रखा है। रांग इन्फॉर्मेशन देने पर तीन साल की सजा का प्रोविजन रखा है यानि तीन साल सजा दे सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति रांग इन्फोमेंशन देकर एन्ट्री करवा ले। सजा देने के और भी तरीके हो सकते हैं, एक दो दिन की सज़ा हो सकती है, फाइन भी हो सकता है। यह रख दीजिये। यह केवल आम जनता पर ही मत रखिये, माता पिताओं पर ही मत रखिये किन्तु म्युनिसिपल कर्मचारियों पर भी इसको रख दीजिये, ताकि वे लोग भी ध्यान रखें कौन जीता है और कौन मरता है। ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं कि इसके लिए इन्स्पेक्टर्स रखने पड़ेगे। लेकिन यह लाज़मी नहीं है। साधारणतया एक कानून बनाते हैं, यह देखना है कि उसके अनुसार एक्ज़ीक्युशन होता है या नहीं, इसके लिए इन्तज़ार कर सकते हैं, थोड़े समय के लिए इन्तज़ार कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या जरूरत है कि पहले ही

(श्री तनसिंह)

से प्रोसिक्युशन करें। कानून को देखकर जो लॉ अबाईडिंग सिटिज़न्स हैं वे आकर दर्ज करवायेंगे और जो कानून के जानने वाले हैं साधारण जनता को भी बतावेंगे कि फलां की मृत्यु हो गई है, जन्म हुआ है तो उसकी इत्तला देना चाहिए। धीरे धीरे लोग इसके आदि हो जावेंगे और आगे जाकर आप इसको सख्ती से करा सकते हैं कि इसके लिए इन्सपेक्टर्स रखने पड़ेंगे, सज़ा का प्रोविज़न रखना पड़ेगा सज़ा के प्रविज़न रखने से कोई हमको भय नहीं है। यदि आपके यहां पर ऐसी स्थिति हो कि बिना सज़ा के न्याय और कानून के अनुसार चलते हों, ऐसी स्थिति आपके यहां देखने को नहीं मिलती है। हमारी सरकार चाहे जितने आदर्श रखे, उसके कार्य इतने स्पष्ट हैं कि उनका अनुकरण जनता करती है तो उनको यह सिखाया जाता है कि कानून से कैसे बचें और नहीं तो गवाहों से बच कर काम करा सकते हैं। इसलिए इस कानून के नहीं रखने से रजिस्ट्रेशन कम्पलसरी हो जावेगा, यह नामुमकिन है। आज नहीं तो कल, एक दिन उसी स्थान पर पहुँचना पड़ेगा कि जिस दिन इसको कम्पलसरी करना पड़ेगा। आप कहते हैं कि इसके लिए अभी समय नहीं आया है। समय कब आवेगा ? जिस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति डगमगा रही हो, जिस समय हमारे यहां बेकारी की समस्या बढ़ रही हो उस समय आंकड़े मिलते नहीं। मैडीकल डिपार्टमेंट में खर्चा होता है। २० साल से, मैं स्पष्टतया बाड़मेर के लिए कहता हूं, वही स्थिति चली आ रही है। आप ही अन्दाज़ लगाइये कि वहां के लोगों के स्वास्थ्य की हालत कैसी है ? यह आंकड़ों से पता लग सकता है। अब तैयार कैसे करें ? नीचे के जो अधिकारी हैं, मैडिकल ऑफिसर्स हैं वे होस्पिटल्स की रिक्वायरमेन्ट्स को देखकर उनके अपने एस्टीमेंट्स बनाकर भेजते हैं। उन लोगों को हमेशा डर रहता है कि कहीं बाद में कटे नहीं और इसी दृष्टि से हमेशा से ही थोड़े एस्टीमेट्स रख देते हैं और उसके बाद फिर भी थोड़ी बहुत रकम बाद में जाकर कट जाती है। ऐसी हालत में हमारा जो यह बजट बनता है उसमें यह ध्यान नहीं रखा जाता है कि जनता के स्वास्थ्य की क्या स्थिति है ? एक तरफ तो जनता का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, डेथ रेट्स बढ़ती जा रही है उस पर विचार करना जरूरी नहीं था ? बेकारी की समस्या की ओर जब हम ध्यान देते हैं तो यह देखना पड़ेगा कि हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है तब उस बेकारी का मुकाबला करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं ? इन सब परिस्थितियों को आप देखें कि क्या इस समय बेकारी ज्यादा नहीं है; क्या बर्थ, डेथ ज्यादा नहीं हो रही है जन-साधारण का स्वास्थ्य कैसा है ? आपकी दलील हो सकती है कि जब समय आयगा तब उसमें रद्दोबदल करेंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि इसमें कम समय आने का नहीं है। जमीन कम बढ़ रही है, व्यवसाय जितने हैं वे संकुचित हो गये हैं और लोगों को काम नहीं मिल रहा है। बेकारी फैल रही है। अस्पतालों की यह हालत हो गई है कि जन-साधारण को कुछ हाथ ही नहीं लगता। सबसे बड़ा एडवर्टाइज़मेन्ट यह है कि इनमें दवाइयां नहीं हैं, पट्टियां भी घर से लानी पड़ेंगी। इस प्रकार की व्यवस्था आपके मेडिकल डिपार्टमेन्ट में हो गई। लोग साधारणतया इसीलिए नहीं जाना चाहते। इसका क्या कारण है ? इसका कारण यह है कि सही वस्तु स्थिति मालूम नहीं है और आप कहते हैं कि सही वस्तु स्थिति देखने का मौका आयगा जब

Page No.68

(श्री तनसिंह)

देखेंगे । आगे कब आवेगा ? लोगों को विश्वास नहीं होता कि आप स्वास्थ्य सुधार सकते हैं । मंत्री महोदय और उधर बैठने वालों की इच्छा यह है कि इसको एट स्ट्रेच पास कर दिया जाय लेकिन जो तथ्य हैं और दलीलें हैं, उनको आप ओझल नहीं कर सकते । जो कुछ मेरे पास निवेदन करने को था मैंने कहा । माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं ने कहा कि रजिस्ट्रेशन कम्पलसरी हो तो अच्छा है । लेकिन उनको भय है कि लिटिगेशन होंगे, झगड़े होंगे । इस सम्बन्ध में मैंने पहले ही कह दिया था जब कि मंत्री महोदय दुर्भाग्यवश बाहर चले गये थे, उन्होंने उसको सुना नहीं । मैं इसको रिपीट करना नहीं चाहता क्योंकि वे जवाब दे नहीं सकते । यदि न्याय और सत्य को तोलने की स्थिति हो तो जो सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव है उस पर ज्यादा मत आने चाहिए और यदि मंत्री महोदय का का साथ देना है, पार्टी डिसिप्लिन में रहना है तो मैं समझता हूं कि यह डेफिनेट है कि मेरा प्रस्ताव गिरेगा ही । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द कर दें लेकिन यदि उनकी इच्छा न हो तो हाउस से निवेदन करूंगा कि वे एक मत से इसको पास करें ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान बर्थ, डेथ एण्ड मैरेजेज़ बिल, १९५८ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है ।

(विराम)

श्री पी. के. चौधरी ।

(अनुपस्थित)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है कि सब क्लॉज (२) ओमिट कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधन स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक के क्लॉज़ २ को संशोधन सहित स्वीकार किया जाय ।

(स्वक्रित)

क्लॉज २ को, संशोधनानुसार, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

२. ३ म० प०

धारा ४

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह अमेन्डमेन्ट स्वीकार किये जायं :

Page No.69

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

In part (a) of sub clause (1)

(i) "Insert 'Central Act' before 'XV' within brackets,

(ii) Insert 'or' after '1872'

(iii) Insert 'Central Act' before 'III' within brackets

(iv) Insert 'Central Act' before '43' within brackets, and

(v) Insert or the Hindu Marriage Act, 1955 (Central Act 23 of 1955) after '1954'

ये जो अमेन्डमेन्ट्स हैं वे कॉन्सीक्वेन्शयल अमेन्डमेन्ट्स हैं और इसके अलावा हिन्दू मैरेज एक्ट, १६५५ के स्थान पर सेन्ट्रल एक्ट २३ ऑफ १६५५ को एड कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ के अन्तर्गत जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उनको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ को संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ५.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ५. विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ६, श्री पी. के. चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ६ में मेरा एक अन्मेंडमेन्ट है वह इस प्रकार है सेकिन्ड लाइन के अन्दर 'at all reason able times' शब्द है उनकी जगह पर "ड्युरिंग ऑफिस अवर्स' यह जोड़ दिया जाय। इसको रखने का मेरा मकसद यह है कि 'ऑल रीज़नेबल टाइम' से मतलब हो जायगा चौबीसों घन्टे। लेकिन यह तो नहीं होगा कि चौबीसों घन्टे इस कार्य के लिये दफ्तर खुला रहेगा इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इसके स्थान पर ऑफिस आवर्स कर दिया जाय। शायद यह मिस्टेक से रह गया होगा। मैं आशा करता हूं, माननीय मंत्री इसे स्वीकार करेंगे।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी इस क्लॉज़ ६ में जो संशोधन है। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि यह जो प्रस्ताव मैंने रखा है उसको ठीक ढंग से ड्राफ्ट नहीं कर पाया हूं। इसलिये मैं इसे मूव करना नहीं चाहता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, ऑफिस अवर्स का जो प्रस्ताव श्री दयाकृष्ण विजय

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

ने) रखा है उसके बारे में कुछ दिक्कतें तो मालूम होंगी। आफिस आवर्स हमें प्रेसक्राइब करने होंगे फिर भी मुझे इस अमेन्डमेन्ट को मानने में कोई आपत्ति नही है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो अमेन्डमेन्ट क्लॉज ६ में श्री दयाकृष्ण विजय ने रखा है, उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ को संशोधिन रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ६, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा जाय।

(विराम)

क्लॉज़ ७

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ७ में मेरा अमेंडमेंट इस प्रकार का है यह सिर्फ लेग्वेज़ की बात है।

Substitute :···

(i) 'In evidence' for 'to evidence' and

(ii) 'Proving' for 'providing'

ये जो टाइप की गलतियें हैं उसकी दुरुस्ती के लिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७ के अन्तर्गत जो संशोधन रखा गया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७ को, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉजेज़ ८ व ९

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ८ व ९ स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ८ और ९ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज़ १०

श्री तनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १० में मेरा यह संशोधन है जो बिल्कुल सीधा सा है जहां 'मीनिंग ऑफ' और 'इन्डिया पीनल कोड' के बीच में 'सेक्शन २१, ऑफ' शब्द जोड़ दिये जाय। जो डेफीनिशन दी हुई है वह धारा २१ में दी हुई है इसलिए सेक्शन २१ लगाया जाय, यह फोर्मल संशोधन है। आशा है, मन्त्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे पीनल कोड का मतलब धारा २१ से है फिर भी यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो, मुझे कोई अपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री तनसिंह ने रखा है क्लॉज १० में उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १० को संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १०, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ११

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने लैंग्वेज के करेक्शन के लिए यह अमेन्डमेंट रखा है।

"In sub clause (2), insert 'and' after 'the Registrar General may direct' इसे स्वीकार किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ११ में जो संशोधन रखा गया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११ को संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ११ संशोधित रूप से विधेयक का अँग बना।

क्लॉजेज़ १२ से १४

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ १२, १३ और १४ को स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ १२ से १४ विधेयक के अँग बने।

(विराम)

क्लॉज़ १५

श्री दयाकृष्ण विजय : उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि मैंने कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि किस तरह के आदमी के लिए आवश्यक है, वह रजिस्टर कराये। इसमें संशोधन होना अवश्य चाहिये। मेरा सुझाव है कि प्रिफरेन्शियल आर्डर होना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : किसी के लिए यह कम्पलसरी नहीं है और न कम्पलसरी करना उचित ही है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : ऐसा ही ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज १५ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५ विधेयक में अँग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १६

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें प्रिन्टिंग मिस्टेक है 'Seen' की बजाय 'been' रक्खा गया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन पेश किया गया है वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६, एज़ अमेन्डमेंड, स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६, एज़ अमेडमेंड, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ १७

[विराम]

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १७ स्वीकार किया जावे।

[स्वीकृत]

क्लॉज़ १७ विधेयक का अंग बना।

[विराम]

क्लॉज़ १८

[विराम]

श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १८ में मेरा अमेंडमेंट है :

" and on payment by him on prescribed fee" should be deleted.

उपाध्यक्ष महोदय, अमेन्डमेन्ट लाने का मकसद यह है कि जो सर्टिफिकेट दिया जाय, वह बिना कोई फीस लिये दिया जाना चाहिये। एक बात तो ऐसी है कि जो अन्डर लॉ रजिस्ट्री होती है तो ऑटोमैटिकली उसकी कॉपी फ्री लोगों को मिलनी चाहिए। आप इस रजिस्ट्रेशन को पोपुलेराइज़ करना चाहते हैं तो इसको जब तक आप फ्री नहीं करेंगे तब तक आपका यह लेजिस्लेशन पोपुलेराइज़ नहीं होगा और जब तक देश के लोग किसी कानून को एक्सेप्ट करने के लिये तैयार न हों तब तक कोई भी कानून कामयाब नहीं हो सकता। इसलिये भी जरूरी है कि लोगों में इसे वैलकम करने की भावना पैदा करने के लिये जो रिसेप्टीविटी है, उसके लिए इसे फ्री दिया जावे। इन्सेन्टिव भी इससे उनमें रहेगी कि रजिस्ट्री कराने से फ्री सर्टिफिकेट मिलेगा। नहीं ऐसा करेंगे तो कौन वहां तक जावेगा और इस तरह से आप जिस स्टेटिस्टिक्स के परपज़ के लिये यह सब करना चाहते हैं वह परपज़ आपका सर्व नहीं हो पावेगा। आप लोगों को वॉलन्टरी इसके लिये काम करने को कह रहे हैं। वॉलंटरी खुद जाकर वह रिपोर्ट करें तब वह चीज़ कामयाब हो सकती है। तो मुफ्त सर्टिफिकेट देंगे, तभी मैं समझता हूं कि इसमें किसी किस्म का लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं नहीं जानता कि मन्त्री महोदय क्या दलील देंगे क्योंकि पहले हमने जो बात पेश की थी, सिलेक्ट कमेटी के सिलसिले में उसके लिए अजीब दलील दी थी, शादी के लिये कहा कि रजिस्ट्री के इस कानून से डाइवोर्स नहीं होता है। डाइवोर्स तो कोर्ट डिक्री से होता है। इससे न तो डैथ होगी न बर्थ होगी। जैसे डाइवोर्स का प्रोवीज़न नहीं रक्खा और यह कहा कि डाइवोर्स तो कोर्ट डिक्री से होता है तो डैथ भी नेचरल कोर्स से होता है। और बर्थ भी पर्टिकुलर फंक्शन से होता है। तो दलील पेश जब करते हैं तो किसी भी बात को काटने

(श्री पी० के० चौधरी)

के लिये दलील पेश कर सकते हैं लेकिन कहां तक उस दलील में वज़न है, कहां तक वह दलील ठोस है, यह देखने की बात है । तो मेरा तो अर्ज है कि कन्स्ट्रक्टिव माइन्ड से जब

२·४३ म. प.

(डॉ० चन्द्रकला, सभानेत्री, पदासीन)

अमेंडमेंट लाते हैं और उसको क्लैरिफाई करने के लिये दलील भी पेश करते हैं । पर आप तो स्टिफ एटीट्यूड रखते हैं कि किसी को भी मंजूर न करना, चाहे कोई भी दलील उसके पीछे हो । तो मेरा निवेदन यह है कि आप इसको अगर कामयाब बनाना चाहते हैं तो मुफ्त सर्टिफिकेट दें । तभी यह कामयाब हो सकता है । लोगों में स्वाभाविक रूप से यह जिज्ञासा रहेगी कि चलो रजिस्ट्री कराओ । सर्टिफिकेट मिलेगा । तो मेरे ख्याल से यह जो अमेन्डमेन्ट है इसको मंजूर कर लिया जाना चाहिये कि रजिस्ट्री के साथ साथ फ्री सर्टिफिकेट दिया जावे । ऐसा नहीं करेंगे तो कोई भी तीन पैसे का पोस्टकार्ड खर्च नहीं करेगा या दो आने का लिफाफा खर्च नहीं करेगा या दो मील दूर जाकर किराया खर्च करके दर्ज कराने को नहीं जावेगा । क्योंकि लोगों को मालूम है कि आने जाने का पैसा खर्च करके आवे जावे और समय अलग खर्च करे और फिर अगर नकल की जरूरत पड़े तो कुछ फीस तो आप उसकी लगावेंगे ही, तो वह भी दे तब जाकर रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिले तो इतना कष्ट कोई नहीं उठावेगा । इसलिये इसको अगर वॉलन्टरी बेसिस पर सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट मुफ्त देना चाहिये । नहीं तो इस का हाल शारदा एक्ट के माफिक हो जावेगा । हां, आप यह सन्तोष कर सकते हैं कि आपने कुछ कर दिया । आप जब मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में जावेंगे तो वहां जरूर कहने को आपको मसाला मिल जावेगा कि हमने अपने प्रान्त में देखो, यह कर दिया । बराबर आपके लेवल में हैं ; पर एक्चुअली एम्प्लोमेंट कहां तक कर पावेंगे, यह सवाल है । इसके लिये मेरा यह सुझाव काफी अच्छा है । इसको आप मंजूर कर लीजिये ।

श्रीमती सभानेत्री (डॉ० चन्द्रकला) : एक और है श्री तनसिंहजी का ।

(श्री तनसिंह का सदन में प्रवेश)

श्री तनसिंह : आ गया साहब मैं ।

श्रीमती सभानेत्री (डॉ० चन्द्रकला) : उनको बोलने दीजिये ।

श्री तनसिंह : सांभर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह संशोधन रखते हुए जो दलीलें दी हैं उनका जवाब भी मन्त्री महोदय देंगे । लेकिन इस विषय में मैं अपना संशोधन इसलिये रख रहा हूं कि वे कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, उन्हें अपना संशोधन वापिस भी लेना पड़ सकता है । तब मेरा यह संशोधन काम आवेगा ।

एक माननीय सदस्य : वे विथड्रा नहीं करेंगे ।

श्री तनसिंह : तब मैं अपना कर लूंगा ।

श्रीमती सभानेत्री : आप इनके साथ ही हो जाइये ।

श्री तनसिंह : ठीक है साहब । या तो वे साथ हो जावेंगे या मैं हो जाऊंगा । आप इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिये फीस

Page No.74

(श्री तनसिंह)

प्रेस्क्राइब करेंगे । अब वह क्या फीस होगी, कितनी होगी इसका पता नहीं। राजस्थान चूंकि घाटे में जा रहा है, यह पैसे का काम है, इसलिये यह अन्दाज़ नहीं लगा सकते कि उस फीस की सीमा कहां तक जावेगी । अब रीजनेबल फीस आप रक्खेंगे, पर यह रीजनेबल तो मनुष्यों की आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर रहती है । एक के पास में हज़ार रुपया है वह १० रुपये तक खर्च करना रीजनेबल समझते हैं, और एक के पास में जिसके पास १० है वह दो आना रीजनेबल समझता है । इसलिए आपने जो प्रेसक्राइब्ड फी रखी है, इसका पता नहीं है कि क्या रखी है । राजस्थान की आर्थिक हालत को देखते हुए उसके दृष्टिकोण से जो रीज़नेबल हो सकता है वह सामान्यतः एक साधारण जनता के लिए रीज़नेबल नहीं हो सकेगा । फिर भी मैं तो इस सिद्धान्त के ऊपर आता हूं कि चाहे आपकी रीज़नेबल फी बहुत ही नॉमिनल हो सम्भवतः १ आना या १॥ आना ही हो मैं समझता हूं कि वह तो रुपया या १॥ रुपया तो लगेगी । फिर भी यदि आप इसको एक आना या १॥ आना भी करें तो मेरा स्पष्ट निवेदन यह है कि आपको इस बिल से कोई लाभ नहीं है । आप तो सिर्फ उनके एक तरह से ट्रस्टी हैं जो अपना नाम दर्ज करा सकते हैं । आपने तो सेवा का कार्य अपने ऊपर लिया हैं और इसको आप इस तरह से क्यों चलायें । अगर आप बतायें तो बहुत से लोग यह जो चाहते हैं कि सरकार के पास ऐसे आंकड़े हों वह रजिस्टर करायेंगे । मगर जो यह सर्टिफिकेट लेंगे, उनके ऊपर फी है, रजिस्ट्री के ऊपर नहीं है । लेकिन यदि रजिस्ट्री हो जाती है और जैसा इसके अन्दर सर्टिफिकेट उसी समय ही मिलने का प्रोविज़न है तो व्यक्ति किसी का नाम दर्ज करायेगा तो उसको जो नकल देने का या सर्टिफिकेट देने का है, यह तो साधारणतः होना ही चाहिए बिना फीस के । तो मैं इन शब्दों के साथ माननीय मित्र जो सांभर से आये हुए हैं उन्होंने बताया होगा, मैं उनकी रिपीट नहीं करना चाहता और मैं यह भी जानता हूं कि माननीय मंत्री महोदय का जवाब भी सधा सधाया है । इसलिए मैं कहता हूं कि जनता से अननैसेसरी फीस ज्यादा नहीं लेनी चाहिए और अगर माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि हम एक आना ही लेंगे तो हम अपना प्रस्ताव वापिस ले लेंगे ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री) : चेयरमैन महोदय, पब्लिक डॉकुमेन्टस में किसी में भी फ्री कापी देने का प्रोविज़न हो ऐसा मुझे अभी तक ज्ञात नहीं है । जितने भी पब्लिक डाकुमेन्टस दिये जाते है, म्युनिसिपैलिटी की तरफ से या किसी और दूसरी तरफ से, तो जो उनके लिए प्रेसक्राइब्ड फी है उसी के हिसाब से पैसे ले लिये जाते हैं । मैं कहूँगा तो माननीय सदस्य नाराज़ होंगे कि जैसा मैंने बता दिया, उस समय वह उन्होंने सुना नहीं और मैं फिर इस बारे में मैं कहूँ तो वह फिर नाराज़ होंगे कि ऐसा कहीं भी प्रोविज़न नहीं है कि कोई भी पब्लिक डाकुमेंट बिना फी के दिया जाता हो । और अगर इसको पॉपुलेराइज़ करना है और जनता भी इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके तो इसको फ्री कर देना चाहिए ऐसी बात अभी कही गई । मैं आपको बताऊं कि पोपुलेराइज़ करने का मतलब यह नहीं है कि उसको फ्री कर दिया जाय ताकि हर एक आदमी उसको लेने आ जाये । मान लीजिए एक गांव में लड़का पैदा होता है और अगर फ्री होगा तो वह जरूर ही दर्ज करा

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

लेगा ऐसी बात नहीं है। इसके बाद कहीं पर मान लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ पर झगड़ा हुआ कि इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है तो एवीडेन्स की वैल्यु के लिए सर्टिफिकेट लिया जाता है और इसको पोपुलेराइज करने के लिए इसे फ्री कर दिया जावे, यह दलील मैं नहीं मानता हूं फ्री सर्टीफिकेट ही रहा है, इसलिए बच्चे का नाम दर्ज कराओ, यह दलील मानने की नहीं है। उसके लिए मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हम ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर करायें और इसे किस तरह से करने का इरादा है तो मैं आपको बताऊं कि म्युनिसिपल एरिया में तो अब भी इस तरह से नाम दर्ज कराना कम्पल्सरी है। अब आप मान लजिए की किसी आदमी को फ्री भी दे दिया जाता है तो उसका कोई यूज़ होने वाला नहीं है, सिवाय इसके कि घर में बच्चा हुआ है। मैं समझता हूँ कि इसके सिवाय उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसके आलवा मैं आपको बताऊं कि जो भी रीज़नेबल फीस होगी वही ली जायेगी। जैसे दूसरी चीजों के लिए फ्री प्रेस्क्राइब कर रखी हैं वैसे ही इसके लिए होगी। इसके लिए बाकायदा रूल्स बनेंगे और वह सब को मालूम होंगे। इसमें कोई अन्रीज़नेबल बात होने की सम्भावना नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो मानीनय सदस्य, ने अपना संशोधन रखा है वह उसको वापिस ले लें।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, क्या आप अपना संशोधन वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री पी. के. चौधरी : I may be permitted to withdraw my amendment.

श्रीमती सभानेत्री (डॉ० चन्द्रकला) : प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय सदस्य, श्री पी० के० चौधरी, ने रखा है, उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

(संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।)

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : फीस तो रीज़नेबल होगी, अब तो कोई बात नहीं है।

श्री तनसिंह : रीज़नेबल होगी, इसके इसके लिए आपने क्या बताया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो डिपार्टमेन्ट करेगा।

श्री तनसिंह : मैं तो यह समझ रहा था कि आप यह घोषणा करेंगे कि हम इतने से ज्यादा नहीं लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह की घोषणा आप करते तो मैं अपना प्रस्ताव वापिस ले लेता। लेकिन आपने कोई अमाँउन्ट नहीं बताया और फिर रीज़नेबलनैस तो व्यक्ति की आर्थिक परिस्थिति पर निर्भर करता है और वैसे अभी हम देख रहे हैं कि राजस्थान राज्य की आर्थिक हालत ठीक नहीं होने कारण, कोई भी अमाँउन्ट रीज़नेबल हो सकता है।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : मैं आपको बताऊं कि जो नकल लेगा उसी को यह फी देनी होगी फिर इसे कम्पलसरी भी तो नहीं बनाया है। यह तो बहुत सीधी सी बात है।

श्री तनसिंह : माननीय मन्त्री जी चाहते हैं कि मैं इसको विथड्रा करलूं तो कोई एतराज नहीं है।

श्रीमती सभानेत्री: आप क्या चाहते हैं, यह बताइये ?

श्री तनसिंह : मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी कह दें कि इससे ज्यादा नहीं लिया जायेगा। सभी चीजों पर फीस ली जाती है, लेकिन मैं निवेदन करूं कि ऐसी भी कई चीजें हैं जिन पर कोई फीस नहीं ली जाती और बिना पैसे नकल दी जाती है।

श्री मूलचन्द डागा : उदाहरण बताइये, जिसमें बिना फीस के नकल दी जाती है।

श्री तनसिंह : मुझे पूरा याद है कि चार्ज जब सुनाया जाता है तो मुलजिम से कोई फीस नहीं ली जाती।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य इन जानकारियों में न जाये। आप तो यह बताइये कि आपका संशोधन के बारे में क्या विचार है ?

श्री तनसिंह : माननीय सदस्य ने कोई उदाहरण पूछा था, तो उसका मैंने एक उदाहरण रखा और हो सकता है कि ऐसे कई उदाहरण हों·······

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : मुलजिम के लिए तो यह प्रिविलेज है और यहां कोई भी मुलजिम नहीं है।

श्री तनसिंह : फिर आपको तो प्रिविलेज देना चाहिए क्योंकि कोई जन्मा है या मरा है दोनों ही सूरत में प्रिविलेज देना चाहिए। यदि माननीय मन्त्री महोदय इच्छुक हैं कि मैं अपना संशोधन वापिस ले लूं और वह इस बात का आश्वासन देते हैं कि फी रीजनेबल चार्ज की जायेगी, तो मैं अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : जो संशोधन माननीय सदस्य, श्री तनसिंह जी, ने रखा है क्या उसे वापिस लेनेकी आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री तनसिंह : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि विधेयक के क्लॉज १८ को स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १८ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ १६

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक का क्लॉज़ १६ स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ २०

३. १ म० प०

श्रीमती सभानेत्री *(डॉ० चन्द्रकला)* : श्री पी० के० चौधरी।

(श्री पी० के० चौधरी के नहीं उठने पर) आप नहीं रख रहे हैं।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २०.......

श्री तनसिंह : ७ और १८ नम्बर के और हैं।

Page No.77

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य श्री तनसिंह ।

श्री तनसिंह : यह ७ नम्बर किस चीज पर लगा हुआ है ? इसमें लिखा हुआ है कि क्लॉज़ २० पर एमेंडमेंट ४, ७ और १८ मेरा तो नम्बर १८ पर है । ७ नम्बर किसका आ गया है ?

श्रीमती सभानेत्री : इसमें क्या अमेंडमेंट है, आप बोलिये ?

श्री तनसिंह : मेरा तो एक है, मैं बोल दूंगा । मेरा संशोधन प्रस्ताव यह है कि जो इसके मार्जिनल हेडिंग पर "Searches and copies of entries' है उसके आगे "Every Registrar shall, on payment of prescribed fees, at all reasonable times allow searches to be made in the register books kept by him and give a copy of any entry in the same." तो इसमें 'सर्चेज़' की जगह 'inspection' शब्द लिखना चाहिए ।

रजिस्टर में सर्च करने की इजाजत दी जाय तो सर्च ऐसी होती है कि जो चीज दबी हुई हो उसको निकालने की कोशिश की जाय । इसके लिए 'इन्सपेक्शन' शब्द ही सही लगता है । माननीय मन्त्री महोदय का कोई विशेष अर्थ हो तो और कोई सवाल हो तो वह अलग बात है । मेरा कोई ख्याल नहीं है । मैं समझता हूं कि यह फोरमल एमेंडमेंट है इसको स्वीकार कर लेंगे ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : मैडम चेयरमैन, और 'इन्सपेक्शन' में 'सर्चेज़' शब्द ज्यादा वाइड है । मान लिया जाय कि हमने रजिस्ट्रार को दर्ख्वास्त दी कि इन्सपेक्शन करने की इजाजत दी जाय तो उसमें साल वगैरह लिखना पड़ेगा कि फलां एन्ट्री फलां साल के अन्दर है उसके इन्सपेक्शन की इजाजत दी जाय । you will have to categorise it. लेकिन 'सर्चेज़' के अन्दर वह सब आ जाते हैं । अगर एक साल में नहीं है तो दूसरे साल में होगा । 'सर्च' वह ज्यादा कम्पीटेन्ट है, अगर आप 'इन्सपेक्शन' रखें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन 'सर्च' ज्यादा कम्पीटेन्ट है मैंने अभी पूछा है । इसलिए इसको रख दिया जाय । डाकुमेन्ट का इन्सपेक्शन कर सकते हैं उसमें कोई रुकावट नहीं हैं । सर्च करते हुए भी उसको इन्सपेक्ट करेंगे । मैं अर्ज करूंगा कि इसमें कोई खास बात नहीं है । इसलिए इसको रहने देंगे ।

श्री तनसिंह : वैसे माननीय मन्त्री महोदय ने जो जबाब दिया है कि 'सर्चेज' ज्यादा वाइड टर्म है और उसमें इन्सपेक्शन भी आ जाता है । यह मेरे दिमाग में कम बैठता है । फिर भी माननीय मन्त्री महोदय के कहने पर बताऊंगा कि 'सर्चेज़' करेंगे तो कौन दर्ख्वास्त देगें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दर्ख्वास्त देगें कि फलां रजिस्टर से डेट ऑफ बर्थ मालूम करनी है । जब हम इन्सपेक्शन करने जायेंगे तो बताना होगा कि फलां तारीख के फलां रजिस्टर को इन्सपेक्ट करना चाहते हैं और 'सर्चेज' में हमें एक साल में नहीं मिला तो दूसरे साल का देख सकते हैं और तीसरे साल या चौथे साल का देख सकते हैं । यह वाइडर टर्म है । सर्च करेंगे तो देख सकेंगे ।

श्री तनसिंह : माननीय मन्त्री महोदय, के उत्तर से मैं पूर्णतया संतुष्ट हूं । इसलिए मैं अपने प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ ।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि माननीय श्री तनसिंह ने जो प्रस्ताव रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री तनसिंह: मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि विधेयक के क्लॉज़ २० को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २० विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड २१ से २३

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक के खण्ड २१, २२, और २३ स्वीकार किये जायें।

(स्वीकृत)

(विराम)

खण्ड २१, २२ और २३ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

खण्ड २४

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: मैडम चेयरमैन, क्लॉज़ २४ पर एक एमेंडमेंट है इसमें सिर्फ लैंग्वेज़ की बात है। 'राजस्थान गजट' के बजाय 'ऑफिशियल गजट' कर दिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि क्लॉज २४ में जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक का क्लॉज २४ संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज २४ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ २५

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैडम चेयरमैन, क्लॉज २५ में मेरा एक संशोधन प्रस्ताव है। वह लैंग्वेज़ की बात है कि 'एज़ एडॉप्टेड फोर मध्यभारत' के बजाय 'एज़ एडॉप्टेड फोर प्रिऑरगैनाइज्ड स्टेट ऑफ मध्यभारत' किया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि धारा २५ में जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि विधेयक का क्लॉज़ २५ संशोधित स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज २५ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बना।

(विराम)

(श्रीमती सभानेत्री)

क्लॉज़ १

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक का क्लॉज १ स्वीकार किया जाय ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: मैडम चेयरमैन, इस पर मेरा एमेंडमेंट है । 'राजस्थान गजट' के बजाय 'ऑफिशियल गजट' कर दिया जाय खाली एक लैंग्वेज की बात है ।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है क्लॉज १ में जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक का क्लॉज १ संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज १ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

इनेक्टिंग फॉर्मुला इत्यादि

(विराम)

प्रश्न यह है कि इनेक्टिंग फॉर्मुला इत्यादि स्वीकार किये जायं ।

(स्वीकृत)

इनेक्टिंग फॉर्मुला इत्यादि विधेयक के अंग बने ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चेयरमैन महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाय ।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि राजस्थान रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थस डैथ्स एण्ड मेरेजेज़ बिल, १९५८ को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

(विराम)

३.९ म० प०

राजस्थान दुकान और वाणिज्य संस्थान विधेयक, १९५७

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : सभानेत्री महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बिल, १९५७ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री गिरधारीलाल : माननीय सभानेत्री जी, आज जो हमारे सामने राजस्थान दुकान और वाणिज्य संस्थान विधेयक, १९५७, पेश किया गया है, उस विधेयक के अन्दर खामियां हैं जिनकी ओर मैं आपके द्वारा, इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं, और मैं प्रस्ताव करता हूं कि क्योंकि इस बिल के अन्दर काफी कमियां है, इसलिए इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय । और वे खामियां निम्न प्रकार से हैं जिनको कि ३–४ बातों में, ३,४ प्वाइन्टस में मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये इस बिल के अन्दर खामियां हैं ।

सभानेत्रीजी, जैसा कि हम कोई बिल इस सदन के सामने प्रस्तुत करते हैं तो किसी

(श्री गिरधारीलाल)

भी बिल को हम कोई न कोई उद्देश्य लेकर प्रस्तुत करते हैं। इस बिल के पीछे भी हमारा कोई उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हम एक बिल सदन के सामने रखते। जिस वर्ग के लिए और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम इस बिल को रखते हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति हम चाहते हैं। इस बिल को रखने में भी कोई न कोई उद्देश्य है और वह यह हो सकता है कि मंत्री जी के दृष्टिकोण से इस बिल से राजस्थान के उन कर्मचारियों को जो प्राइवेट सस्थाओं दुकानों आदि में काम करते हैं और जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं जिनको हम मुनीम गुमाश्ता या दुकानों के कर्मचारीं कह सकते हैं उनको राहत पहुंचाने की दृष्टि से इसे रखा गया है। इस बिल के उद्देश्यों में भी यही बात लिखी हुई है। इसको पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि इससे उन लोगों को इतनी राहत नहीं पहुंचेगी जितनी राहत की आशा लेकर मंत्रीजी ने इसे पेश किया है। जैसी उनको आशा थी और जैसा उनका विश्वास था और जिस तरह से इस बिल के द्वारा वे उन कर्मचारियों को फायदा पहुंचाना चाहते थे वैसा फायदा नहीं पहुंचा सकेंगे।

इस बिल के अन्दर सबसे पहले क्लॉज १ में सब क्लॉजेज़ (४) और (५) हैं उसका जिक्र करूँगा। धारा २ में लिखा है कि इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में होगा लेकिन धारा ४ में लिखा है, राज्य सरकार की जो नीति है उसके पीछे जो आशय है वह यह है कि राज्य सरकार जब चाहे तब जिस क्षेत्र को चाहे उस क्षेत्र को इससे मुक्त कर सकती है और जब चाहे तब लागू कर सकती है। इसी प्रकार क्लॉज ३ (२) का जिक्र करना चाहता हूं, उसमें स्पष्ट लिखा है कि राज्य सरकार, राज-पत्र में विज्ञप्ति द्वारा, किसी संस्थान या संस्थानों के वर्ग को या व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों को, जिस पर यह। जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, इसके समस्त प्रावधानों से या उनमें से किन्हीं प्रावधानों से, ऐसी शर्तों के आधीन, जिन्हें राज्य सरकार उचित समझे या तो स्थायी तौर से या किसी निर्धारित अवधि के लिए, मुक्त कर सकेगी।

इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार, एक बिल या कानून लाकर राजस्थान के कुछ कर्मचारियों का फायदा पहुंचाना चाहती है और दूसरी तरफ राजस्थान सरकार इस बिल में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करती है जिससे उन कर्मचारियों को कोई फायदा नहीं पहुंचे। यहां पर मंत्रीजी ने जो बिल पेश किया है उसकी भाषा से साफ जाहिर है कि जिस जगह चाहे उस जगह लागू कर सकते हैं न कि राजस्थान भर में। ऐसा करने से उनका उद्देश्य यह है कि जिस शहर में, जिस उप नगर और जिस गांव में और जिस स्टेट में हम चाहें उसमें तो लागू कर सकते हैं और न चाहें तो लागू नहीं कर सकते हैं। इस तरह की भाषा से मैं समझता हूं एक तरफ समस्त राजस्थान के लिये प्रस्तुत करते हैं और दूसरी तरफ आप अधिकार चाहते हैं इस सदन से कि हमें अधिकार दे दें कि जहां चाहें वहां लागू कर दें और व्यापारियों को छूट दे दें।

दूसरी कमी इस बिल में यह रहेगी कि इस बिल में कुछ संस्थाओं को छूट दे दी गई है। जैसा कि क्लाज ३ में लिखा है: इस अधिनियम की कोई भी बात निम्न-लिखित पर लागू नहीं होगी।" इससे साफ जाहिर है कि राज्य सरकार कुछ संस्थाओं पर इस बिल को लागू नहीं करना चाहती है।

(श्री गिरधारीलाल)

मैं राज्य सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि आपने उन कर्मचारियों को राहत दिलाने के लिए बिल प्रस्तुत किया है जो कर्मचारी राजस्थान में दुकानों में काम करते हैं और आप दूसरी तरफ यह चाहते हैं कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो धर्म के नाम पर व्यापार करते हैं या और तरह की हैं उनको इस बिल की धाराओं से मुक्त करना चाहते हैं । उन धार्मिक संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को बन्धन में रखना उचित नहीं है । तीसरी कमी यह रहेगी ......

श्री पुरुषोत्तमलाल : 'धार्मिक' शब्द कहां है ?

श्री गिरधारीलाल : (जारी) उपखण्ड (ज) में लिखा है : धर्मार्थ या अन्य प्रयोजनो जिनके लिये निजी लाभ नहीं उठाया जाता है, उसके लिए कार्य तथा विक्रय हेतु मेले या बाजारों, इसका मतलब यह है कि उन लोगों पर लागू नहीं करना चाहते हैं जो धर्म के नाम पर दुकान करते हैं । यह अपवाद स्वरूप नहीं है । हमारे राजस्थान में ऐसी कई संस्थायें मिल जायेंगी जो ऊपर से धर्म का लेबल लगाते हैं और धर्म के नाम की ओट में बिज़नस करते हैं, उन पर लागू नहीं होगा ।

इस प्रकार से इस कानून के द्वारा राज्य सरकार ने जो अधिकार मांगे हैं और इस बिल में जो लचीली भाषा है, उससे जाहिर होता है कि इससे उन कर्मचारियों को फायदा नहीं पहुँचेगा, जिनको फायदा पहुँचाना चाहते हैं ।

इसी प्रकार चौथी कमी जो नज़र आई है, वह यह है कि हमने इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं रखा है जिससे आये दिन जो व्यापारी कर्मचारियों की हालत खराब करते हैं उनसे उनको राहत दिला सकें । उन कर्मचारियों को बिना नोटिस और बिना किसी अपराध के दुकान के मालिक जब चाहें तब निकाल देते हैं । तो हमने दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने वाला कानून बनाया और दूसरी तरफ हमने इसमें कोई प्रावधान नहीं रखा । जिससे उनको नौकरी में गारन्टी हो । इसी प्रकार इस कानून में हमने व्यापारियों को, दुकानों के मालिकों को हर तरह से छूट दी है और जो कर्मचारी वहां काम करते हैं, उनको कोई गारंटी नहीं दी है । हम चाहते हैं कि प्राइवेट संस्थाओं में जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिये ६ महीनों या १२ महीनों का लिमिट रख दें, जिससे ६ महीने तक काम कर लिया, तो मालिक जब तक उनके खिलाफ पक्का सुबूत नहीं मिले, नहीं निकाल सकता । गबन वगैरह अपराध किया हो, उसका जब तक पक्का सुबूत नहीं मिले तब तक उनको नहीं निकालना चाहिये । लेकिन हमने इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया है ।

सभानेत्रीजी, आज हम देखते हैं कि कोई एम. ए. पास लड़का है या बी. ए. पास है, वह सरकारी नौकरी की ओर भागता है वह इसलिये कि सरकारी नौकरी में चाहे तनख्वाह कम मिले या ज्यादा मिले, लेकिन कम से कम इतना तो है कि एक व्यक्ति को रखा जाता है तो उसको बिना अपराध के नहीं निकाला जा सकता । आज हम देखते हैं कि प्राइवेट दुकानों में बिना किसी नोटिस के, बिना किसी अपराध के जब चाहे तब निकाल देते हैं । इस तरह से इस कानून में यह कमी है और दूसरी बात यह है कि जब दुकान का मालिक एक कर्मचारी को निकाल देता है, चाहे उसका अपराध हो या न हो तो भी यह

Page No.82

(श्री गिरधारीलाल)

स्वाभाविक बात है कि वह कर्मचारी चाहे कितना ही नेक या ईमानदार हो, तो वह दुकानदार के पास जायगा तो वह दुकानदार उस पर अच्छी नज़र नहीं रखेगा, उस पर शक करेगा क्योंकि एक दुकान से निकाले हुए आदमी पर शक करना वाजिब है। इसी प्रकार इस कानून के अन्दर तीसरी खामी मुझे नज़र आई है, वह यह है कि हमने यह कानून उन लोगों के लिए बनाया है, जो कि नौकर हैं, या कर्मचारी हैं। लेकिन इस बिल को पढ़ने से ऐसा महसूस होता है कि हमारी उन लोगों को, जिन लोगों के लिए कानून बनाया है, इस कानून के द्वारा राहत पहुंचाने की कोई मन्शा नहीं है। आपने क्लॉज २ की उप धारा पांच में जो कर्मचारी की डेफिनेशन दी है, उसके अन्दर आपने लिखा है :

'कर्मचारी तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो पूर्णतः या मुख्यतः किसी संस्थान में नियोजित है या उसके सम्बन्ध में नियोजित किया गया है या तथा इसमें शिशिक्षु (apprentice) भी शामिल है परन्तु उसमें नियोजक के परिवार का सदस्य शामिल नहीं है....

आपका मतलब यह है कि नियोजक, जो दुकान का मालिक है, उस पर यह कानून लागू नहीं होगा। आप नियोजक की परिभाषा में लिखते हैं...

'नियोजक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसके अधिकार में कोई संस्थान हो या जो उसका मालिक हो या उसके मामलों पर अन्तिम नियन्त्रण रखता हो और इसमें मैनेजर, एजेन्ट या संस्थान के सामान्य प्रबन्ध या नियंत्रण का कार्य करने वाला अन्य व्यक्ति भी शामिल है,...

यानि नियोजक में मैनेजर, एजेन्ट या अन्य प्रबन्ध करने वाला व्यक्ति भी शामिल है। इसलिए साफ़ ज़ाहिर है कि हम एक तरफ मुनीम, गुमाश्ता, जिसको अंग्रेजी में मैनेजर या एजेन्ट कह सकते हैं, के फायदे के लिए कानून बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम कहते हैं, जो नियोजक की डेफिनेशन में आता है, मालिक की डेफिनेशन में देते हैं मालिक के ऊपर यह कानून लागू नहीं होता है। इससे साफ ज़ाहिर है कि यह जो कानून बनाया है, इससे उन लोगों को राहत नहीं पहुंचेगी, जिनको राहत पहुंचाना चाहते हैं।

इसी प्रकार कुछ खामियां और हैं, जिन की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसा आपने कहा है कि संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके लिए एक फार्म होगा और उसमें नाम लिखेंगे, जो नियोजक, प्रबन्धक आदि के हैं, उसमें एक नाम नहीं लिखेंगे, कर्मचारी का नाम उसमें नहीं लिखा जायगा। जब तक कर्मचारी का नाम नहीं लिखा जायगा, तब तक उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को हमने नियुक्त किया है इस काम के लिए, उस सरकारी कर्मचारी को कैसे पता चलेगा कि फलां दुकान में फलां व्यक्ति काम करता है। इस प्रकार जो फार्म है, इसके अन्दर उनका नाम न लिखना साफ जाहिर करता है कि हमारी मन्शा उन लोगों को फायदा पहुंचाने की नहीं है, जिनको आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं।

इसी प्रकार इसमें एक और खामी है, जो आकस्मिक अवकाश के बारे में है। आपने कहा है कि १५-२० दिन के बाद हर कर्मचारी को एक छुट्टी मिलेगी। लेकिन अगर वह बीमार पड़ जाता है, उसके पास कोई

Page No.83

(श्री गिरधारीलाल)

सामाजिक कार्य आ जाता है, या कोई इस प्रकार का काम हो जाता है कि उसको छुट्टी लेना लाज़िमी हो जाता है तो आपके कानून के द्वारा उसे किसी प्रकार छुट्टी नहीं मिलेगी ।

इसी प्रकार मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं दुकानों के अन्दर, जो रात के समय दो-दो घण्टे काम करते हैं । दुकान का मालिक चौबीस घण्टे के लिए किसी व्यक्ति को न रख कर केवल रात को एक घण्टे के लिए रखता है, सप्ताह में एक दिन के लिए या महीने में चार पांच दिन के लिए एक कर्मचारी को रखता है । ऐसे कर्मचारियों की संख्या, जिनको हम कह सकते हैं कि डेली बेसिस पर काम करते हैं, रोजमर्रा, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है क्योंकि महंगाई के जमाने में आज दिन व्यापार में लोगों को फायदा नहीं हो रहा है, इस कारण से आज दुकान के मालिक हैं, वे पर्मानेन्ट नौकर नहीं रखते हैं । वे लोग सप्ताह में एक दिन, या महीने में चार पांच दिन काम करने वाले लोगों को रखते हैं और उनको १५) २०) रुपये दे देते ऐसे लोगों को राहत पहुंचाने का प्रोविज़न नहीं है ।

इसी प्रकार और भी खामी है, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । आपने इस बिल के अन्दर इस प्रकार की कोई गारन्टी उन लोगों को नहीं दी है, जैसे ताला बन्द करने की है । आपने कहा है कि सप्ताह के अन्दर एक दिन दुकान बन्द रहेगी । लेकिन आपने दुकान बन्द रखने की डेफिनेशन दी है कि किसी खरीददार की सेवा के लिये या संस्थान से सम्बन्धित किसी कारोबार के लिए खुला नहीं होगा । इससे साफ जाहिर है कि दुकानदार यदि दुकान खोलता है और आपका कर्मचारी, जिसे आपने नियुक्त किया है, कहता है कि तुमने दुकान क्यों खोली है ? तो वह स्पष्ट कह देगा कि मैंने अन्य काम के लिए दुकान खोली है न कि दुकान के काम के लिए खोली है । इसी प्रकार आपने सप्ताह में एक दिन दुकान बन्द रखने का नियम बना कर रखा है । आज भी इस नियम का पालन राजस्थान के अन्दर कम होता है क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट के पास इतने व्यक्ति नहीं हैं कि वे सब जगह जाकर देख सकें । इसलिए ही आपने इस कानून को लचकती हुई भाषा में रखा है और आप चाहते हैं कि राजस्थान के कुछ हिस्सों के अन्दर इस कानून को लागू कर दें और राजस्थान के अन्य हिस्सों के लोगों को छूट दे दें । इस प्रकार इस कानून की भाषा अजीब ढंग की है, जिसके द्वारा जिन कर्मचारियों को राहत पहुंचाने का सवाल है, राहत नहीं पहुंचा सकते । इसलिए माननीया सभानेत्रीजी, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बिल के अन्दर जो खामियां रह गई हैं, उन खामियों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया है, उन खामियों को दूर करने के लिए इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करें और खामियों को दूर करवायें उस ढंग से, जिस ढंग से इस वर्ग को फायदा पहुंच सकता है । अगर आपकी नीयत साफ है तो क्यों नहीं इस कानून को इस समय पास नहीं करके अच्छे ढंग से इसे पास करें ताकि उन लोगों को फायदा पहुंच सके । अगर ऐसे ही बिल्स पास कर दें जिससे न राहत मिले और न कुछ और तो मैं समझता हूं कि न तो इस सदन का टाइम खराब करना चाहिए और न इस प्रकार के बिल को इस सदन में पेश करना चाहिए ।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय दयाकृष्ण जी ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय सभानेत्री, मैंने अलग से एक प्रस्ताव रखा है कि इस बिल की प्रवर समिति........

श्रीमती सभानेत्री : इस प्रकार का समर्थन कीजिए ।

श्री दयाकृष्ण विजय : देखिये, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह एक टेक्नीकल पॉइन्ट है । यदि माननीय सदस्य ने इसको वापिस ले लिया तो हमारे सामने इस तरह का प्रस्ताव नहीं रहेगा । इसलिए में अलग से प्रस्ताव रखना चाहता हूं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है और इस प्रकार अलग अलग कई प्रस्ताव आ सकते हैं । मैं अलग से प्रस्ताव रखना चाहता हूं, क्योंकि हर एक के अलग अलग विचार हो सकते हैं, हो सकता है कि वे अपना प्रस्ताव वापिस ले लें । इसलिए मैं एनटाइटिल्ड हूं कि अलग से प्रस्ताव रखूं........

श्रीमती सभानेत्री : ठीक है, आप अपना प्रस्ताव रखिये ।

श्री दयाकृष्ण विजय : आज हमारे सामने इतना महत्वपूर्ण मसला है । इसकी ओर हम देखते हैं कि जनता के अन्दर जो कर्मचारी वर्ग है, जो इस प्रकार वाणिज्य संस्थाओं में काम करता है, उसमें विशेष प्रकार की जाग्रत देखने को मिली है । हमारे यहां कितने ही प्रस्ताव पास हुए, कई श्रमिकों के बारे में हुए, बिल बनें और फिर एक्ट बनें, लेकिन उनमें इतनी जाग्रति नजर नहीं आई । लेकिन जिस बिल पर विचार हो रहा है, तो हम देखते हैं कि इस प्रकार के कर्मचारी वर्ग की ओर से कई प्रकार के संशोधन माननीय सदस्यों के पास भेजे गये हैं । इतना ही नहीं बल्कि कई जगहों से इस प्रकार के प्रस्ताव आये हैं कि इसको रखा जाय और इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, ताकि जल्दी में पास न हो जाय । मैं चाहता हूं यहां पर इस सदन में बैठ कर शीघ्रता से इसे पास न करें, कारण, इसके द्वारा ऐसे कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने जा रहे हैं, जिनकी कर्मचारियों की बड़ी आवश्यकता है । उन कर्मचारियों को आज दुर्दशा हो रही है । इसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं । अवकाश का दिन उनके लिए घोषित नहीं है, ओवर टाइम उनसे वर्क लिया जाता है, जो ओवर टाइम वर्क लिया जाता है, उसका पैसा नहीं देते हैं । इसी प्रकार बच्चों को नौकर रखा जाता है, महिलाओं को नौकर रखा जाता है, उनका भलीभांति ध्यान नहीं रखा जाता है । महिलाओं को प्रसव काल के समय अवकाश नहीं दिया जाता है, और उस समय का पैसा काट लिया जाता है । ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं । क्योंकि ऐसे कर्मचारियों को अपना पेट भरना है इसलिए वे सर्विस करते हैं । उन्हें राज्य सरकार की नौकरी नहीं मिलती है । आज हर आदमी सरकारी नौकरी के लिए दौड़ता है । सरकारी नौकरी करने का प्रलोभन इस कारण है कि नौकरी संरक्षण है, समय की पाबन्दी है, पांच बजने के बाद वह कर्मचारी मस्त हो जाता है, स्वतन्त्र हो जाता है और अपनी गृहस्थी की ओर निगाह डालता है लेकिन जब हम उस कर्मचारी पर निगाह डालते हैं तो वह पांच बजे से लेकर रात को १२ बजे तक काम करता है, किसी होटल में काम करता है, या किसी सेठ के यहां काम करता है । उस कर्मचारी की दुर्दशा की ओर ध्यान देना स्वाभाविक है । हमारे सामने जो बिल आया हुआ है, उस बिल के द्वारा ऐसे कर्मचारियों की रक्षा करने जा रहे हैं । इस बिल के अन्दर हमें शीघ्रता करने की आवश्यकता नहीं है । हो सकता है कि कुछ समय

(श्री दयाकृष्ण विजय)

लग जाय, लेकिन इस प्रकार का बिल पास करें ताकि जो खामियां रह गई हैं, जो कुछ भी कमियां रह गई हैं, वे कमियां दूर हों ताकि जिनके लिए बिल पेश करने जा रहे हैं, जिनकी रक्षा का दायित्व हम उठा रहे हैं, हम समझते हैं कि इसमें शीघ्रता करने के कारण अपने दायित्व के प्रति न्याय नहीं कर सकते, उनकी रक्षा के दायित्व के प्रति न्याय नहीं कर सकते। इस प्रकार हम समझते हैं कि जो परिश्रम कर रहे हैं, वह सफल नहीं होगा बल्कि धीरे धीरे संशोधन लाने पड़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि इस पर शीघ्रता से विचार न करके प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

इस बिल में जो कमियां रह गई हैं, उनकी ओर माननीय सभानेत्री जी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। धारा दो की सब क्लॉज ४ के अन्दर दिन की परिभाषा दी गई है, यह बड़ी विचित्र परिभाषा है :

"दिन से तात्पर्य अर्द्ध रात्रि से प्रारम्भ होने वाले चौबीस घण्टों की अवधि से है।"

यह अंग्रेजी की देन है, जो देन हमारे सिर पर चढ़ी हुई है कि आधी रात से दिन शुरू हो जाता है। आज हम स्वतन्त्र हैं और हम लोग इस बात पर विचार कर सकते हैं कि दिन क्या होता है, रात क्या होती है। आखिर दिन १२ बजे रात को शुरू होता है और १२ बजे दिन के खत्म होता हैं और रात शुरू हो जायेगी........

श्री मूलचन्द डागा : मिती कब शुरू होती है ?

श्री दयाकृष्ण विजय : दिन रात को १२ बजे से नहीं लगता है। राजस्थान के दिन रात के १२ बजे से नहीं लगता है, पाली में होता होगा।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य चेअर को एड्रेस करें।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं निवेदन करूं कि अंग्रेजी की देन है। मैं समझता हूं आज इस प्रकार का कानून बनाने से पहले खुले मस्तिष्क को रखना चाहिए और दासता के बन्धन मस्तिष्क से हटा कर, मुक्त होकर यह सोचना होगा कि आखिर दिन कब होता है, रात कब होती है। दिन की परिभाषा पढ़ कर मुझे विचित्र सा लगा कि रात के १२ बजे दिन शुरू हो जायगा और कड़कड़ाती धूप में दिन के १२ बजे रात शुरू हो जायगी। एक विचित्र सा सवाल है, मसला है जो विचारणीय है। इसके अतिरिक्त सब क्लॉज (II) में दे रखा है :

" 'Night' means a period of atleast 12 consecutive hours which shall include the interval between 10 a.m. and 6 a.m."

वही बात मैं निवेदन कर रहा था, वही इसमें लागू होती है। अब मैं क्लॉज़ २० की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

" 'Week' means the period of 7 days beginning at midnight of Saturday or such other night as may be approved in writing for a particular area by the prescribed authority."

यह वही चीज चल रही है, आपका सप्ताह कब से शुरू होगा, आधी रात से। सूर्यादय होता है तब से सप्ताह शुरू होता है, सूर्यादय हुआ और उसके बाद सूर्यास्त हुआ तो हम मानते हैं कि एक दिन हुआ, इसमें दिन रात

Page No.86

(श्री दयाकृष्ण विजय)

अलग अलग होने चाहिये, पर विचित्र सा इसमें देखने को मिलता है ।

अब मैं माननीय सभानेत्री जी, आपका ध्यान क्लॉज़ ३ की उपधारा (इ) की ओर दिलाऊंगा । (इ) बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी ओर ध्यान देना है :

"(e) persons occupying positions of the menagement or employed in a confidential capacity."

हो सकता है कॉन्फिडेन्शियल केपेसिटी में नौकर रखा हो पर कार्य करने की अवधि तो होनी ही चाहिए। किसी तरह से नौकर रखा गया हो, कैसी भी उसकी नौकरी हो, उसके कार्य करने की अवधि होनी चाहिये, किसी व्यक्ति पर ज्यादा समय तक काम करने का भार नहीं डाल सकते । यह जागृति पश्चिम से आई, रूस से हमें मिली, हमारे मजदूर कर्मचारियों में जागृति आई और उन्होंने सोचा कि हर जगह ८ घण्टे काम करने का प्रोविज़न है तो केवल हिन्दुस्तान ही ऐसा देश है जहां दासी, बांदियां और गुलाम प्रथा आज भी जारी है । जागीरदार और राजा महाराजाओं को देखें जिनके यहां आज भी गुलामी की प्रथा है, दास दासी दो रोटी के टुकड़ों के लिए दिन भर सेवा करते हैं, उस दास प्रथा को समाप्त करने की बड़ी आवश्यकता है । मैं समझता हूं यह बिल इस पर लागू नहीं होता है पर जहां वाणिज्य संस्थान की ओर ध्यान देते हैं तो इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसे ऐसे कर्मचारी जिनसे दिन दिन भर काम लिया जाता है और दास दासी की प्रथा को इस बिल से समाप्त किया जाता तो अच्छा होता और निजी संस्थाओं के अन्दर जो लोग कार्य करते हैं उनके ऊपर भी यह कानून लागू होगा, यह इसमें होना चाहिये । सब एक समान हैं, सब की नसों में एक ही रक्त बहता है, फिर यह भेदभाव क्यों, एक गुलाम, दूसरा शासक और रंक और राजा, इस प्रकार की परिभाषा स्वतन्त्र भारत में देखने को मिले तो हम उसी परिपाटी से चलेंगे जिसे, राज्य शाही, नौकरशाही, और लालफीता शाही कर, हम उसका विरोध करते हैं ।

क्लॉज़ ३ में एक और बताना चाहता हूं :

"persons whose work is inherently intermittent such as travellers or care takers:"

इस प्रकार के यात्री और उनकी सुरक्षा करने वाले ऐसे लोगों पर लागू होता है । जैसा अभी श्री गिरधारीलालजी ने रखा :

"fairs or bazar for sale of work for charitable or other purposes for which no private profit is derived."

मैं समझता हूँ कि इसके अन्दर भावना बहुत अच्छी है और हर आदमी चाहेगा कि अधिक से अधिक सेवा की जाय । यह व्यक्ति से सम्बन्ध रखता है पर कानून तो सबसे सम्बन्ध रखना चाहिये । धार्मिक मामलों में किसी संस्था से मुझे प्रेम है तो मैं अपना सारा दिन उसके लिये दे सकता हूँ पर जहां नौकरी का सवाल आ जाता है तो वहां जो भी कानून बने, सबके लिये बराबर रखना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त आगे के क्लॉज के अन्दर, क्लॉज़ ७ की ओर मैं आपका ध्यान

(श्री दयाकृष्ण विजय)

आकर्षित करना चाहता हूँ :

Daily and Weekly hours: No employee in any establishment shall be required or allowed to work for more than 9 hours in any day and 48 hours in any week."

यह एक विचित्र सी बात है। एक दिन में ६ घन्टे काम लेना चाहते हैं और एक सप्ताह में ४८ घंटे काम लेना चाहते हैं। एक दिन अवकाश कर दिया और ६ घन्टे प्रतिदिन काम लेते हैं तो ५४ घंटे एक सप्ताह में उससे काम लिया, नाइन ऑवर्स एक दिन काम करेगा पर कहते हैं ४८ ऑवर्स। तो क्या शनिवार को आधी छुट्टी दे देगा, वह मालिक ? यह असम्भव है। इस प्रकार आप मालिक और नौकर के बीच झगड़ा खड़ा करना चाहते हैं, वर्ग संघर्ष को बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रकार के कानूनों को बनाने के पीछे मकसद होता है कि मालिकों और मजदूरों के बीच, जो वर्ग संघर्ष की भावना चली आ रही है, उसको मिटाया जाय। अगर हम आंखें बन्द कर के पाश्चात्य पद्धति का अन्धानुकरण करें, इस भारत में रूसी पद्धति और मार्क्स पद्धति से इस प्रकार वर्ग संघर्ष को बढ़ावा दिया गया तो जिस उन्नति की ओर हम बढ़े चले जा रहे हैं वह सम्भव नहीं होगा, चाहे प्रथम पंचवर्षीय योजना लायें, चाहे द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं लायें और तृतीय पंचवर्षीय योजना लायें। अगर हम मालिकों और मजदूरों के वर्ग संघर्ष को नहीं मिटा सके और इस वर्ग संघर्ष को बढ़ावा दिया तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं हम आने वाले राम राज्य की कल्पना कर ही नहीं सकते।

इसके लिये आवश्यक है कि इनके झगड़ों को मिटादें, वर्ग संघर्ष को हमेशा के लिये समाप्त करदें। इसमें आपने क्लीयर नहीं किया कि शनिवार को आधा दिन काम करेंगे, यह लिख देते तो सारा सदन आपकी बुद्धिमता की तारीफ करता। सप्ताह में डेढ़ दिन दिया है पर एक ही दिन का अवकाश रखा है और ४८ घन्टे रख दिये तो इसका मतलब क्या है ?

सारे फेक्टरी लॉज में कानूनों में यह साफ प्रोविजन है कि ८ घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, बल्कि काम कम हो गया, बाबू लोग ७ घंटा काम करते हैं और बीच में उन्हें रिसिस पीरियड मिलता है, सब जगह। यह सब देखने के बाद जो न्याय उनके साथ किया जा रहा है, वह दिखावा मात्र है। जिन लोगों ने आवाज उठाई, अपने आपको यूनियन के रूप में संगठित किया जिन्होंने अपने अधिकारों को समझा और अपने अधिकारों की मांग की, जो अपने अधिकारों को समझ चुके हैं उन्हें सन्तुष्ट मात्र करना चाहते हैं, उनके साथ सच्चा न्याय नहीं करना चाहते। मालिकों और मजदूरों के झगड़े को बढ़ाना चाहते हैं, वर्ग संघर्ष को बढ़ाना चाहते हैं। प्रतिदिन काम के ८ घंटे रखे जाते हैं, ६ दिन काम करना है, पूरे ४८ घंटे बनते हैं, एक दिन की छुट्टी की है, स्पष्ट रखना चाहिये। इसके अन्दर सेकिन्ड क्लॉज़ रखा है कि :

"7 (2) No child between the ages of 12 and 15 shall be allowed to work in any employment for more than 3 hours in a day."

मैं समझता हूँ कि हमारे संविधान में ऐसी बात है कि हम १४ साल के लड़कों को

Page No.88

(श्री दयाकृष्ण विजय)

निःशुल्क शिक्षा देंगे । मगर मैं यह कहूंगा कि उनको शिक्षा देना तो दूर रहा, हम उनको मजदूरी की ओर बढ़ा रहे हैं । हम देखते हैं कि राजस्थान की जनता गरीब है और इस वजह से अनेकों बार ५ वर्ष के बच्चों को हम मजदूरी करते देख रहे हैं । कहीं पर कोई नानकताई बेचता हुआ नज़र आता है तो कोई दाल मोठ बेचता हुआ नजर आता है और कहीं पर कोई बूट पालिश करता नजर आता है । यह हमारे यहां की दुर्दशा है । कहीं पर हरिजनों के बच्चे सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए निकलते हैं । क्या आखिर हम इसी प्रकार की व्यवस्था को ही रखना चाहते हैं ? हमें उनको चेतना देनी है और बच्चों में शिक्षा का प्रचार करना है जैसा कि हमारे संविधान में लिखा है कि १४ साल तक बच्चों को निशुल्क रूप से शिक्षा दी जावेगी । लेकिन आज उसको सफल बनाने में न तो हमारी सरकार और न सेन्ट्रल गवर्नमेंट अभी तक सफल हो पाई है । कहा यह जाता है कि धीरे-धीरे कदम बढ़ाया जा रहा है । क्योंकि एक साथ होना सम्भव नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि एक साथ सब जगह यह लागू होना सम्भव नहीं है फिर भी हमको उन छोटे बच्चों को मजदूरी करने से रोकना चाहिये । ऐसा न हो कि दासता और सेवा की भावना उनमें जन्म से ही भर जाए । आप देखेंगे कि जो लोग गरीब होते हैं और दासता में पलते हैं, उनकी क्या हालत होती है । वे लोग राजाओं के जमाने में जिनके माता और पिता बरतन मांजते और दूसरा कपड़े धोने का काम करते थे, उनमें वही दासता अभी भी मौजूद है । आखिर एक आदमी आदमी से काम लेता है, मगर ऐसे काम नहीं लेने चाहिये महात्मा गांधीजी ने ने कहा था कि मनुष्य को अपने सारे काम अपने हाथों से ही करने चाहिये और किसी से ऐसे काम नहीं कराने चाहिये जो न करने योग्य हो । आज महात्मा गांधी के आदेशों पर चलने वाली हमारी कांग्रेस आज उनकी सब बातों से विमुख है । वे महात्मा गांधी के आदर्शों और उनकी बातों को बिलकुल भूल चुके हैं और केवल वैस्ट की नकल बनाकर चल रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि इसकी यहां पर कोई आवश्यकता नहीं कि १२ और १५ रखा जाता । यह रखते कि जो बच्चे १४ साल से बड़े ही काम कर सकते हैं । फिर आप लिखते हैं :

"No child between the ages of 12 and 15 shall be allowed to work for more than three hours in a day."

इसके अतिरिक्त माननीय सभानेत्री जी आपका ध्यान क्लाज १२ की ओर ले जाना चाहूंगा । वीकली हॉलीडेज़ की तरफ :

"Weekly holidays : Every establishment shall remain closed for one day of the week. The employor shall fix such day at the beginning of the year, notify to the Inspector and......"

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं यह निवेदन करूंगा कि यहां पर इस बात पर बहस होनी चाहिये कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेज देना चाहिये, न कि इसके क्लॉज़ बाई क्लाज़ को लेना चाहिये ।

श्री दयाकृष्ण विजय : इस बिल पर मैंने जनरल डिस्कशन की ही बातें कही है ।

(श्री दयाकृष्ण विजय)

लेकिन हर एक क्लॉज़ में ऐसी बातें आती है ।

श्रीमती सभानेत्री : जनरल डिस्कशन की बातें हों, वही कहें । हर एक क्लॉज़ पर न कहें । जनरल बातें कहने में कोई एतराज नही ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्लॉज बाई क्लॉज चलता तो और भी समय लगता ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप एमेन्डमेंट रख सकते हैं और बोल सकते हैं । क्लॉज़ बाई क्लॉज पर नहीं बोलें, जनरल डिस्कशन ही करें ।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य क्लॉज़ों का कोटेशन नहीं दें, और जनरल रूप से सारी बात कहें ।

श्री भैरोंसिंह : इसके बिना समझ में नहीं आवेगा ।

श्रीमती सभानेत्री : क्लॉज को बताने की जरूरत नहीं है । जो बात कहनी हो, उसका समाधान कराया जाना चाहिये ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्लॉज का हवाला देने से उनकी समझ में आजाता है ।

The employer shall not alter such day...

यदि कोई व्यक्ति छुट्टी के दिन को बदलना चाहता है तो वह तीन महीनों पहले, सूचना सरकार को दे कर ऐसा कर सकता है कि में अब रविवार की छुट्टी नहीं करूंगा । इससे समाज को भी बहुत तकलीफ होगी क्योंकि आज शराफा बाजार, जौहरी बाज़ार आदि में बुधवार की छुट्टी होती है और कपड़े के मार्केट की बुद्ध वार की छुट्टी होती है । यह सभी लोग जानते हैं और इसी तरह से अपनी खरीद फरोख्त करते हैं मगर इस तरह से कोई भी व्यापारी तीन महीने पहले सूचना दे कर, किसी दिन दुकान भी बन्द रख सकता है । उसने इस तरह से कोई दूसरा दिन नियुक्त कर दिया और इस तरह से और भी कर सकता है । इसलिये मैं यह कहूंगा कि यदि ऐसा होगा तो सामाजिक ज्ञान बन्द हो जावेगा । इस लिये एक निश्चित दिन होना चाहिये । जब एक दफे समय निश्चित हो जाता है तो उसको बदलने की क्या जरूरत है । समझ में नहीं आता कि हर तीसरे महीने उसको बदलने की क्या जरूरत है । इसलिये उसके बदलने के लिये प्रतिबन्ध होना चाहिये कि वे बदल नहीं सकते । इस प्रकार की भावना होनी चाहिये ताकि इस क्लॉज से मूल भावना पर जो आघात पहुंचता है, न हो ।

इसके अलावा माननीया सभानेत्रीजी, इसमें जो क्लॉज महिलाओं के लिये है उसके अनुसार महिलाएं अपने प्रसव काल में अवकाश ले सकती हैं । मगर इसमें यह है कि जब मेडिकल ऑफिसर उनको एग्जामिन करके रिकमन्ड करे । यह एक विचित्र सी बात है । मैं यह कहूंगा कि डाक्टर को एम्पलोयर बुलवायगा । और उसको एग्ज़ामिन कराएगा तो भला वह डॉ० गरीब महिला की सुनेगा जो मजदूरी करती है या उस एम्पलोयर की सुनेगा जो डॉक्टर को रिश्वत दे सकता है । वह रिकमन्ड करेगा कि अभी इसको १० दिन लगेगें इसको छुट्टी नहीं दी जावे । मैं

(श्री दयाकृष्ण विजय)

यह कहना चाहता हूं कि जो औरत एक बच्चे की मां बनने वाली है, उसकी बात झूठी और डॉक्टर जो उसके संबन्ध में कुछ भी ज्ञान नहीं रखता है कहता है कि दस दिन लगेंगे, वह सच्चा। माननीय सभानेत्रीजी, जब आप किसी प्रकार का कानून बनाने जा रहे है तो उस समय महिलाओं को भी कुछ सुविधाएं दी जावें। महिलाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा है उनके साथ अन्याय हो रहा है। महिलाओं को डॉ० एग्ज़ामिन क्यों करें। उनका एग्ज़ामिनेशन किसी महिला से होना चाहिये। वे कहेंगे कि इस प्रकार के प्रोविज़न की क्या आवश्यकता है ? मगर मैं यह कहूंगा कि यदि महिला कर्मचारी हो तो उसका एग्ज़ामिनेशन डॉक्टर से नहीं किसी लेडी डॉक्टर से होना चाहिये। यह एक उचित सी बात है मगर फिर भी उसकी आवश्यकता नहीं कि ऐसा कहेंगे।

इसी तरह क्लॉज २२ में बच्चों का उल्लेख किया है कि १२ वर्ष से १५ वर्ष के बच्चों को रात के समय काम करने के लिए महिलाओं के साथ जोड़ दिया गया है। इसमें क्लीअर है : 'Prohibition of employment during night : No woman or child between the age of 12 and 15 shall be required and allowed to work, whether as an employee or otherwise, in any establishment during night." यहां हम बच्चों की बातें कहते हैं।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य जब क्लॉज बाई क्लॉज़ लिया जावे तो, जो संशोधन आवें उस समय कहें। अभी तो इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने के संबन्ध में ही समर्थन करें।

श्री दयाकृष्ण विजय : (जारी) इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे। लेकिन जब तक सारे इसके डिफेक्ट्स हैं धारा वाइज़ एक एक में जो खामियां हैं और वे मूल भूत खामियें हैं नहीं बताई जावे तो फिर रिज़न्स क्या होंगे, इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने के। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब हम बिल पास कर रहे हैं तो जो कर्मचारी हैं उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखना जरूरी है हम यह भी उसमें देखना है कि उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है या नहीं इसलिये हमें इसको पास करने से पहले गम्भीरता से विचार करना चाहिये। आखिर हम न्याय करने जा रहे है। इसलिये इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे ताकि हम लोग बैठे और इस पर विचार हो।

३.४८ म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

आखिर सिलेक्ट कमेटी में जब यह रखा जावेगा तो वहां पर बैठ कर इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे। इसके हर एक शब्द और लिटीगेशन और क्लॉज पर चर्चा होगी और उसके बाद उस पर कोई निर्णय लिया जावेगा। इसलिये मैं यह कहूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जावे।

श्री बहादुरसिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय, इसके बारे में मैं भी अपना कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आया यह सिलेक्ट कमेटी को भेजा जावे या नहीं। आप अपने देश में इस प्रकार की स्थिति

(श्री बहादुरसिंह)

बनती जा रही है कि लोग इस बात का ख्याल करने लगे हैं कि लोगों कि लोगों को राहत मिले और इससे जो लोग जिस उद्योग तथा दुकान में काम करते हैं उनके लिये राहत के लिये यह प्रस्ताव किया है। लेकिन सभापति महोदय देखना यह है कि आज काम करने वाले लोग जिनका संबन्ध ३०-४० वर्षों से अच्छा था, क्या इस विधेयक से संबन्ध आपस में खराब तो नहीं होंगे। हमें यह सोचना होगा कि सेठ लोग अपने मुनीमों के भरोसे पर लाखों रुपयों की संपत्ति छोड़ कर विदेशों में चले जाते थे और मुनीम अपना काम किया करता था और किसी भी बात की सेठ लोग परवाह नहीं किया करते थे। लेकिन अब यह स्थिति बनती जा रही है कि मुनीम भी सोचने लगा है कि मैं एक नौकर हूं और मालिक भी यह सोचने लगा है कि मुनीम मेरा नौकर है। काम करने का तरीका बदला, कुछ विचार-धारायें बदलीं। यदि इस विधेयक को पारित करें तो यह ध्यान रखना चाहिये कि कहीं आपस में संघर्ष न शुरू हो जाय जिससे व्यापारी लोग हैं उनको और उनके यहां जो मुनीम काम करते हैं उनको कहीं नुकसान न पहुंचे। कोई पैसा लगाता है, और कोई शारीरिक श्रम करता है और उससे व्यापारिक संस्था चलती है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उनमें एक प्रकार का झगड़ा पैदा कर दें जिससे उनके आपसी सम्बन्धों पर प्रभाव पड़े। अभी कर्मचारियों की तरफ से माननीय सदस्यों को सुझाव इस विधेयक के विषय में दिये गये हैं। उस समय मेरे दिमाग में यह बात आयी कि यदि इसको स्वीकार करना चाहते हैं तो जिनको राहत देना चाहते हैं वे भी संतुष्ट नहीं हैं, जिनकी ओर से राहत उनको दिलाना चाहते हैं, वे भी संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए यदि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करके इन बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे तो अत्युत्तम होगा।

साथ में मेरा एक और निवेदन यह था कि काम करने का जो समय है वह वास्तव में ६ घन्टे का रखा है कम से कम आठ घण्टे हों, जैसा कि नियम है, कर्मचारी आठ घन्टे काम करें। इसलिए जो ६ घन्टे की धारा हैं उसमें संशोधन होना चाहिये। दूसरी तिथि बदलने का भी तरीका दिया है कि हर तीसरे महीने तिथि परिवर्तित होगी। मेरा इस विषय में यह सुझाव है कि इसके लिए एक दिन निश्चित कर लिया जाय जिससे उनके जो ग्राहक हैं, कर्मचारी हैं, मालिक हैं, उनको कोई दिक्कत न हो। जो दिन निश्चित किया गया है उसको परिवर्तित करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन होता यह है कि मालिक, जो लोग चालाक होते हैं, हर तीसरे महीने तारीख बदल देते हैं। सोमवार छुट्टी रखते थे, तो अब मंगल को रखी जावेगी और मंगल की छुट्टी अब बुद्ध को रखी जावेगी। इस तरह से जो तिथि को परिवर्तित करते रहते हैं, तो उनकी नीयत पर शक होता है। इसलिए जो भी तिथि हो एक दफा निश्चित कर दी जाय और उसके बाद उसमें परिवर्तन न हो।

इसी प्रकार महिलाओं के बारे में है। गर्भवती महिला है तो उसके लिए डॉक्टरी सर्टिफिकेट की क्या आवश्वकता है। यह तो प्रत्यक्ष है। उसके लिए सर्टिफिकेट लेने की क्या आवश्यकता। उसको कोई ऐसी बीमरी नहीं है कि उसमें कोई दो राय हो सकती हों। इसलिए सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आपकी कद्र बढ़ेगी।

डॉ० बहादुरसिंह : (अपना भाषण

Page No.92

(डॉ० बहादुरसिंह)

जारी रखते हुए) अतः मेरा निवेदन यह था कि यह जो विधेयक है, इस पर माननीय मन्त्री जी इसी प्रकार से सोचें कि मालिकों और उनके कर्मचारियों के आपसी सम्बन्धों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है ? हो सकता है जिन लोगों ने संशोधन दिये हैं, उन पर विचार करें, जिससे सम्बन्ध सुधरे और जिनको राहत देना चाहते हैं उनको पूरी राहत मिले और जिनसे राहत दिलवाना चाहते हैं उनको कोई परेशानी न हो और उनके आपसी सम्बन्ध न बिगड़े इसलिए मेरा निवेदन था कि प्रवर समिति यदि इस प्रकार की कार्यवाही करे तो ज्यादा उत्तम होगा ।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय सभापति, इस प्रकार का जब बिल पेश हो और उस पर माननीय सदस्य यह कहें कि इस प्रगतिशील बिल में भी थोड़ी और देर की जाय और कुछ अर्से के लिए इसे और रोका जाय, मैं यह तो नहीं कहना चाहता, लेकिन कोई माननीय वक्ता जिन्होंने समर्थन किया है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय, वे शायद कोई एम्प्लोयर तो नहीं है मुझे यह शंका पैदा होती है । क्योंकि एम्प्लोयर्स की एक नीति होती है कि इस प्रकार का बिल जब आये तो कोई न कोई बहाना ढूंढा जाय, ताकि वह बिल लम्बे अर्से तक कार्य रूप में न लाया जा सके । मैं मानता हूं कि माननीय सदस्य आदर्शवाद की ओर ध्यान दिलाते हुए बात रखते हैं । लेकिन राजस्थान का जो आर्थिक स्टेन्डर्ड है, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता । आपने आठ घन्टे तक भाषण दिया । राजस्थान में मुनीम और गुमाश्तों का काम करने का समय ९ घन्टे रखा जाय तो अनुचित होगा । मैं आपको बताऊँ कि राजस्थान में जो दूकानें चलती हैं, उनमें इतना काम नहीं होता कि जितना काम बम्बई और कलकत्ते की दुकानों में होता है । राजस्थान के व्यापारी इतने धनाढ्य या धन कमाने वाले नहीं हैं जितने कि बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में जो व्यापारी हैं, वे कमाते हैं । इसलिए ९ घन्टे का समय रखा गया है वह देश की स्थिति को देखते हुए कानून बनाना चाहिए । राजस्थान की स्थिति ऐसी है कि सम्पूर्ण प्रान्त में कम औद्योगिक केन्द्र हैं, कम व्यापार है, उद्योग की कमी है, इसलिए ९ घन्टे रखे जायं तो वाजिब नहीं होगा । क्यों नहीं होगा ? एक दुकान सुबह खुलती है और शाम को बन्द होती है, यदि ८ घन्टे मुनीम रहता है तो इस दृष्टि से उस सेठ को दो तीन मुनीम रखने पड़ेंगे और उस सेठ की ताकत नहीं होगी कि वह दो तीन मुनीम रख सके । आठ घन्टे की ओर इशारा किया गया, मैं कहूंगा कि एक समय आयगा कि हमें ६ घन्टे काम करना है, दो एक घंटे मानसिक चिन्तन में लगाने हैं । जैसा सर्वोदय का सिद्धान्त है और उद्देश्य है कि अमुक घंटे काम करना चाहिए और बाकी का समय जीवन के दूसरे क्षेत्रों की ओर भी लगाना चाहिए । लेकिन यदि कानून बनाना है तो वह ऐसा होना चाहिए जो व्यवहारिक हो । हम चाहते हैं कि कम से कम समय उदर-पूर्ति के लिए लगायें और बाकी का समय मानसिक चिन्तन और हमारे आध्यात्मिक धरातल को ऊंचा करने के लिए दें । लेकिन इस स्थिति पर पूरा विचार करना चाहिए । रात के काम के बारे में इशारा किया गया । तारीख से होता काम है । हमें सारे संसार के साथ चलना है ।

Page No.93

(श्री पूलचन्द डागा)

आप एक रूढ़ी वादी की तरह सोचने लगे हैं। रात के १२ बजे के समय बाद क्या होगा। यह आपने डिफेक्ट बतायी इसलिए इसको प्रवर समित में भेज दिया जाय। यह कोई दलील हुई ? इसके अलावा आपने बताया कि दुकानदार नोटिस दे सकता है, उसको बदलने के लिए। सुविधानुसार दुकानदार नोटिस दे सकता है। यह कोई कम्पलसरी नहीं है कि वह हर तीन महीने के बाद नोटिस दें। तीन सवालात आपने इसको प्रवर समिति को भेजने के बारे में रखे थे। चौथी बात रखी है और धारा बतायी हैं persons occupying positions of management; जो एम्प्लोइज़ है, उनके लिए आठ घंटे काम करने एक्ट लागू हो जाना चाहिए इसके लिए स्वयंम् ही कह चुके हैं। मैं कहूंगा कि दोनों बातों में विरोधभास था। ऐसे बिल को जो बिलकुल आवश्यक है, गुमाश्तों के लिए कर्मचारियों को सुविधा देने वाला है, उस बिल में अमेन्डनेन्ट रख कर यहां पर बहस कर लेना चाहिए किन्तु प्रवर समिति में भेजने का मतलब तो इसको पांच छः महीने खटाई में डालना है। इसलिए मेरी राय है यथार्थवाद और आदर्शवाद में फर्क होता है। राजस्थान की स्थिति परिस्थिति और आर्थिक हालत को देखते हुए यह बिल बनाया गया है इस बिल को हमें यथा शीघ्र पारित करना चाहिये ताकि जिन लोगों का शोषण हो रहा है, वे शोषित होने से बच सकें इसलिये यह बिल जल्दी से जल्दी पारित किया जाय।

४·१ म० प०

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, मैं प्रवर समिति में भेजे जाने वाले प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं मानता हूं कि कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेन्ट जितने भी है, उनके लिये रेगुलेशन और कानून हैं। यह तो कभी का पास हो जाना चाहिये था आज दो चार साल पहले यह लागू कर देना चाहिये था। इस बिल को प्रवर समिति को देने का मतलब यह होगा पांच सात महीने और देरी की जाय। यह बिल प्रवर समिति में देना का सवाल तब होता जब कि इस बिल में कोई फंडामेन्टल डिसीक्रपीन्सीज़ होती। मैं समझता हूँ इस बिल में ऐसा कोई फंडामेंटल इस क्रिपीस्नेंजी नहीं है, जिसकी बजह से इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। मैं समझता हूं जो थोड़ी बहुत कमी है, वह अमेन्डमेन्ट के ज़रिये पूरी हो सकती है। इसमें कुछ सुधार हम यदि करना चाहें तो वह अमेन्डमेन्ट के ज़रिये कर सकते हैं। प्रवर समिति को वही बिल देना चाहिये जिसमें कन्ट्रोवरसीज़ हों जिसमें कन्ट्रोवरसियल सबजेक्टस हों, जिसके ऊपर तरह-तरह की राय हो सके। मेरे ख्याल से जिन्होंने सिलेक्ट कमेटी का सुझाव उनकी भी यह राय नहीं रखा है कि इस प्रकार का बिल नहीं बनना चाहिये। उनकी राय में भी इस प्रकार का कानून बनना लाज़िमी है और वह भी ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेसिव होना चाहिये। आठ घण्टे का जो प्रोविज़न रखा गया है. उसके लिये में सेक्शन ६ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ. जिसमें साफ लिखा गया है।

"no employee in any establishment shall be required or allowed to work for more than 9 hours in any day and 48 hours in any week."

यह जो ६ घण्टे के लिये बहस की गई

(श्री पी० के० चौधरी)

उसका यह मतलब नहीं कि उससे रोजाना ९ घण्टे काम लिया जायगा। उसका सप्ताहिक वर्किंग आँवर्स ४८ घण्टे का, इस हिसाब से रोजाना आठ घण्टे होते हैं। लेकिन जब कानून बनाया जाता है तो उसमें इतनी गुंजाइश रखते हैं कि कुछ दि , हफ्ते में ९ घण्टे काम लेकर, सटरडे को फ डे माना गया है। इसलिये ९ घण्टे काम लेना पर्मिसिबल है. ९ घण्टे एक दिन में काम ले सकते हैं। लेकिन एक सप्ताह में ४८ घण्टे से ज्यादा काम नहीं ले सकते। इसका मतलब यह होता है कि अगर हम इस ४८ घण्टे को बराबर बांटे तो प्रति दिन ८ घण्टे का एवरेज होता है। वर्किंग आँवर्स आठ घण्टे का है। उसके बाद अगर काम लेते हैं तो ओवर टाइम मिलेगा। तो यह जो माननीय सदस्य का एक ख्याल हुआ है कि इस बिल के मुताबिक, एक आदमी को ९ घण्टे काम कराया जावेगा, गलत है। किसी विशेष दिन के लिये परमीशन है इसकी। ओवर टाइम करावेंगे तो, १० घण्टे कर सकते हैं। ओवर टाइम देते हुए भी दो घण्टे से अधिक काम नहीं करा सकते और ९ घण्टे काम सप्ताह में एक दिन से अधिक नहीं करा सकेंगे। अगर किसी दिन ९ घण्टे करा लेगा तो दूसरे किसी दिन. ७ घण्टे कराना पड़ेगा। जिससे कि एक सप्ताह का एवरेज ४८ घण्टे का रह जावे। इसको अगर इक्वली डिस्ट्रिब्यूट करेंगे तो ८ घण्टे प्रतिदिन का हिसाब बैठता है। ९ घण्टे कहां रहे। इसलिये यह ऑब्जेक्शन ठीक नहीं। माननीय सदस्य ने इस सेक्शन 'सात' का क्या मतलब है यह नहीं सोचा, इसी लिए गलतफहमी हुई है।

जो अमेन्डमेन्ट इस पर आये हैं. उनको अगर माननीय मन्त्री महोदय स्वीकार कर लेंगे तो मेरे ख्याल से यह तो एक आँइडियल बिल बन जायेगा और ऐसी कोई बात बाकी नहीं रहेगी, जिस पर प्रवर समिति में विचार करने की जरूरत पड़ेगी।

हां एक बात जरूर, एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस बिल के पास होने से एम्प्लोयीज़ और एम्प्लोयर के बीच में तनाव पैदा हो सकता है। पर यह बात ऐसी नहीं कि इसके बिना पर हम इसे प्रवर समिति में भेज दें। अब इस बारे में सभी सदस्य एक मत होंगे कि इन लोगों के वर्किंग आँवर्स, वेजेज़, लीव वगैरह को रेगुलराइज़ करने के लिये कोई कानून बनना चाहिये। इस बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं। और यहां सदस्यों में से कु भिन्न राय रखते भी होंगे पर यहां की बें छोड़ कर बाहर जब हम जावेंगे पब्लिक में तो एक एक व्यक्ति की राय इसके पक्ष में होगी कि ऐसा कानून चाहिये। जब फैक्टरियों और कारखानों और दूसरी जगह काम करने वालों के लिये कानून है तो इसके लिये भी भी क्यों नहीं बने। इन की हालत मैं समझता हूं उन फैक्टरियों. मिलों और कारखानों में काम करने वालों से भी ज्यादा खराब है। तो जब ऐसा कानून आया है तो मैं समझता हूं, इसे जल्दी से पास कर देना चाहिये।

उसके बाद भी अगर कोई कमी रह जाती है तो नये अमेन्डमेन्ट ला सकते हैं। पर आज जो संशोधन यहां आये हैं, उनको देखते हुए इसे प्रवर समिति में भेजने की गुंजाइश नहीं दीखती। आप इसके पेनल्टी क्लॉज़ को मजबूत करने के लिए संशोधन मंजूर कर सकते हैं, इसको और अच्छा बनाने के लिये अमेन्डमेन्ट मंजूर कर सकते हैं।

(श्री पी० के० चौधरी)

दूसरी बात डॉक्टरी मुआयने के लिये कही है। इस बिल में ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि मेल डाक्टर से मुआयना कराया जावेगा। इसमें मेडीकल प्रैक्टिशनर्स मेडिकल का नाम का जिक्र है। उसमें दोनों मेल और फीमेल आ जाते हैं। फिर इसमें यह भी है कि जहां तक मैटर्निटी की जांच का सवाल है तो ऐसा कोई नहीं कहेगा कि इसकी जांच किसी मेल प्रैक्टिशनर्स से कराई जावे। हां टेम्परेचर हुआ, जुकाम हुआ, मामूली दर्द हुआ तो उसके लिये किसी को भी बताया जा सकता है। पर मैटर्निटी की जांच तो फीमेल प्रैक्टिशनर्स से अपने आप ही कराई जावेगी। यह मानने जैसी बात नहीं कि सरकारी विभाग ऐसा इनसेन्सिब्ल होगा जो मेल प्रैक्टिशनर्स से इसको जांच कराने की जिद्द करेगा। अगर ऐसा करेगा तो मेरे ख्याल से उसका मुकाबला वे ही लोग वहीं कर लेंगे।

(इस समय श्री दयाकृष्ण विजय से कुछ बात लक्ष्य करके कहने पर)

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र) : No Persoral talks.

श्री पी० के० चौधरी : तो जहां मेडिकल प्रैक्टीशनर्स का जिक्र है वहां दोनों हो सकते है। यह एक मामूली सी बात है। फिर वैसे इस पर चर्चा करने के लिये प्रवर समिति में भेजे जाने की कोई दलील नहीं हो सकती।

एक बात मैं मानता हूँ कि इससे एम्प्लोयीज़ और एम्प्लोयर में फ्रिक्शन पैदा हो सकते है। पर इसके लिये भी प्रवर समिति में भेजना ठीक नहीं। आज हम सोशल वैलफेयर पैटर्न ऑफ स्टेट चाहते हैं और ऐसी स्थिति में देश में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो हाथ ऊंचा करके कह सके कि शोप और कमर्शियल एक्ट नहीं बनाना चाहिये। जब हमने फैक्टरी एक्ट बनाया तो तनाव नहीं हुआ और फिर इसमें होता है, तो होने दीजिये। आखिर इसे बना रहे हैं इसलिये कि जो एक्स्प्लोइट इन लोगों को किया जा रहा है वह तो रोकनी ही है। उनके जो राइट्स और प्रिविलेजेज़ हैं उनके प्रोटेक्शन के लिये कानून बना रहे हैं। इसलिये इसमें भी दो राय नहीं हो सकती कि महज़ इस पॉइन्ट के कारण इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय। इसमें ऐसी कोई कन्ट्रोवर्सी नहीं हैं कि जिससे स्वयं एम्प्लोयर भी यह कहने की हिम्मत कर सके कि ऐसा कानून नहीं बनना चाहिये।

तो इसलिये मेरा तो यह निवेदन करना है कि इसको प्रवर समिति में नहीं भेजा जाय और मैं माननीय मन्त्री महोदय से भी कहूंगा कि जो अमेन्डमेन्ट आये हैं उनको भी देख कर जो वाज़िब हैं उनको मान लें और जल्दी से जल्दी इसे पास करके इमीजिएटली इसको इफेक्ट में लाना चाहिये।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : आदरणीय सभापति महोदय, स्वाधीनता के बाद और राजस्थान बनने के बाद अगर कोई बात इस प्रदेश की भलाई के लिये आई है तो यह है जिससे कि प्रत्येक मिडिल मैन को जो दुकानों पर और छोटे मोटे कारो बार धन्धों में नौकरी करते हैं, उनको राहत मिलेगी।

श्री सभापति : बाकी भी बातें कई भलाई के लिये हैं।

Page No.96

श्री पुरुषोत्तम लाल शर्मा : (जारी) मैं इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी में भेजना उचित नहीं समझता । इसमें १२ से १५ वर्ष तक के लड़कों के लिये लिखा गया है कि वे नौकरी पर जा सकते हैं, अभी बताया गया है कि १४ वर्ष तक के बच्चों के लिये तो विद्योपार्जन ही रखना चाहिये । मैं निवेदन करूंगा कि प्राथमिक शिक्षा पांच वर्ष से शुरू होती है और पांच वर्ष में बालक पांचवीं क्लास पास हो जाता है तो चौदह वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा का सवाल ही नहीं रहता । तो हम संविधान के खिलाफ भी नहीं जा रहे हैं । इस बिल में उनके लिये तीन घंटे ही काम लेने को लिखा है । इसके लिये भी यह कारण है कि राजस्थान में लोगों की हालत ऐसी नहीं कि लड़कों को वे पढ़ा सकें और साथ ही उनके खाने कपड़े का भी प्रबंध कर सकें । ऐसी स्थिति में १२ वर्ष से ऊपर वाले बालक दो-तीन घण्टे काम करलें और अपनी जीविका उपार्जन करलें और विद्याध्ययन भी साथ में करते रहें तो इसमें नुकसान नहीं है । आज जब कि आप और हम देखते है कि १२ घण्टे होटलों में ये लड़के काम करते रहते हैं और आज उनकी रक्षा के लिये कोई कानून नहीं है । ऐसी अवस्था में काम करने का तीन घण्टे का प्रोविज़न रखना उपयुक्त है । इससे क्या होगा कि गरीब गृहस्थ अपनी गृहस्थी का काम ठीक रूप से चला सकेगा और कानून की मंशा भी पूरी हो जायगी ।

फिर अगर इसको प्रवर समिति में भेजते हैं तो इसमें देरी की ही सम्भावना हो सकती है । तीन चार महीने लग सकते हैं और फिर यह बिल अगले सेशन से पहले सदन में पेश नहीं हो सकेगा । इसलिये कहूँगा कि इसके महत्व को देखते हुए इसको शीघ्रातिशीघ्र पास किया जाना चाहिये ।

इसमें राजस्थान व्यापार कर्मचारी संगठन का भी सुझाव आया है, उस पर भी विचार करना चाहिये । क्योंकि इसमें अब अमेन्डमेन्ट पेश करने का समय नहीं रहा है इसलिये उन सुझावों पर भी विचार करके उपयुक्त संशोधन सरकार की ओर से लाकर इस बिल को पास किया जाय तो अच्छा होगा जिससे यह शीघ्रातिशीघ्र पास होकर राजस्थान के लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचा सके ।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : माननीय सभापति महोदय, कुछ ने इसे प्रवर समिति में भेजने को कहा है, कुछ ने मुखालफत की है । इसके लिये मैं अर्ज करूं कि जो प्रवर समिति में भेजने की मुखालफत करने हैं, वे भी यह मांग करते हैं कि इसमें अमेन्डमेंट किया जावे । जब अमेन्डमेन्ट किये जाने की मांग उनकी भी है तो दूसरी तरफ प्रवर समिति में भेजने वालों का भी यही कहना है कि चूंकि इसमें अमेन्डमेंट करना है इसलिये यह अधिक अच्छा होगा कि इसे पहले प्रवर समिति में भेजा जाय और फिर हाउस में लिया जावे । यह सब जानते है कि यहां पूरी तरह से कोई बिल में अमेन्डमेन्ट नहीं हो पाता, बहस के लिये पूरा अवसर नहीं मिलता और सिलेक्ट कमेटी में जाने से काफी अमेन्डमेन्ट आ सकते हैं, काफी विस्तार से हर एक बात पर विचार किया जा सकता है । इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती । इसमें भी दो राय नहीं कि इसे जल्दी पास किया जावे, पर साथ ही यह भी आवश्यक समझा जाना चाहिये कि वास्तव में इसमें किन व किस प्रकार से, किस वर्ग के लिये कितनी सहूलियतें दीं जावें । इसके लिये भी काफी सोचने विचारने की आवश्यकता है । इसमें कुछ बातें ऐसी हैं कि जो जायज़ फायदा दुकानदार को मिलता है, व्यापारी को मिलता है उसमें से कुछ हिस्सा

(श्री रामकरणसिंह)

वाजिब हिस्सा अपने कर्मचारियों को भी दिया जाय,इसका क्लियर मेन्शन नहीं किया गया है। इसलिये मैं कहता हूँ कि प्रवर समिति सभी पहलुओं पर तसल्ली से, इस पर विचार कर सकेगी और जो अस्पष्ट स्थिति है उसको भी स्पष्ट किया जा सकेगा। इसलिये मेरी यह प्रार्थना है कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जावे ताकि जिस उद्देश्य और लक्ष्य से इस बिल को पारित किया जावे वह पूरे हो सके।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है प्रवर समिति में देने का, मैं इसका समर्थन करता हूं। मगर जल्दी तो हम करना चाहते हैं और वैसे हम कई सालों से इन व्यापारियों या बड़े बड़े जागीरदारों या इनकी प्राइवेट संस्थाओं के गुलाम बनते हुए चले आ रहे हैं। यह तो मुझे भी दुख है कि थोड़ा जल्दी करके हम जल्दी से जल्दी पहुँच जाये, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा सदन मंजूर कर चुका है कि हम एक आदमी से काम ज्यादा से ज्यादा ८ घन्टे ले सकते हैं। क्या कारण है? वह भी तो मनुष्य हैं। आप हम मंजूर करलें कि सरकारी कर्मचारी, चाहे वह मजिस्ट्रेट ही क्यों न हो जो रियायतें उनको दी जातीं हैं तो क्यों नहीं दूसरों को भी दी जाती? एक के लिए पाबन्दी और दूसरे के लिए नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अन्दर यह होगा कि कहीं भी प्राइवेट व्यापारी लोग कई लोगों को एक घन्टे के बजाय दो घंटे तक रियायत बतायेंगे और उनसे ज्यादा काम लेंगे, तो उसका कोई मापदंड ही नहीं। इसलिए हमें इस पर १० महीने का समय नहीं लगाना चाहिए, बल्कि इसे तो १० दिन में ही निश्चित कर लेना चाहिए और जल्दी ही प्रवर समिति की बैठक बुलाकर संशोधन कर लेना चाहिए। साथ ही साथ उनके वेतन की भी अवधि रखदी जाये और कम से कम उनको गुजारे लायक वेतन मिले, ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए। कहीं कहीं देखा जाता है कि लोगों को पांच रुपये में भी रख लेते हैं और उनके लिए कोई पूछने वाला नहीं है, उनके लिए कोई पूछने वाला नहीं है। उनके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। इसलिए प्रवर समिति को इसे भेजना जरूरी है। वैसे हम कोई सुझाव रख भी दें तो उनको आप मानते भी नहीं हैं और विरोधी पक्ष वालों की तरफ से अगर कोई सुझाव रखे भी जायें और चाहे वे कितने भी अच्छे हों आप उनको खारिज कर देंगे। इसलिए पुन: विचार करके और अवधि की पूर्ति करके इसे पास करें। मेरा तो सुझाव है कि हमें पूरी छानबीन करके इस बिल को पास करना चाहिए, नहीं तो फिर हमारे कर्मचारियों से दिन में काम लिया जाता है रेवेन्यु और तहसील में और शाम को उच्च अधिकारियों के द्वारा काम लिया जाता है। ऐसे ही बड़े २ व्यापारियों का हाल होगा। वह तो एक प्राइवेट संस्था है। उसके लिए कोई दाद देने वाला नहीं है। इसलिए ठीक से खानापूर्ति करके यह मंजूर होना चाहिए। इससे देश की गरीबी मिट जायेगी और आपको भी सभा दुआ देंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री) : सभापति महोदय, जहां तक इस बिल के उद्देश्यों का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात पर एक मत हैं कि इसके उद्देश्य बहुत अच्छे हैं और जिन कर्मचारियों को इस बिल के द्वारा राहत दी जाने की बात की जा रही है उनको राहत मिलनी चाहिए और शीघ्र

Page No.98

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

ही मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय, जो दलीलें इस बात के लिए दी गई कि इसको सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों के दिलों में भी और उन माननीय सदस्य के दिल में भी, जिन्होंने प्रस्ताव रखा है उनके भी दिल में हमदर्दी है। औरतें और बच्चे जिनको कोई लाभ भी नहीं होता है और लोग परेशान हैं, रात दिन काम करते हैं और फिर भी नौकरी से निकाल दिये जाते हैं, जब ऐसे लोगों के लिए आप सभी के दिलों में हमदर्दी है तो मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि उनके ऐसे प्रस्ताव से कि इस बिल जो सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर देना चाहिए, इससे उनका ही नुकसान होने वाला है। फिर यह सिलेक्ट कमेटी में चला जायगा और जैसा कि हमारा अनुभव है कि उससे कम से कम ६ महीने या एक साल लगने की आशा है और फिर जिस उद्देश्य से हम सिलेक्ट कमेटी के पास किसी बिल को भेजते हैं तो कानून में कोई कमी-बेशी हो उसको दूर करने के लिए भेजते हैं कि जिसके बिना यदि कानून बना देंगे तो ऐसे लोग रह जायेंगे और ऐसी कमियां रह जायेंगी जिनको हम पूरा नहीं कर सकेंगे और कानून का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए कोई भी बिल सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाता है, उसमें जो बातें आप कह रहे हैं, आपने जिस बात की ओर ध्यान दिलाया है, मैं अर्ज करूंगा कि एक बात तो बहुत ज्यादा कही गई और वह यह कि सर्टी-फिकेट देना उनको जरूरी होगा और डाक्टर मुआयना करेगा। मैं आपको बताऊं कि इसमें न तो प्रोवीज़न है कि डाक्टर का मुआ-यना होना चाहिए। उसमें तो सिर्फ इतना है कि मैटर्निटी लीव लेने के लिए अगर कोई महिला दरख्वास्त देगी तो उसको छुट्टी मिल जायेगी। अगर उसके छुट्टी लेने पर एम्पलॉयर को आपत्ति है और वह कहता है कि यह तो इसका बहाना है तो उस महिला का मालिक के खर्चे से किसी क्वालीफाइड डाक्टर द्वारा मुआयना होगा और वह भी कोई मिडवाइफ ही करेगी। यह तो हमारे रूल्स में भी है कि महिलाओं का मुआयना हमेशा लेडी डाक्टर ही करती है और वह मुआयना भी मालिक के खर्चे से होगा.......

श्री दयाकृष्ण विजय : खर्चा तो रिश्वत है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी बात तो नहीं है। मालिक डाक्टर को रिश्वत दे देगा, इसका क्या इलाज है? मान लीजिये, अगर कोई महिला कह देती है कि मुझे तो कल डिलीवरी होने वाली है, तो उसे छुट्टी तो मिलेगी और अगर मालिक एतराज करेगा तो उसका उसी के खर्चे पर मुआयना हो जायेगा, अब आप ही बताइये कि सिलेक्ट कमेटी में क्या होने वाला है इस बात पर!

दूसरे, यह भी एतराज किया गया कि इस कानून में इस बात का प्रोवीजन नहीं रखा है कि वह मुलाजिम जो ६ या दस महीने के होते हैं उनको बिना किसी कारण के निकाल देते हैं। मैं कहता हूं कि इसके लिए इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एक्ट में प्रोवीजन है और जब उसके अन्दर प्रोवीजन है तो इसके अन्दर प्रोवीजन रखने की बात नहीं है, वह उससे गवर्न हो रहा है? जब डिस्प्यूट होता है तो उसके मुताबिक कार्यवाही होती है।

इसके अलावा इस क्लाज ३ के बारे में एतराज किया गया। टाइम के बारे

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

कहा गया कि ६ घन्टे का टाइम बहुत ज्यादा है । ऐसा प्रोवीजन अभी सेन्ट्रल एक्ट में है कि ८ या ६ घण्टे से ज्यादा सर्विस नहीं ली जाये और जब कि हफ्ते में यह मुकर्रर कर दिया कि ४८ घण्टे से ज्यादा काम न हो तो ८ या ६ घण्टे की बात ही नहीं है । तो इस सूरत में ही ६ घण्टे का रखा है कि एक दिन में ६ घण्टे से ज्यादा काम न लिया जाय । ४८ घण्टे का जो प्रोवीज़न रखा गया है, ठीक है । इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि ६ घण्टे लाजिमी रख दिये गये हों, ऐसी बात नहीं है और ६ घण्टे काम लेने से कोई ४८ घण्टे से ज्यादा हो जायेगा, ऐसी बात नहीं है ।

इसके साथ ही डे एण्ड नाइट की डेफी-नेशन रखी गई है कि यह १२ बजे शुरू होता है और १२ बजे खत्म होता है । इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के अमेन्डमेन्ट्स भी हैं और उसमें यह भी बताया है कि यह डे ६ बजे सबेरे शुरू हो और दूसरे रोज ६ बजे खत्म हो जाय । तो यह तो डेफीनिशन की बात है । 'डे विल रिमेन ४८ आवर्स डे' । हमारा जो केलेन्डर डे है और जिससे हम सब गवर्न हो रहे हैं वह १२ बजे से शुरू होता है और १२ बजे ही समाप्त होता है । तो इसमें कोई एम्प्लोयर को फायदे की बात नहीं है । यह तो डे एण्ड नाइट को डिफाइन किया गया है कि डे फलां टाइम से शुरू होता है और फलां टाइम पर खत्म हो जायेगा इस तरह से और ऐसी जो बातें कही गई हैं वे जो डिफरेन्ट सैक्शन्स आयेंगे उस वक्त करेंगे ।

एक बात एक माननीय सदस्य ने कही कि मालिक और मुनीम और गुमाश्तों के जो रिलेशन्स हैं उनमें किसी तरह का फर्क न आये, इस बात का ख्याल रखना चाहिए । मैं यह अर्ज करूंगा कि जितने भी कानून बनते हैं, जैसे कि जागीर एबोलिशन का कानून बना है तो उससे टेनेन्ट्स को फायदा हुआ है तो गवर्नमेंट को उसी रूप में लेने की बात होती है, फैक्टरी एक्ट के मुताबिक गवर्नमेंट अगर कोई बात करना चाहती है तो उसमें किसी न किसी का नुकसान होता है । कानून नहीं बनायें तो इसको एन्फोर्स नहीं कर सकते । कानून के बनाने पर मालिक और मुनीम के रिलेशन्स खराब नहीं होते हैं, कानून के द्वारा उनको एन्फोर्स करते हैं । अगर कोई नहीं माने और मनमानी करना चाहे तो कानून को एन्फोर्स करते हैं । अगर कोई नहीं माने और मनमानी करना चाहें तो कानून को एन्फोर्स करके, उनको राहत दिला सकते हैं । मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी मालिक हैं, जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उनको इस बात को रियलाइज करना चाहिए । वे वक्त की आवाज को समझते हुए, जितनी भी कानून व पाबन्दियां हैं उनका पालन करेंगे । लेकिन कानून के बावजूद राहत नहीं मिलती है तो गवर्नमेंट के इन्टरवेन्शन की जरूरत होगी । उस समय मालिक और काम करने वालों के ताल्लुकात में फर्क आता है । उसमें मालिकन की गलती होगी । उसमें कानून और उनके मुलाजिमान की गलती नहीं होगी । इस कानून को ही नहीं देखना चाहिए । हम चाहते हैं कि उनके ताल्लुकात अच्छे रहें । एक मजदूर का प्रश्न होता है. एक मुनीम का प्रश्न होता है तो वे २४ घण्टे काम करते हैं और कोई छुट्टी नहीं मिलती है और किसी तरह का प्रिविलेज नहीं । एक माननीय सदस्य ने कहा कि उनके रिलेशन्स अच्छे चल रहे हैं, तो बीच में नहीं बोलना चाहिये । तो मैं अर्ज करूंगा कि यह बात गलत होगी । कानून बन जाना चाहिए, उनमें

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

रिलेशन्स अच्छे रखने के लिए, उनको राहत प्रदान करने के लिए।

इन सब बातों को और इनके अलावा और जो बातें कहीं गई हैं, उनके बारे में निवेदन करूंगा कि उस वक्त जब कि हम क्लॉज़ बाई क्लॉज़ डिस्कस करेंगे मैं अर्ज करूंगा कि कानून जिस तरह का बनाया गया है, वह अजमेर में लागू है और बहुत से प्रान्तों में लागू है। उनको देख-कर, सब बातों को समझकर ही यह कानून यहां बनाया है। आप लोग जैसा महसूस करते हैं कि यह कानून उनको राहत देने के लिए बना रहे हैं, इसको जल्दी से जल्दी पास करें क्योंकि 'शुभस्य शीघ्र'' इसलिए मैं उन माननीय सदस्यों से जिन्होंने कि इसको प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है, निवेदन करूंगा कि उनका जो प्रस्ताव है, उसको वापिस लेने का कष्ट करें।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय सभापति महोदय, मैंने यह प्रस्ताव रखा था कि जो बिल हमारे सामने है उसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाय। इसके साथ साथ, माननीय सभापति महोदय, मैंने इस सदन के सामने बिल की मूलभूत खामियों का भी जिक्र किया था, लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उस जवाब से मुझे संतोष कम हुआ है। क्योंकि जो खास इस बिल के अन्दर खामियां थीं और जिन खामियों की ओर मैंने ध्यान आपका दिलाया था और मैंने यह भी कहा था कि इस बिल के अन्दर ये ये खामियां हैं, इस कारण इस बिल से जिस वर्ग को राहत पहुंचाना चाहते हैं उस वर्ग को राहत नहीं पहुंचेगी 'और इन कमियों को मैंने अलग अलग बताया था। लेकिन मुझे दुःख है कि अभी माननीय मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है वह उस प्रकार से है कि एक गर्भवती औरत है, उसके डॉक्टरी मुआयने के सिवाय और किसी चीज का जिक्र नहीं किया। सभापति महोदय, मैंने कहा था कि सरकार एक कानून लागू करना चाहती है और एक ऐसे वर्ग को राहत पहुंचाने के लिए लागू करना चाहती है जो वर्ग सदियों से पीड़ित है। हम सरकार की भावना की कद्र करते हैं कि सरकार पीड़ितों को राहत पहुँचाने के लिए बिल पेश कर रही है। हमें हमदर्दी है, इसलिए कि सरकार पीड़ितों को राहत पहुंचाना चाहती है। हम नहीं चाहते हैं, हम नहीं कहते हैं कि यह बिल इस सदन के अन्दर नहीं आना चाहिए; इस बिल को लागू नहीं करें इस स्टेज पर हम कहते हैं कि लागू करें, लेकिन इस बिल के अन्दर जो भाषा है, जो खामियां हैं, उनको अलग करके, दूर करके इसके बाद में बिल को लागू करें, नहीं तो इस बिल से मैं समझता हूं कोई फायदा नहीं होने वाला है। सभापति महोदय, मैंने सबसे पहले इस सदन का ध्यान इस क्लॉज़ की ओर दिलाया था कि एक तरफ आप इस कानून को सारी स्टेट में लागू करना चाहते हैं और एक तरफ यह अधिकार इस कानून के अन्दर लागू करना चाहते हैं कि हम चाहें तो ऐसे वर्ग को जिस वर्ग से हम संतुष्ट न हो जायं इस कानून से हटा सकते हैं। हम चाहें तो किसी जिले को किसी डिवीजन को इस कानून से अलग रख सकते हैं। इस प्रकार की जो राहत चाहते हैं, यह क्यों चाहते हैं! इसके पीछे रहस्य क्या है, सरकार की नीति क्या है; कम से कम इसको साफ कर दें।

दूसरी ओर मैंने ध्यान दिलाया कि आपने कर्मचारी वर्ग को राहत पहुंचाने के लिए,

(श्री गिरधारीलाल)

यह कानून इस सदन के अन्दर लाये हैं। मैं मानता हूं कि यह बहुत अच्छी चीज है, लेकिन दूसरी ओर मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप या तो यह कह दें कि हम कर्मचारियों को राहत पहुँचाने के लिए कानून लाये हैं और अगर कर्मचारियों को राहत पहुंचाना है तो मैनेजर और एजेन्ट जैसे व्यक्ति जो कि प्रबन्धक है, उनको आपको नियोजित श्रेणी में नहीं रखना पड़ेगा। मगर आपने कर्मचारियों और मालिक के अन्दर जो डेफिनिशन दी तो आपने कहा कि हम कर्मचारियों पर लागू करेंगे। दूसरी तरफ आप कहना चाहते हैं कि मालिक पर लागू नहीं करेंगे, लेकिन जो मैनेजर और एजेन्ट हैं उनको आपने मालिक की श्रेणी में रख दिया है। जिन लोगों को आप राहत पहुंचाना चाहते हैं, उन मैनेजर और एजेन्ट को मालिक की श्रेणी में लाते हैं और मालिक पर आप कानून लागू नहीं करते हैं इसलिए मैंने निवेदन किया है कि इस कानून के अन्दर बहुत बड़ी बड़ी खामियां है। उनकी तरफ मैंने ध्यान दिलाया था, लेकिन मुझे दुःख है कि माननीय मन्त्री महोदय की ओर से कोई जवाब नहीं मिला।

तीसरी बात मैंने यह कही थी कि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं कि जिन पर यह कानून लागू नहीं होगा, जैसे कि धर्म के नाम पर दुकानें चलती हैं या और अन्य प्रकार की संस्थाएं हैं जैसा कि आपने इसमें लिखा है कि यह कानून ऐसे संस्थानों पर जिनमें कि केवल नियोजित परिवार के ही व्यक्ति नियुक्त हों लागू नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जिस संस्थान के अन्दर व्यापारी, सरकारी कागजों में यह दिखा दें कि इस दुकान के जो नौकर हैं, जिन्हें मैनेजर या एजेन्ट कहते हैं या मुनीम-गुमाश्ता कहते हैं, वे उसके परिवार के सदस्य हैं, और नियोजित में मैनेजर और एजेन्ट को लेते हैं। तो मैनेजर और एजेन्ट तो भाई-बन्धु हैं, इसलिए उस दुकान पर यह कानून लागू नहीं होगा, तो इससे यह जाहिर होता है कि आपने जो कानून इस सदन के अन्दर पेश किया है, उस कानून के अन्दर एक मूलभूत खामी है। उस खामी को दूर करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं यही कहूंगा कि आप उन कर्मचारियों को राहत नहीं पहुंचाना चाहते हैं जिनके लिए कि यह कानून लाये हैं। हमारी हमदर्दी है और हम प्रशंसा करते हैं कि इस प्रकार के कानून लाये हैं जिससे कि हजारों मजदूरों को फायदा पहुँचा सकें, लेकिन दूसरी ओर बिल की भाषा से स्पष्ट जाहिर होता है कि जो व्यापारी वर्ग इतना चतुर वर्ग है, जिसने कि हजारों-सैकड़ों सालों से, मुनीम, गुमाश्ता या कर्मचारी कहते हैं, उस वर्ग का शोषण किया है। वह उससे फायदा उठायेगा।

वह व्यापारी वर्ग इतना चालाक है कि वह आपकी लचीली भाषा से बहुत ज्यादा फायदा उठायेगा। इस प्रकार मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने पेश किये थे, उनका मंत्रीजी की ओर से जवाब मिला है, उससे मुझे सन्तोष नहीं है क्योंकि उन्होंने जवाब नाम की किसी चीज का जिक्र ही नहीं किया। सिर्फ इतना ही कहा है कि सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है; यह नहीं है, वह नहीं है। या तो दो-तीन चीजों की ओर, जिनकी ओर मैंने पहले आपका ध्यान दिलाया था उनका स्पष्टीकरण करदें और मुझे सन्तोष हो जाय तो मैं प्रस्ताव को वापिस ले सकता हूं, नहीं तो सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : अभी जो मन्त्री जी ने उत्तर दिया है, उससे मैं सम

(श्री दयाकृष्ण विजय)

भता हूं, मुझे तो क्या, सदन में किसी भी व्यक्ति को संतोष नहीं हुआ होगा । उन्होंने, जिस चीज की ओर हमने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी, उसको छिपाने की कोशिश की है । वास्तव में यह तो सभी मानते हैं कि हम एक ऐसा कानून बना रहे हैं जिसकी आवश्यकता सभी को है और यह जितना जल्दी हो उतना ही अच्छा है । कुछ सदस्यों ने इस बात को लेकर हमारा जो प्रस्ताव था, उसका विरोध किया कि हमें शीघ्र से शीघ्र देना है । लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आप किसी को स्वर्ण पात्र देना चाहते हैं, लेकिन आपने उस स्वर्ण पात्र में विष भर दिया है । इस विष भरे स्वर्णपात्र को किसी को दें तो इससे उसको क्या लाभ होगा ? हम किसी को स्वर्ण पात्र दें और उसमें सुगन्ध हो तो बात दूसरी है । केवल इसलिए कि इसकी बहुत आवश्यकता महसूस की जा रही है, इसका श्री गणेश कर रहे हैं । यदि श्री गणेश से पहले अच्छी तरह से पूजा अर्चना करें और फिर श्रीगणेश करें तो बात ठीक हो सकती है । यदि इसको प्रवर समिति के पास भेज दें और वहां इस पर अच्छी तरह तरह से विचार हो तो उसमें ज्यादा समय कहां लगने वाला है । प्रवर समिति को आप बाधित कर सकते हैं कि एक सप्ताह में बैठ कर या आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक वह अपनी रिपोर्ट पेश करदे तो कोई विलम्ब नहीं होगा । इतने सालों से शोषण होता आ रहा है, उसमें यदि ६ महीने और लगाकर अच्छा नतीजा मिल सकता है तो कौन सा आसमान गिर जायगा । केवल इसलिए कि कानून बनाया है, उसको पास करदें क्योंकि इससे व्यापारियों का हित होता है, जिन व्यापारियों ने शोषण किया है, उनके हित के लिए इसे पास करदें तो जिनके साथ हम न्याय करने जा रहे हैं, उनके साथ न्याय नहीं होगा ।

आपकी पूंजीपति मनोवृत्ति रही है । आज पूंजीपतियों की क्या विचार-धारा है और उनकी क्या मनोवृत्ति रही है और हम किस मनोवृत्ति को लेकर चल रहे हैं इस पर विचार करना है । पूंजीपतियों की जो मनोवृत्ति है उसके अनुसार वे कम से कम अपने कर्मचारियों को देना चाहते हैं और अधिक से अधिक उनसे सेवा लेना चाहते हैं । वे चाहते हैं कि कर्मचारियों से अधिक से अधिक काम लें, प्यार से या और किसी तरह से, लेकिन उनको बदले में पूरा पैसा देंगे नहीं । हमारी शिकायत है कि काम अधिक क्यों लेते हैं ? आपने देखा और हम सबने देखा कि जिस समय स्टेट्स का मर्जर हुआ उस समय स्टेट्स जनता की संपत्ति थी और जनता की भूमि थी । लेकिन उन राजाओं ने जिनको जनता ने बिठाया था उन्होंने उसे छोड़ने में कितनी आपत्ति की । स्टेट्स के मर्जर के बाद में जागीरों का प्रश्न आया । जनता ने जागीरदारों को जागीरें दी थीं और वे ही वापिस ले सकती थीं लेकिन जागीर लेने के बाद कितना आन्दोलन हुआ इन सब के पीछे क्या है ? इसके पीछे पूंजीपतियों और साम्राज्यवादियों की मनोवृत्ति काम करती है, और हर आदमी में यह मनोवृत्ति है और एक स्वाभाविक दोष है । इस दोष को दूर करने के लिए कानून की आवश्यकता होती है, उस दोष को हटाने के लिये कानून बनाना पड़ता है । आखिर हम जब कानून बनाने जा रहे हैं और जनता के हित में कानून बनाने जा रहे हैं तो उनके हित को दूर रख कर व्यापारियों के हित को सामने रखें तो यह उचित दलील नहीं हो सकती और मजदूरों के साथ जो सहानुभूति दिखाने की बात ५-६ साल से

(श्री दयाकृष्ण विजय)

हो रही थी, वह उचित नहीं है ।

दूसरी बात जवाब में कही गई और क्लाज़ २५ के अन्तर्गत मेटर्निटी लीव के बारे में । गांव में या नगर में प्रतिस्थापित हो या गांव में रहते हों, डाक्टर चाहे सरकारी हो या प्राइवेट प्रेक्टीशनर हो, लेकिन सब के सब उस व्यापारी के दबाव में रहते हैं । यह प्रावधान नहीं था कि डॉक्टर करेंगे जांच या जैसा क्लॉज़ (२) में दे रखा है : 'Of the woman so desires' इसकी आवश्यकता नहीं थी । वुमन की डिज़ायर यह रहेगी कि मिडवाइफ उसकी जांच करें, लेकिन इस बात को उसमें लिखने की क्या आवश्यकता थी ? डॉक्टर किसी से पैसे लेकर काम करेगा, वह सहानुभूति भी उसी के प्रति करेगा जो उसको पैसा देता है । जिस व्यक्ति के प्रति जांच कर रहा है, उसके प्रति उसकी सहानुभूति कम होगी । उदाहरण के तौर पर आप किसी मुकद्दमे में वकील करते हैं, वह जानता है कि केस झूठा है, लेकिन क्योंकि उसने पैसा लिया है इसलिए हर तरह से उसको बचाने की कोशिश करता है चाहे वह उसमें हार ही जावे । यही मनोवृत्ति यहां चलती है । एक व्यापारी पैसा देगा उसकी तरफ झुकाव ज्यादा होगा और कर्मचारियों और मज़दूरों की तरफ उसका झुकाव कम होगा । इसके बजाय यदि यह बात रखी होती कि वह सर्टिफिकेट लाकर दे और काम नहीं करें, उसको छुट्टी दी जाय, यह बात रखी जाती तो साफ बात होती । लेकिन जो कर्मचारी है उनके हाथ बांध दिये कि तुम्हारी जांच वह आदमी करेगा जो सेठ की तरफ से रखा हुआ है । यह क्यों नहीं रखा कि सर्टिफिकेट लावे कि मैं काम नहीं कर सकती, तो फौरन उसको मेटरनटी लीव मिल जावे । मैं कहता हूं कि मां बनने वाली महिला को अपने बारे में जितना ज्ञान होता है, उतना सेठ को नहीं हो सकता । वह चाहता है कि जितने दिन वह काम कर सके करे, चाहे वह बीमार पड़े या मर जावे, उसको तो काम करना चाहिए, यह मनोवृत्ति है सारे बनियों की और सारे व्यापारियों की । मैं कहना चाहता हूं कि जिस बात की सिलेक्ट कमेटी में जांच करने की आवश्यकता है, वह यह है कि वह स्वयं सर्टिफिकेट लेकर दे या व्यापारी चाहे जैसा हो । आप पूंजीपतियों का सहारा लेना चाहते हैं लेकिन सिलेक्ट कमेटी कर्मचारियों के हित की बात सोच सकती है ।

दूसरा झगड़ा आता है, ९ घण्टे काम करने के बारे में । इसके लिए मैंने कहा था कि क्लाज ऐसा है जो व्यापारियों और कर्मचारियों के बीच के सम्बन्ध को कटु बनाती है । इस क्लाज़ में आप कहते हैं कि अधिक से अधिक ९ घण्टे काम ले सकते हैं तो क्या आप आशा करते हैं कि व्यापारी ८ घण्टे ही काम लेगा ? जिस आदमी ने आज तक १२-१२ या १६-१६ घण्टों तक उनसे काम लिया है । वह उनसे ९ घण्टे काम नहीं लेगा यह नितांत अनहोनी बात है, जब तक कि उस पर नियन्त्रण न रखा जाय । इसके लिए नियन्त्रण या कन्ट्रोल करने की आवश्यकता होगी । वरना जिस आदमी का पेट भूखा है, जिस आदमी को तन ढकने के लिये कपड़े की आवश्यकता है, जिस आदमी को बच्चों को बीमारी से मुक्त करने के लिए दवाई की आवश्यकता है, वह काम करने के बजाय क्या करेगा यदि सरकार इस प्रकार उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकती तो उसको कोई भी काम करना पड़ता है, उसका अतिक्रमण नहीं किया जाय । यह सरकार का कर्त्तव्य है कि उसके हितों को देखे । आप रोज़ाना ९ घंट

(श्री दयाकृष्ण विजय)

एक आदमी से काम लें और यह कहें कि सप्ताह में १ दिन का अवकाश होगा। साधारणतः सड़क पर काम करने वाला मजदूर भी समझता है कि यदि रोज़ाना ६ घन्टे काम किया गया और ६ दिन तक काम किया तो सप्ताह में उसको ५४ घन्टे काम करना पड़ेगा ४८ घन्टे नहीं, जब कि कानून में यह बात है कि अधिक से अधिक ६ घन्टे काम ले सकते हैं ओवर टाइम के बगैर जहां ओवर टाइम शब्द आता है कि १० घन्टे काम लिया जा सकता है डयोढ़ा ओवर टाइम देने पर जहां ओवर टाइम शब्द आया है वहां ओवर टाइम का पैसा देना पड़ेगा। जैसे एक माननीय सदस्य ने कहा था ६ घन्टे इसलिए रखे हैं कि अधिक से अधिक काम ले सकें, लेकिन यह भावना ठीक नहीं है। जब आप जानते हैं कि ओवर टाइम काम लिया जा सकता है पैसा देकर तो आप ६ घन्टों के बजाय ८ घन्टे रखते और ओवर टाइम का पैसा दिलाते। आखिर मैं यह चाहता हूँ कि आप इस बात को साफ कर दें कि आप ८ घन्टा काम लेना चाहते हैं या ६ घन्टे काम लेना चाहते हैं। अगर आप इस तरह गोल माल बात करके एक ओर व्यापारी के हाथ में डंडा दे दें और दूसरी ओर कहें कि डंडा सिर पर नहीं पड़ेगा, यह असम्भव बात है। निश्चित रूप से सिर पर डंडा पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी को अधिकार देते हैं, तो अधिकार का मतलब है, अगर किसी प्रकार कर्मचारी अधिकार की बात करेगा तो मालिक भी कह देगा कि मुझे राइट है कि नौ घन्टे काम लूँ। इससे एक प्रकार का संघर्ष पैदा होगा। अगर इस संघर्ष को मिटाना चाहते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि अगर नौ घन्टे से ज्यादा काम करता है तो उसको ओवर टाइम मिले। इसलिए हम चाहते हैं कि इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय। आप कहेंगे कि इसकी आवश्यकता है क्योंकि यह हितकर है, इसलिए इसमें उलझन पैदा न करके, विचारार्थ न रखें सिलेक्ट कमेटी के सामने। मैंने जो प्रस्ताव रखा है, उसको स्वीकार कराने की सम्भावना नहीं हो सकती क्योंकि आपकी मेजोरिटी है, बहुमत है; इसलिए आप इसे पास करा सकते है। कुछ समझदार आदमी बैठ कर इस पर विचार करें, इस प्रकार का अवसर नहीं देते हैं, और बहुमत से कानून को पास कराना चाहते हैं, तो हमारी यहां आवश्यकता क्या है? आज प्रजातन्त्र के युग में विरोधी दल की आवश्यकता क्यों है; इसलिए कि जो कानून बन रहा है, उसके किसी पक्ष को लेकर, जनता जनार्दन की सेवा उससे होती है या नहीं, यह हम देखें, यही मकसद है और इसलिए विरोधी दल की आवश्यकता होती है। अगर विरोधी दल [illegible] कहता है, गम्भीरता के साथ सोच-विचार करके कहता है तो उस पर आपको विचार करना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है और इसलिए मैं चाहता हूं कि विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। आपने नाइट की परिभाषा की है, उस पर असर नहीं पड़ता है, वास्तव में आपके दिमाग़ में असर नहीं पड़ता है, लेकिन सवाल यह आता है कि अगर दिन को रात कहेंगे और रात को दिन कहेंगे तो दुनिया कहेगी कि यह कैसी परिभाषा कर रहे हैं, दूसरे लोग आपका मज़ाक उड़ायेंगे, आप यह निश्चित रूप से मान लें। आपने कहा है कि दिन, रात को १२ बजे प्रारम्भ होता है और दोपहर को बारह बजे रात समाप्त हो जाती है, यह आपने नाइट की परिभाषा की है, पर आपने वर्किंग अवर्स की परिभाषा नहीं की है। आपने रात के बारह बजे से दिन

(श्री दयाकृष्ण विजय)

मान लिया है और रात आपके अनुसार दिन के १२ बजे से शुरू होती है, यानी सूर्य १२ बजे दिन को उगता है और रात को १२ बजे अस्त होजाता है। यह विचारधारा हमें बदलनी पड़ेगी, और विचार करना पड़ेगा कि जो बात पुराने जमाने से, अंग्रेजों के काल से चली आ रही है, वह ठीक है या नहीं। हमें खुले मस्तिष्क से सोचना पड़ेगा और मानस की चार दिवारी को खोलना पड़ेगा। अगर हम एक पुराने बन्द घेरे में चलते जायेंगे और बन्द कूप से बाहर जाते नहीं, तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि भारतवर्ष का भविष्य उज्जवल नहीं है। जो बात दूसरों ने सिखाई है उसको सीखने के लिए मैं नहीं कहता कि उसे बिल्कुल तिलांजली दे दी जाय, लेकिन हमें गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय समझते है कि रात के १२ बजे से दिन नहीं उगता है दिन तब होता है जब सूर्य उदय होता है, इस गलती को वे दूर करने की कोशिश करेंगे, यह मुझे आशा है। इन सब बातों को सामने रखते हुए, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिल के अन्दर, जिस प्रकार कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि कई बातें ठीक नहीं है, और उनमें कुछ अमेंडमेंट हो सकते हैं। ऐसी चीज़ नही है कि आप अमेंडमेंट के लिए कहें कि अमेंडमेंट नहीं है। अमेंडमेंट रख भी दिये गये हैं लेकिन अमेन्डमेन्ट से यह हल होने वाली समस्या नहीं है। इसके हल होने का एक रास्ता है कि बैठकर कुछ लोग इस पर विचार करते हैं, अगर पार्टी बन्दी से ऊपर उठ कर विचार करते हैं, हिप से, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार करते हैं, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि इसमें कई अच्छे संशोधन आ सकते हैं। आज कुछ लोगों को कहा जाता है कि वे इस प्रस्ताव के विरोध में बोलें क्योंकि यह विरोधी दल की ओर से आया है। जो इन्टक के कार्यकर्ता हैं, जो मजदूरों के हामी हैं, वे इसका विरोध करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप इस प्रकार की बात को लेकर इस कानून के साथ न्याय क्या करने जा रहे हैं? यह इस बिल के साथ न्याय नहीं है। वैसे और भी कई बातें बताई गई हैं कि यह बड़ा भारी विधेयक है, बहुत महत्वपूर्ण बिल है, केवल इसलिए हमको शीघ्रता करनी चाहिए। सब ही माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के सामने रखा जाय। अब केवल इस बात को लेकर कि क्योंकि यह अच्छा विधेयक है इसलिए इस विधेयक को जल्दी से पास कर देना चाहिए, यहां की बात है ! मैं कहता हूँ कि जो अच्छी चीज़ है उस अच्छी चीज़ को अच्छी तरह से करना चाहिए। हम किसी अच्छी चीज को गलत तरीके से कर दें, यह कैसे हो सकता है ? हम समझते हैं कि हमको किसी एक फुलवारी में जाना है, जो अच्छा बगीचा है, जहां से गुलाब के फूल की खुशबू आ रही है लेकिन वहां जाने के लिए रास्ता दूर से पड़ता है, सड़क का रास्ता दूर से पड़ता है और जल्दी के रास्ते के लिए कीचड़ में होकर जाना पड़ेगा, उस रास्ते से जाना ठीक नहीं होगा क्योंकि आपके सारे कपड़े कीचड़ में हो जायेंगे। अगर गुलाब के फूल को ले जाना चाहते हैं और उसमें देर लगती है और आपको सड़क से जाना पड़ता है तो आपको सड़क से जाना चाहिए, सड़क से गुलाब का फूल लाकर कोट के कॉलर में लगायेंगे तो अच्छा लग सकता है, आपका मकसद पूरा हो सकता है। लेकिन आपके कपड़े गन्दे हों, और कोट के कालर में गुलाब का फुल लगायें तो क्या शोभा हो सकती है ? (घण्टी) इसी

Page No.106

(श्री दयाकृष्ण विजय)

प्रकार की व्यवस्था कर्मचारियों के लिए की है, उससे सन्तोष हो सकता है कि कांग्रेस सरकार ने कुछ किया है लेकिन जो कुछ किया है, उससे उनके हाथ पैर फिर से बंध जाते हैं। आप जो कुछ करने जा रहे हैं वह आपने नहीं किया है। जो आपने सुविधा देने की बात कही है, वह बात केवल देने की ही है, वह किसी काम की नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रवर समिति को यह विधेयक सुपुर्द करने की बात मैं कहता हूं उस पर विचार करके इसे प्रवर समिति के सामने रखा जाय और फिर से इस पर विचार किया जाय। मेरे प्रस्ताव को वापिस लेने की जो बात है उसका प्रश्न खड़ा नहीं होता। मैं अपने विचार पर दृढ़ हूं क्योंकि जो चीज मैं रखता हूं वह विश्वास के साथ रखता हूं और अपनी आत्मा के विरुद्ध जाने का प्रश्न ह्विप के लागू होने के कारण भी उठता नहीं है, क्योंकि जो आदमी एक चीज रखता है, अगर कोई अमेंडमेंट मूव करता है, कुछ संशोधन रखता है तो उसके लिए आवश्यक होता है कि वह अपने संशोधन पर दृढ़ रहे, वरना हर बात केवल वाद-विवाद के लिए कह सकते हैं। केवल वाद-विवाद के लिए वाद-विवाद हो, इसके लिए सदन का समय क्यों खराब किया जाय!

(घन्टी)

आखिर किस बात के लिए हम यहां आते हैं, जिस बात को हम सही समझते हैं उसको विश्वास के साथ कहें। इसलिए जो मेरा प्रस्ताव है, जो बात मैंने रखी है, वह सही मायने में रखी है।

(घंटी)

मैं उस पर दृढ़ हूं, इसलिए उसे वापिस लेने का प्रश्न खड़ा नहीं होता।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री गिरधारीलाल और श्री दयाकृष्ण विजय ने रखा है कि राजस्थान दुकान और वाणिज्य संस्थान विधेयक, १९५७ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। क्या स्वीकार किया जावे।

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह : 'हां' पक्ष जीता।

श्री सभापति : You claim division?

श्री भैरोंसिंह : Yes.

(विभाजन सूचक घंटी के पश्चात्)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री गिरधारीलाल और श्री दयाकृष्ण विजय ने रखा है कि राजस्थान दुकान और वाणिज्य संस्थान विधेयक, १९५७ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया, जाय क्या यह स्वीकार किया जावे।

(मत-दान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : 'हां' पक्ष जीता।

श्री हरिदेव जोशी : 'ना' पक्ष जीता, 'Noes' have it, Sir.

श्री सभापति : Order! order!! You want division?

श्री हरिदेव जोशी : नहीं कर रहे हैं।

श्री पी० के० चौधरी : Let it be tomorrow, Sir, It is already 5. O' clock. After 5 there cannot be any division. We will have it tomorrow.

Page No.107

श्री सभापति : The House is adjourned...

उपरोक्त अंश माननीय अध्यक्ष के आदेश से कार्य-विवरण में से पृथक किये गये।

सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५. ३ मिनट पर दिनांक ४-४-५८ को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार–३ अप्रैल, १९५८)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

अशोकपुरा बस्ती (जयपुर)।

यातायात विभाग में अव्यवस्था।

चिकित्सालय।

कृषि अधिकारी जालौर द्वारा किसानों को टिन शीट्स (पत्तरों) का वितरण।

नागल प्रोजेक्ट से नहरों का निकाला जाना।

पंचायतों के अधिकार।

बौंली से निवाई तक पक्की सड़क का निर्माण।

उटड़ा ग्राम (अजमेर) के पास बांध निर्माण की योजना।

नगर पालिका बरेना।

सड़कों पर गैंगमैनों की नियुक्ति।

बापू नगर (जयपुर) में बिजली की व्यवस्था।

पॉवर हाउस, बारां।

चिकित्सालय, कोटपुतली।

वाटर वर्क्स–किशनगढ़।

बुरासना बांध।

लोअर स्टाफ–'बी' क्लास होस्पिटल्स।

सड़क निर्माण–जिला उदयपुर।

वकीलों द्वारा फौजदारी केसेज़ में ली जाने वाली फीस।

राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय मदनगंज।

सड़क-निर्माण–जिला कोटा।

स्कम्भ

५८८५ गरीबों के मुकदमों की मुफ्त पैरवी संबंधी व्यवस्था।

हरिजन बस्तियों के सुधारने की योजना।

गंगापुर करौली रोड।

पुलिस स्टेशन मदनगंज।

टोल टैक्स।

मत्स्य उद्योग।

धौलपुर नगर में घटित चोरियां।

पंचायतों में चुनाव सम्बन्धी व्यवस्था।

गिलोद घाट सड़क (टोंक)।

कत्ल के मुकदमे, टोंक।

आयुर्वेदिक औषधालय, मदनगंज (किशनगढ़)।

सड़क निर्माण जिला बाड़मेर।

कोटा में गैर कानूनी बारूद का बरामद किया जाना।

वैद्यों का वेतन स्तर।

श्री माधोपुर व खण्डेला सहकारी समिति।

मैडीकल कालेज की स्थापना।

मान नगर टाउन इम्प्रूवमैन्ट स्कीम झुन्झुनू।

अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर

(१) उच्च माध्यमिक एवं बहु-उद्देशीय पाठशालाओं से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा का प्रबन्ध

(२) राजधानी जांच कमेटी के प्रतिवेदन सम्बन्धी।

विधायी कार्य

राजस्थान प्रेमिसेज (कन्ट्रोल ऑफ रेण्ट एड एविक्शन) संशोधन विधेयक, १९५८

सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् श्री रामकिशोर व्यास गृहमन्त्री, ने राजस्थान प्रेमिसेज़ (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड एविक्शन) संशोधन विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित किया।

१. राजस्थान जन्म, मृत्यु तथा विवाह रजिस्ट्रीकरण विधेयक १९५८

(खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री, ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जिस पर श्री तनसिंह ने इस आशय का संशोधन प्रस्तुत किया कि विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इस सम्बन्ध में ११ अन्य सदस्यों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किये। तत्पश्चात् श्री तनसिंह का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २, ४, ६, ७, १०, ११, १६, २४, २५ एवं १, संशोधित रूप में, स्वीकार किये गये तथा खण्ड ३, ५, ८, ९, १२, १३, १४, १५, १७, १८, १९, २०, २१, २२ एवं २३ बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुए। तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

२. राजस्थान दुकान तथा वाणिज्य संस्थान विधेयक, १९५८

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, श्रम मन्त्री, द्वारा प्रस्तावित किया गया जिस पर श्री गिरधारीलाल व श्री दयाकृष्ण विजय ने इस आशय के संशोधन प्रस्तुत किये कि विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इस पर की गई बहस में ६ सदस्यों ने भाग लिया।

शुक्रवार, दिनांक ४ अप्रेल १९५८ की कार्य-सूची

(१) राजस्थान दुकान तथा वाणिज्य संस्थान विधेयक, १९५७।

(पारित)

(२) राजस्थान अभ्रक विधेयक, १९५८
(क्रमशः विचार-विमर्श)

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०५१ का उत्तर देखिये)

जालोर जिले में जिन कृषकों को गत वर्ष जी० सी० शीड वितरित किये गये हैं उनके नाम निम्नलिखित हैं

क्रम संख्या	कृषक का नाम	गांव व तहसील
१.	श्री पूनमचन्द	जालौर
२.	श्री जेठाराम	,,
३.	श्री मोहना	,,
४.	श्री नाथूराम	,,
५.	श्री बरमा	,,
६.	श्री सतिया	सान्तीपुरा
७.	श्री जवाना	,,
८.	श्री अदिया	,,
९.	श्री माला	जालोर
१०.	श्री पूनमा	,,
११.	श्री प्रभु	,,
१२.	श्री बरदा	सान्तीपुरा
१३.	श्री जेपा	,,
१४.	श्री विशनसिंह	धावला
१५.	श्री रामा	सरदारगढ़
१६.	श्री रूपा	जालोर
१७.	श्री गिरधारी	,,
१८.	श्री हुकमा	सरदारगढ़
१९.	श्री चिवा	जालौर
२०.	श्री मामा	,,
२१.	श्री शिवनाथसिंह	बिचावड़ी (आहोर)
२२.	श्री सुखराज	गोल
२३.	श्री चेयरमैन म्युनिसिपैलटी	जालोर
२४.	श्री मोहमद	,,
२५.	श्री दुर्गा	सरदारगढ़

Page No.111

१	२	३
२६.	श्री हिमता	सरदारगढ़
२७.	श्री चिमना	,,
२८.	श्री माना	,,
२९.	श्री नारायण	जालोर
३०.	श्री रनजीतमल	,,
३१.	श्री मोला	,,
३२.	श्री नीबा	,,
३३.	श्री चिता शंकर	आहोर
३४.	श्री मदरंजन ठाकुर	,,
३५.	श्री सीताराम	जालोर
३६.	श्री आईदान	,,
३७.	श्री हरजी	,,
३८.	श्री भीमसिंह	आहोर
३९.	श्री माघी खान	जालोर
४०.	श्री असिया	खारल (अस)
४१.	श्री मानिज	गोल
४२.	श्री चेनिया	खारल (अस)
४३.	श्री पूनमसिंह	बागरा
४४	श्री टीकम	जालोर
४५.	श्री जेपोराम	,,
४६.	श्री मीमा	सियड़ी (आहोर)
४७.	श्री हरिनी	गोल
४८.	श्र गोपाल	,,
४९.	श्री नाथूसिंह	सायला
५०.	श्री जीवनसिंह	ओथवारा
५१.	श्री मगना	जालोर
५२.	श्री हरजी मुरली	,,
५३.	श्री घना	,,
५४.	श्री रामसिंह	सायला

१	२	३
५५.	श्री केसरसिंह	सायला
५६.	श्री जाजा	,,
५७.	श्री मोदाराम	जालोर
५८.	श्री परताबा	,,
५९.	श्री जयसिंह	भरला
६०.	श्री जोजसिंह	,,
६१.	श्री पहाड़सिंह	सायला
६२.	श्री गुमानसिंह	,,
६३.	श्री मानसिंह	,,
६४.	श्री जीरा	सातीपुरा
६५.	श्री भाबुता	जालोर
६६.	श्री समर्थ	संकराना (आहोर)
६७.	श्री सेक्रेटरी कोऑपरेटिव सोसायटी	सायल (४० बडल)
६८.	श्री जेठा	जालोर
६९.	श्री कापुरा	,,
७०.	श्री मूलसिंह	रानीवाड़ा (खस)
७१.	श्री घुरू	सकरना
७२.	श्री हीरा	,,
७३.	श्री गनेशदन	गोल
७४.	श्री सोहनराज	,,
७५.	श्री मिश्रीराम	भीनमाल
७६.	श्री उदयसिंह	सायना
७७.	श्री मादा	मीनमाल
७८.	श्री विजयसिंह	सावरानी (आहोर)
७९.	श्री खागा	जालोर
८०.	श्री धदिया	,,
८१.	श्री मींदा	,,
८२.	श्री खगराज	धुपी (आहोर)
८३.	श्री राजा	जालोर

१	२	३
८४.	श्री दुर्गाराम	सांचोर
८५.	श्री तोला	जालोर
८६.	श्री चिमनसिंह	सराना (जस)
८७.	श्री चिमना	जालोर
८८.	श्री हकीमा	आईपुरा (आहोर)
८९.	श्री थानाराम	जालोर
९०.	श्री भायलसिंह	सेलरी (आहोर)
९१.	श्री मोती	रायसिन
९२.	श्री माहमुदा	जालोर
९३.	श्री केशरसिंह	,,
९४.	श्री जोगिया	सराना (आहोर)
९५.	श्री आदा	,,
९६.	श्री मामूता	जालोर
९७.	श्री आइदा	देववास
९८.	श्री धनाराम	बिचावड़ी
९९.	श्री अद्दा	मिण्डी (जस)
१००.	श्री गनेशा	रानीवास (जस)
१०१.	श्री रत्ना	,,
१०२.	श्री राजा	,,
१०३.	श्री भभूता	,,
१०४.	श्री सावा	,,
१०५.	श्री रूजा	,,

(प्रश्नकाल में न पूछा जा सकने वाला सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

श्रमिक के लिये निम्नतम मजदूरी का निर्धारण

१०८७. (२८६।एल. एल. एम.) श्री मुरलीधर व्यास, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर १०७:—क्या श्रम मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) श्रमिकों के निम्नतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए सरकार ने अब तक क्या प्रयत्न किये व इतने विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उत्तर

राज्य सरकार उद्योगों में पुनः न्यूनतम मजदूरी निश्चित नहीं कर सकी क्योंकि इसके लिए न्यूनतम मजदूरी कानून में संशोधन की आवश्यकता थी और केन्द्रीय कानून होने के कारण इसमें संशोधन लोक सभा द्वारा ही किया जा सकता था। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना भी की कि इस संबन्ध में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी कर दिया जाय, पर न्यूनतम मजदूरी कानून में संशोधन के लिये आवश्यक विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया जा चुका था अतः अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। न्यूनतम मजदूरी संशोधन कानून सितम्बर '५७ में संसद द्वारा पारित कर दिया गया है तथा राज्य सरकार ने इसके अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी कानून की धारा ५ (१)(बी) के अनुसार विभिन्न अनुसूचित उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी की प्रस्तावित दरें ३–१२–५७ को घोषित करदी हैं। इन प्रस्तावित दरों के संबन्ध में जनता तथा संबन्धित व्यक्तियों से प्रतिवेदन राजपत्र में निकलने के २ माह में मांगे गये हैं।

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक ३ अप्रैल, १९५८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
५९४५	अन्तिम से ७	श्री बद्रीप्रसाद गप्ता	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
,,	अंतिम से ५	एक पतलन	एक पतलून
५९४८	१५	श्री मुरलीधर व्यस	श्री मुरलीधर व्यास
५९५२	३	मल्टीयवज	मल्टीपर्पज़
५९५३	७	इससे पूव	इससे पूर्व
५९७१	१७	कॉपी चहिये	कॉपी चाहिये
५९७२	अन्तिम से १४	चीजों की पूर्त्ती	चीजों की पूर्ति
५९७८	१७	बड़ा प्रोब्लम पोपुलेशन का	बड़ी प्रोब्लम पोपुलेशन की
,,	१८	bieggist	biggest
५९७९	२	सर्टन बर्थस	सर्टेन बर्थस
,,	३	डाइवोर्सेज़ रिक्वायर्ड टू बी रेकेर्डेड	डाइवर्सेज़ रिक्वायर्ड टू बी रिकार्डेड
५९९३	१२	पुनर्विचार लिए	पुनर्विचार के लिए
५९९५	७	अंघेरपन	अन्धेरपन
५९९६	अंतिम से ५	डिपाटमेन्ट	डिपार्टमेंट
५९९७	७	श्री किशनासह बहड़	श्री किशनसिंह बटड़
६००९	११	कन्सेलिडेटेट	कन्सोलिडेटेड
६०१२	२२	gneral	general
६०२७	९	रवीकृत	स्वीकृत
६०३१	अंतिम से १३	भेरा	मेरा
६०५१	३	मेजे	भेजे
६०५४	२१	10 a. m.	10. p. m.
६०५८	१०	काननों	कानूनों
६०६६	अंतिम से ६	बीमरी	बीमारी
६०७१	७	स्टरेड को फ़ डे	सेटरडे को हाफ डे
६०७३-७४	शीर्ष	२ अप्रैल, ५८	३ अप्रैल, ५८
६०७८	१०	मेजना	भेजना

१	२	३	४
६०६०	अन्तिम	घंट	घंटे
६०६१	२०	घन्ट	घन्टे
६०६२	१६–२०	विरोधी द की आवश्यकता होती है। अगर विरोधी दल त	विरोधी दल की आवश्यकता होती है। अगर विरोधी दल कोई बात
६०६७	२–३	adjoourued...... उपरोक्त अंश	adjourned × × × × × × × उपरोक्त अंश
६१००	अन्तिम से ६	सचन प्रश्नोत्तर	सूचना प्रश्नोत्तर ५६५१
६१०१	४	त्रिवेयक, १६५८	विधेयक १९५८ ५६५७
,,	१२	१६५	१६५८ ५६५७
६१०२	१०	त्रिवेयक, १६५८	विधेयक, १६५८ ६०४२
६१०७	४	श्रमिक के लिये	श्रमिक के लिये